सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

बिहार सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – I राज्य सरकार का वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	1.1	1
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	6
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	14
सरकारी व्यय एवं निवेश	1.4	19
परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	1.5	22
ऋण प्रबंधन	1.6	25
अध्याय – II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	27
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	27
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	28
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4	33
निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण	2.5	35
असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय	2.6	35
अनुदान संख्या–21 "शिक्षा विभाग" की समीक्षा	2.7	37
अनुदान संख्या–48 "शहरी विकास एवं आवास विभाग" की समीक्षा	2.8	38
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
व्यक्तिगत जमा खाते	3.1	41
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर	3.2	42
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.3	43
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.4	44
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलंब	3.5	45
उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा नहीं किया जाना	3.6	46
लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	3.7	48
निवेशों/ऋणों प्रत्याभूतियों का असमाशोधन	3.8	49

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
जमा राशि पर ब्याज की गैर–अदायगी	3.9	49
राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन	3.10	50
रोकड़ शेष में अंतर	3.11	50
नकद शेष एवं नकद शेषों का निवेश	3.12	50
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजन	3.13	51
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	3.14	52

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	55
1.2	भाग–कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	56
1.2	भाग–खः वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	56
1.3	वर्ष 2017–18 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	58
1.4	वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.1.3	61
1.5	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	1.2.2	62
1.6	31 मार्च 2018 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.5.1	64
1.7	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनायी गई पद्धति	1.6.2	65
2.1	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	66
2.2	सतत् बचत	2.3.2	68
2.3	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.3	70
2.4	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.4	72
2.5	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	2.3.4	75
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.4	76
2.7	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.5	78
2.8	निधियों का शत्-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.5	85

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.9	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत	2.3.7	92
2.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण	2.3.7	93
2.11	मार्च 2018 में सघन व्यय	2.3.8	95
2.12	गैर आकस्मिक खर्चों के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी	2.4	96
2.13	निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण	2.5	98
2.14	शत्–प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.5	101
2.15	वर्ष 2017–18 के दौरान असमाशोधित राशि (प्रत्येक मामले में) की विवरणी	2.6	103
2.16	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन (अनुदान सं0– 21)	2.7	108
2.17	अनावश्यक और आधिक्य अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं0–21)	2.7	109
2.18	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं0–21)	2.7	111
2.19	शिक्षा विभाग के लंबित असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र (अनुदान संख्या–21)	2.7	115
2.20	शिक्षा विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या–21)	2.7	116
2.21	दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय की विवरणी (अनुदान संख्या 48)	2.8	117
2.22	निधि का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण की विवरणी (अनुदान संख्या 48)	2.8	119
2.23	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि के अभ्यर्पण की विवरणी (अनुदान संख्या 48)	2.8	120
2.24	सघन व्यय (अनुदान संख्या–48)	2.8	123
2.25	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान संख्या 48)	2.8	126
2.26	असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति (अनुदान संख्या–48)	2.8	127

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.27	उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण (अनुदान संख्या–48)	2.8	128
3.1	विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.1.2	129
3.2	लघु शीर्ष 800– 'अन्य प्राप्तियों' का परिचालन	3.3	131
3.3	लघु शीर्ष 800– 'अन्य व्यय' का परिचालन	3.3	132
3.4	30.09.2018 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा0क्षे0उ0) बकाए लेखे, बिहार सरकार	3.5.1 & 3.5.2	133
3.5	सा0क्षे0उ0 को वित्तीय सहायता जिनके लेखे बकाये थे	3.5.3	136
3.6	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि	3.6	139
3.7	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2018 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति	3.8	140
	संकेताक्षरों की शब्दावली		145

प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0सी0), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2017–18 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरूद्ध वित्तीय प्रदर्शन पर भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–1 में व्यापक वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन पर लेखापरीक्षा मत शामिल है। यह वित्त लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है, और यह 31 मार्च 2018 तक बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सरकार के घाटा प्रबंधन, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियों, आकस्मिक मुद्दे, प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य व्यय, ऋण, निवेश एवं उधार ढाँचों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय–2 बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की पड़ताल करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा, आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय–3 विभिन्न विधायी, सांविधिक, विधिक एवं मानक व्यवसायिक प्रावधानों के अनुपालन अनिवार्यताओं पर प्रतिवेदन है। यह विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं और वित्तीय नियमों एवं प्रबंधनों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की सूची है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राजकोषीय स्थिति

राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय, 2013–14 से तुलनात्मक रूप में 2017–18 में बढ़ा है। राजस्व प्राप्तियों को छोड़कर उनके वृद्धि दर को मुद्रास्फीति (स्थिर मुल्य पर) से गणना करने पर 2017–18 में कमी हुई है। विशेष रूप से पूँजी निर्माण की वृद्धि दर पिछले वर्ष से काफी कम था।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य ने राजस्व अधिशेष का लक्ष्य हासिल किया लेकिन यह बकाया ऋण से जी0एस0डी0पी0 के अनुपात को हासिल नहीं कर सका। 14वें वित्त आयोग एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल हुआ परंतु बजट अनुमानों के अनुसार यह नहीं था।

(कंडिका 1.1.2)

राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2013–14 में ₹ 2,892 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 5,251 करोड़ हो गया है जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय तथा साथ ही साथ ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे।

(कंडिका 1.1.2.2)

संसाधन संग्रहण

2016–17 से 2017–18 में राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 11,862 करोड़ (11 प्रतिशत) वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राकलन से ₹ 19,711 करोड़ कम था।

2016–17 से 2017–18 में राजस्व व्यय ₹ 7,859 करोड़ (आठ प्रतिशत) बढ़ा, लेकिन यह बजट प्राक्कलन से ₹ 19,979 करोड़ कम था।

2016–17 से 2017–18 में पूँजीगत व्यय ₹ 1,699 करोड़ (छः प्रतिशत) ज्यादा था, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 3,289 करोड़ कम था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।*

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का सारांश

सहायता अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में ₹ 5,161.11 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण राजस्व घाटे के क्षतिपूर्ति (₹ 3,041 करोड़) के रूप में थी।

(कंडिका 1.2.2.4)

प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 17,778.74 करोड़), पेंशन (₹ 14,293.48 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 9,053.78 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 5,023.06 करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 46,149.06 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 66,673 करोड़) का 69.22 प्रतिशत है।

(कंडिका 1.3.4)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

वी0एल0सी0 आँकड़े के जाँच से यह पता चला कि 2005–06 से 2017–18 के कुल अंशदान ₹ 3,891.21 करोड़ में से केवल ₹ 3,762.93 करोड़ ही एन0एस0डी0एल0 को हस्तांरित किए गए, शेष ₹ 128.28 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8011 एवं 8342 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 41.32 करोड़ एवं ₹ 86.96 करोड़) का योजना प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर निवेश हेतु एन0एस0डी0एल0 को स्थानान्तरित किया जाना था। इस प्रकार वर्तमान दायित्व भविष्य के वर्षों में चली गयी।

वित्त विभाग के आंकड़ों के जाँच से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा अंशदानों पर ब्याज की गणना नहीं की गयी। इसके अलावा वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2017–18 तक बिहार सरकार द्वारा संबंधित शीर्ष 2049–03–117–0001 में ब्याज का भुगतान/स्थानान्तरण नहीं किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों से संबंधित निधि का दोषपूर्ण उपयोग किया गया, फलस्वरूप कर्मचारियों को प्रतिलाभ की दर/सरकार के परिहार्य वित्तीय दायित्व की संभावित अनिश्चितता होगी तथा योजना खुद में असफल होगी।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को अविलंब इस तरह की कार्रवाई करने की पहल करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्णतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ मिल सके। ऐसा पूर्णतः कर्मचारियों के अंशदान की कटौती एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान की कटौती कर राशि को पूर्णतः एन0एस0डी0एल0 को ससमय स्थानांतरित कर किया जाना है।*

(कंडिका 1.3.4.1)

लोक व्यय की पर्याप्तता

विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय, पूँजीगत व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय की दर कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, कुल व्यय में शिक्षा का अंश चार वर्षों की अवधि में 2017–18 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(कंडिका 1.3.5.1)

अपूर्ण परियोजनाएँ

वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक पूर्ण होने वाली कुल 127 परियोजनाओं जिनका अनुमानित लागत ₹ 1,819.64 करोड़ था, में से मात्र तीन परियोजनाओं का ही लागत संशोधन किया गया। शेष 124 कार्यों की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 1,798.64 करोड़ थी, उनका लागत संशोधन का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके। सभी लंबित परियोजनाओं का संशोधित अनुमान तैयार कर किया जाना चाहिए और परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निधि का वास्तविक मूल्यांकन प्राथमिकता के आधार पर उनका अनुमोदन करवाना चाहिए।*

(कंडिका 1.4.2)

निवेश पर प्रतिलाभ

2013–18 की अवधि में सरकार की उधारी लागत तथा विभिन्न इकाईयों में निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को ₹ 3,479.32 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे इकाईयों जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी हाल में, जिन इकाईयों के लेखे बकायें में है, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।*

(कंडिका 1.4.3)

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

विभिन्न इकाईयों में ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों से बढ़ कर 31 मार्च 2018 को ₹ 7,823.47 करोड़ हो गया।

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं किया है।*

(कंडिका 1.4.4)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार छः आरक्षित निधियों का संचालन करती है। चार आरक्षित निधियों यथा मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधियों, अकाल राहत निधियों, विकास एवं कल्याण निधियों, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों में पिछले 17 से 18 वर्षों में कोई लेन–देन नहीं हुआ था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं हुआ है।*

(कंडिका 1.5.2)

निक्षेप निधि

12वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्यों को सभी प्रकार के ऋणों जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय सूक्ष्म बचत निधि पर दायित्व इत्यादि हेतु परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का स्थापना करना चाहिए और इन निधियों के ऋणों के परिशोधन को छोड़कर और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है के निर्देशानुसार वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित किया जाना है। राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि का स्थापना किया जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था जबकि 2014–15 से इसका प्रयोग सरकार के सभी बकाया देयताओं के परिशोधन के लिए किया जाना था। 31 मार्च 2018 को निधि का अंत शेष ₹ 4,111.24 करोड़ था।

(कंडिका 1.5.2.1)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

1 अप्रैल 2017 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 696.39 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 721.32 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी और प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,417.71 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2018 को निधि में अंतिम शेष ₹ छः हजार रह गया।

(कंडिका 1.5.2.2)

प्रत्याभूति की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया।

(कंडिका 1.5.3)

सार्वजनिक ऋण की निवल उपलब्धता एवं लोक लेखे दायित्व

राज्य द्वारा ली गई उधार निधियों में से 80 से 85 प्रतिशत की राशि का उपयोग उधारी के पुनर्भुगतान तथा इसके ब्याज अदायगी के रूप में किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा विकासात्मक क्रियाओं में कम खर्च किया गया है।

(कंडिका 1.6.1)

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

डिस्कॉम के पुनरूद्धार पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सहभागी ऋणदाता बैंकों को बॉन्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78 करोड़) का अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत जारी बॉन्ड पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में ₹ 191.36 करोड़ ब्याज की अदायगी की गई।

(कंडिका 1.6.3)

बचत

2017–18 में कुल अनुदान/विनियोग ₹ 1,87,343.96 करोड़ के विरूद्ध ₹ 46,396.66 करोड़ (25 प्रतिशत) का बचत हुआ। वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 30,899.89 करोड़ (33 प्रतिशत) हुए। कुल अनुदान या विनियोग और व्यय के बीच महत्वपूर्ण अन्तर (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक), नौ अनुदानों/विनियोजनों के तहत ₹ 11,046.78 करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। विगत पाँच वर्षों के दौरान 25 अनुदानों से संबंधित 27 मामलों में ₹ 24,318.74 करोड़ और अधिक की सतत् बचत हुए (₹ 100.34 करोड़ से ₹ 8,534.72 करोड़ के बीच)। 42 मामलों में शामिल 38 अनुदानों/विनियोगों में ₹ 16,290.56 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।*

(कंडिका 2.2, 2.3.1, 2.3.2 और 2.3.3)

निधियों का अभ्यर्पण

₹ 46,396.66 करोड़ के कुल बचत में से ₹ 34,570.64 करोड़ का अभ्यर्पण हुआ और ₹ 11,826.02 करोड़ (कुल बचत का 25 प्रतिशत) व्यपगत हुआ। आगे, ₹ 19,042.51 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 55 प्रतिशत) का

अभ्यर्पण मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया। 35 अनुदानों/विनियोजनों (₹ 3,591.68 करोड़) के अन्तर्गत 189 लेखा शीर्षों में शत्–प्रतिशत निधि (प्रत्येक मामले में पाँच लाख से अधिक) का अभ्यर्पण हुआ।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को निधियों का ससमय अभ्यर्पण सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा अभ्यर्पण को कमतर करने के लिए ससमय बजट जारी करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।*

(कंडिका 2.2 और 2.3.5)

सघन व्यय

वर्ष 2017–18 के दौरान 18 विभागों द्वारा ₹ 19,664.66 करोड़ (उनके ₹ 25,196.70 करोड़ के कुल व्यय का 78.04 प्रतिशत) अंतिम तिमाही में किया गया। इसमें से ₹ 18,549.06 करोड़ (उनके कुल व्यय का 73.62 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2018 में किया गया था।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में सघन व्यय के नियंत्रण हेतु नियमों का निर्धारण करना चाहिए।*

(कंडिका 2.3.8)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि कोष (₹ 350 करोड़) को नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष अस्थायी रूप से बढ़ाया गया। 2017–18 में राज्य विधायिका द्वारा आकस्मिकता निधि कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 6,403.42 करोड़ कर दिया गया। इसकी तुलना में भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ है। 2017–18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,949.21 करोड़ की राशि के 126 आहरण किये गये। जिनमें से कुल ₹ 314.49 करोड़ (6.35 प्रतिशत) के 35 आहरण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर–आकस्मिक व्यय के लिए किये गए।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि कोष में ऐसी वृहद वार्षिक वृद्धि के प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल तात्कालिक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है। वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि से किये गये व्यय के नियमितीकरण के समय इन शर्तो के सभी उल्लंघन को विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना चाहिए।*

(कंडिका 2.4)

असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

विभागाध्यक्षों ने 2017–18 के दौरान क्रमशः प्राप्तियों के 48 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 18,909.57 करोड़ एवं व्यय के 102 मुख्य शीर्षों ₹ 1,19,427.35 करोड़ का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया।

अनुशंसाएँ: *वित विभाग को एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए, जिसमें नियंत्रणी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्यता कर देनी चाहिए कि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान करें।*

(कंडिका 2.6)

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते

मार्च, 2018 तक मौजूदा 174 पी0डी0 खातों में ₹ 5,888.45 करोड़ शेष था। 174 व्यक्तिगत जमा खातों में से 94 खाते 47 कोषागारों में विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे जिसमें से 89 में शेष शून्य और पाँच पी0डी0

खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि बजटीय एवं वित्तीय नियमों के विरूद्ध अव्ययित थी। शेष राशि में से ₹ 65.77 करोड़ की अव्ययित राशि, कालातीत होने से बचने के लिए नौ पी0 डी0 खातों में लगातार पाँच वर्षों से अधिक से पड़ा रहा। अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) सभी पी0डी0 खाते, जिनमें शून्य/न्यूनतम शेष राशि हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए; (ii) सभी राशियाँ जो पी0डी0 खातों में पड़े हैं उन्हें वर्ष की समाप्ति पर शीघ्रता से संचित निधि में प्रेषित किया जाए; (iii) उन विभागीय और कोषागार पदाधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए जो पी0डी0 खातों से संबंधित वित्तीय नियमों के पालन में असफल रहे।*

(कंडिका 3.1)

भवन और अन्य निर्माण कार्यों के श्रमिकों (भ0अ0नि0श्र0) के लिए कल्याण उपकर का लेखांकन

बिहार सरकार द्वारा भ0अ0नि0श्र0 कल्याण उपकर के लेखांकन के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा श्रमिक सहयोग से निष्पादित परियोजनाओं पर प्राप्त श्रम उपकर को इन्द्राज करने के लिए सरकार द्वारा उप शीर्ष नहीं खोला गया है। भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड के लेखाओं को वर्ष 2015–16 तक ही अंतिमीकृत किया गया है।

अनुशंसाएँ: *बिहार भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड को लेखाओं के ससमय संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। बिहार सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा उपकर को संचित निधि के माध्यम से स्थानांतरित और उपकर के लेखांकन हेतु नियमावली भी तैयार करना चाहिए।*

(कंडिका 3.2)

लेखाओं में अपारदर्शिता

सर्वव्यापी लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत क्रमशः ₹ 1,607.18 करोड़ के राजस्व एवं ₹ 107.09 करोड़ का व्यय, वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता के अभाव को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के परामर्शानुसार सभी मदों की एक व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियों और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।*

(कंडिका 3.3)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण

30 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (160 लेखाएँ) और 37 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (1,016 लेखाएँ) का लेखा बकाया क्रमशः 1 से 22 साल एवं 1 से 41 साल तक का है जो कि कम्पनी अधिनियम/निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने उन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ₹ 26,640.53 करोड़ बजटीय सहायता (इक्विटी, लोन, अनुदान और सब्सिडी) और स्वीकृत देयता (गारंटी) के माध्यम से दिया, जिनके लेखे मार्च 2018 तक बकाया थे।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाया लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।*

(कंडिका 3.5)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा नहीं किया जाना

35 विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 36,593.50 करोड़ (2,455 यू0सी0) के उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2018 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरूपयोग और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित कर सके। वित्त विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक विभाग, उस अवधि तक दोषी अनुदानग्राहियों को आगे कोई अनुदान जारी न करे।*

(कंडिका 3.6)

लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

15,214 सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित ₹ 6,162.68 करोड़ मार्च 2018 तक विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण लंबित थे। इनमें से 491 विपत्रों पर ₹ 867.31 करोड़ (29.84 प्रतिशत) का आहरण मार्च 2018 में किया गया। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि को बढ़ावा देता है।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के आगे तक लंबित एसी विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि एसी विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की पहल की जाय जो ए0सी0 विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।*

(कंडिका 3.7)

निवेशों/ऋणों एवं अग्रिमों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

वित्त लेखे में दर्शाए गए निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा प्रत्याभूतियों के आँकड़े वित्त विभाग, कोषागारों तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है। यद्यपि, यह पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों से ये आँकड़े क्रमशः ₹ 645.26 करोड़, ₹ 163.33 करोड़ एवं ₹ 2,185.48 करोड़ भिन्न थे।

अनुशंसाएँ: *राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों और प्रत्याभूतियों से संबधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।*

(कंडिका 3.8)

राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा (नवम्बर 2000 से) उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेष राशि का विभाजन अब तक किया जाना शेष है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्त्ती राज्यों के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।*

(कंडिका 3.10)

असमायोजित अस्थायी अग्रिम

आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित अस्थायी ₹ 145.24 करोड़ के अस्थाई अग्रिम की राशि वर्ष 1983 के बाद से समायोजन हेतु लंबित था। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ऐसी लंबित असमायोजित राशि दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम से भरा–पूरा है।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अव्ययित राशियों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।*

(कंडिका 3.13)

राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 227.06 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति 2017–18 में हुई।

(कंडिका 3.14)

अध्याय–I

राज्य सरकार का वित्त

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

1. यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित मुख्य राजकोषीय संग्रह में परिवर्तन का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2018 को बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्याकंन करता है। यह सरकार के घाटे प्रबंधन, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति, आकस्मिक मुद्दे, प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य/बाध्यकारी व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश एवं उधारी के स्वरूप पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

राज्य की रूप रेखा ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शायी गयी है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) और राज्य के जी0एस0डी0पी0 की चालू मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ ***तालिका 1.1*** में दिए गए है।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद और बिहार का जी.एस.डी.पी.

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत का सकल घरेलू उत्पाद चालू मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,17,101	3,42,951	3,69,469	4,25,888	4,87,628
चालू मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.30	8.15	7.73	15.27	14.50
स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,69,650	2,79,482	2,95,622	3,24,778	3,61,504
स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	4.98	3.65	5.77	9.86	11.31

(स्रोतः जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी)

सरकारी लेखे की संरचना ***भाग–क*** में वर्णित है और वित्त लेखे की रूप रेखा ***परिशिष्ट 1.2*** के ***भाग–ख*** में है। बिहार के जी0एस0डी0पी0 का भारत के जी0डी0पी0 में योगदान वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2.91 प्रतिशत था। बिहार के जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर झारखंड (8 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (10 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (11 प्रतिशत) एवं छत्तीसगढ़ (11 प्रतिशत) से ज्यादा थी।

1.1.1 राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.2 और **1.3,** वर्ष 2013–18 के दौरान राज्य सरकार राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है जबकि 2017–18 के दौरान संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत किया गया है।

[1] जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 निश्चित समय की अवधि में क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर सभी आधिकारिक रूप में मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है।

तालिका 1.2: 2013–18 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खण्ड–'क' राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
कर राजस्व	19,961	20,750	25,449	23,742	23,137
करेत्तर राजस्व	1,545	1,558	2,186	2,403	3,507
संघीय कर/शुल्कों का अंश	34,829	36,963	48,923	58,881	65,083
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	12,584	19,146	19,565	20,559	25,720
खण्ड–'ख' पूँजीगत एवं अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	15	1,493	19	23	22
अंतर्राज्यीय समाशोधन	0	0	0	0	0
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	9,907	13,918	18,383	21,577	13,169
आकस्मिकता निधि	1,450	1,650	4,477	5,438	6,053
लोक लेखा प्राप्तियाँ	33,458	40,251	49,106	61,730	57,107
आंरभिक नकद शेष	3,716	6,156	6,337	11,717	17,062
योग	**1,17,465**	**1,41,885**	**1,74,445**	**2,06,070**	**2,10,860**

** वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिमों की निकासी नहीं की गई।*

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3: 2013–18 के दौरान व्ययों का सारांश

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खण्ड–'क' राजस्व					
राजस्व व्यय	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
सामान्य सेवाएँ	22,018	26,408	27,972	30,607	33,374
सामाजिक सेवाएँ	26,395	31,713	35,943	40,737	45,770
आर्थिक सेवाएँ	14,060	14,445	19,697	23,417	23,476
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4
खण्ड–'ख' पूँजीगत एवं अन्य					
पूँजीगत व्यय	14,001	18,150	23,966	27,208	28,907
ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	807	369	621	114	243
अंतर्राज्यीय समाशोधन	0	0	0	0	0
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,121	3,609	4,125	4,215	4,654
आकस्मिकता निधि	1,450	1,650	4,477	5,438	6,053
लोक लेखा संवितरण	29,453	39,200	45,923	57,268	46,298
अंतिम नकद शेष	6,156	6,337	11,717	17,062	22,081
योग	**1,17,465**	**1,41,885**	**1,74,445**	**2,06,070**	**2,10,860**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ चालू मूल्य के साथ–साथ स्थिर मूल्य पर नीचे **तालिका 1.4** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.4: जी0एस0डी0पी0[2] के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/ पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
चालू मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
चालू मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.70	13.78	22.58	9.84	11.23
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	58,406	63,754	76,898	80,599	86,998
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.79	9.16	20.62	4.81	7.94
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	21.73	22.87	26.02	24.79	24.09
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व व्यय					
चालू मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
चालू मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.71	16.15	15.22	13.33	8.29
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	52,947	59,000	66,893	72,340	76,018
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.93	11.43	13.38	8.14	5.08
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	19.70	21.16	22.63	22.25	21.05
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
चालू मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	14,001	18,150	23,966	27,208	28,907
चालू मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	46.08	29.64	32.04	13.53	6.24
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,865	14,756	19,173	20,769	21,413
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	36.56	24.37	29.93	8.32	3.10
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	4.42	5.29	6.49	6.39	5.93

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, जी0एस0डी0पी0 प्रतिशत के रूप में, 2013–14 से तुलनात्मक रूप में 2017–18 में बढ़ा है। राजस्व प्राप्तियों को छोड़कर उनके वृद्धि दर को मुद्रास्फीति (स्थिर मूल्य पर) की गणना करने पर 2016–17 के तुलना में 2017–18 में इनकी वृद्धि दर में कमी हुई। विशेष रूप से पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष से काफी कम था।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन बजट में दिए गए प्रमुख परिवर्तनों के अंतर्गत, चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार वास्तविकी और लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित **तालिका 1.5** में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण से यह परिलक्षित हुआ कि ₹ 227.06 करोड़ राजस्व अधिशेष अधिक बतलाया गया था जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 227.06 करोड़ कम बतलाया गया था। दूसरे शब्दों में वास्तविक राजस्व अधिशेष ₹ 14,595.95 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 14,531.89 करोड़ है। यह प्रतिवेदन के अंतिम भाग में कंडिका 3.14 एवं **तालिका 3.7** में वर्णित है।

[2] जी0एस0डी0पी0 डिफ्लेटर = जी0एस0डी0पी0 चालू मूल्य पर/जी0एस0डी0पी0 स्थिर मूल्य पर

तालिका 1.5: 2017–18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविकी	लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	₹ 14,555.59 का अधिशेष	₹ 14,823.01	₹ 14,595.95
चालू मूल्य पर राजकोषीय घाटा/ जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)	3.50	3.00	2.87	2.93	2.98
चालू मूल्य पर जी0एस0डी0पी0 की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	24.84	19.81	19.81	32.15	32.15

(स्रोतः चौदहवें वित्त आयोग, बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम तथा वर्ष 2017–18 के लिए बजट आँकड़े)

राज्य ने राजस्व अधिशेष का लक्ष्य हासिल किया लेकिन जी0एस0डी0पी0 से बकाया ऋण के अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं किया। 14वें वित्त आयोग एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया परंतु बजट अनुमानों के अनुसार इनका लक्ष्य हासिल नहीं हो सका।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटे की संरचना एवं वित्त पोषण

राजकोषीय घाटा, राजस्व और गैर–ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य के कुल वित्त पोषण (मुख्य रूप से आर0बी0आई0 से अपने नकदी और निवेशित शेष की निकासी एवं उधारी द्वारा) का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषक का स्वरूप **तालिका 1.6** में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.6: राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसका वित्त पोषक

(₹ करोड़ में)

विवरण		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटा (कोष्ठक में दिए गए आँकड़े जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत को दर्शाते है)		**8,351.92 (2.63)**	**11,178.50 (3.26)**	**12,061.59 (3.26)**	**16,479.15 (3.87)**	**14,304.83 (2.93)**
1	राजस्व अधिशेष	6,441.42	5,847.56	12,507.16	10,819.81	14,823.01
2	पूँजीगत व्यय	14,001.00	18,150.41	23,966.02	27,208.40	28,906.95
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	792.35	1,124.35	602.73	90.56	220.90
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप*						
1	बाजार उधारी	5,346.77	6,666.51	10,233.12	16,804.96	8,908.00
2	भारत सरकार से ऋण	(-)11.07	84.67	115.86	757.51	586.11
3	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूति	631.52	3,150.22	2,024.86	(-)1,713.12	(-)1,768.75
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	820.31	407.18	1,884.33	1,512.84	790.51
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 297.90	(-) 182.77	(-)73.58	99.63	(-)80.25
6	जमा एवं अग्रिम	3,668.41	2,222.57	3,731.69	5,393.40	10,314.32
7	उचंत तथा विविध	(-) 2,007.59	(-) 1,231.88	(-) 5,245.97	(-)5,666.65	(-)3,813.95
8	प्रेषण	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-) 2.76
9	आरक्षित निधि	262.31	(-) 245.12	(-) 401.15	(-) 712.03	(-) 696.39
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
11	नकद शेष में कमी/ वृद्धि#	(-) 41.82	319.10	(-) 213.62	9.66	68.00
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**8,351.92**	**11,178.50**	**12,061.59**	**16,479.15**	**14,304.84**

** ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बर्हिगमन के है।*
 # नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)।

(स्रोतः संबंधित वर्षों का वित्त लेखे)

1.1.2.2 घाटा की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटा पूर्व में लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान को छोड़कर चालू वर्ष के वित्तीय परिचालन का प्रमाण है। राज्य का प्राथमिक घाटा **तालिका 1.7** में दिखाया गया है।

तालिका 1.7: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ[3]	प्राथमिक व्यय[4]	राजकोषीय घाटा	ब्याज अदायगी	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2013-14	68,934	71,826	8,352	5,460	2,892
2014-15	79,910	84,960	11,179	6,129	5,050
2015-16	96,142	1,01,105	12,061	7,098	4,963
2016-17	1,05,608	1,13,896	16,479	8,191	8,288
2017-18	1,17,469	1,22,720	14,305	9,054	5,251

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखा)

राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2013–14 में ₹ 2,892 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 5,251 करोड़ हो गया है। जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। फिर भी, वर्ष 2016–17 की तुलना में राजकोषीय घाटों और प्राथमिक घाटों में क्रमशः 13 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की कमी आयी।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी, बजट तैयार करने में या तो असंभावित और अप्रत्याशित घटनाओं या कम/अधिक राजस्व या व्यय के अनुमान के कारण होता है। इसका विपरीत प्रभाव वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर पड़ता है।

वर्ष 2017–18 के चयनित राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी **चार्ट 1.1** एवं ***परिशिष्ट 1.4*** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2017–18 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

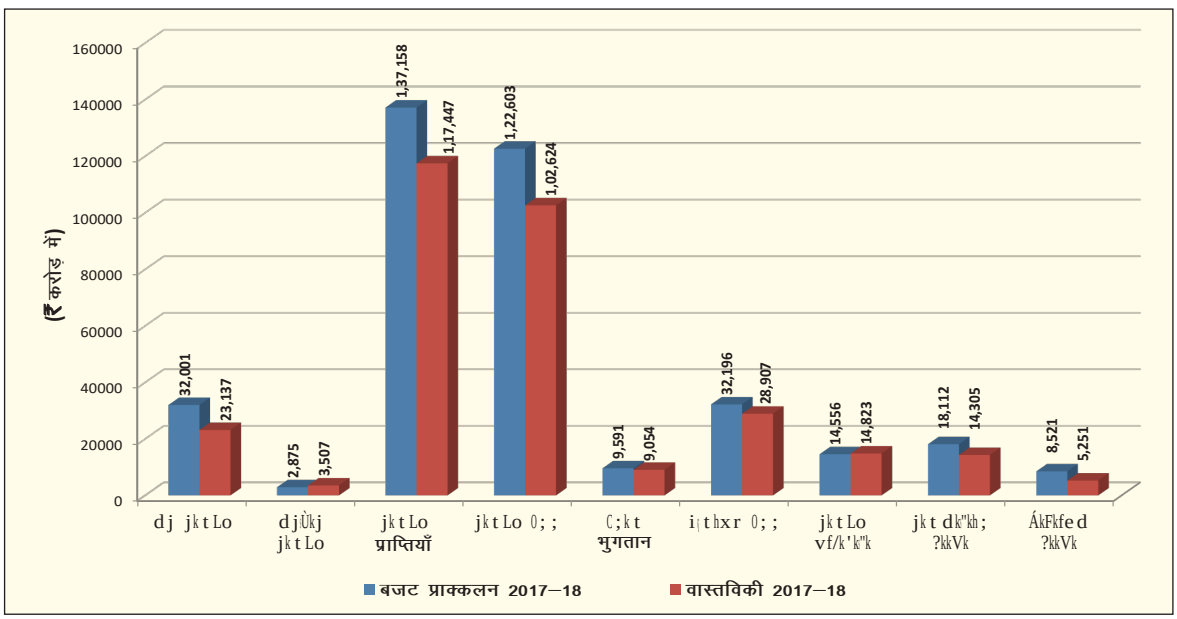

(स्रोत: बजट दस्तावेज तथा राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2017–18)

[3] गैर ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ और प्राप्तियाँ का योग है।

[4] प्राथमिक राजस्व व्यय (राजस्व व्यय – ब्याज भुगतान)+ पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम

उपर्युक्त चार्ट 2017–18 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तविक आँकड़ों में हुए परिवर्त्तन को दर्शाता है, जिसकी समीक्षा नीचे दी गयी है:

राजस्व प्राप्तियाँ	कर राजस्व में 27.70 प्रतिशत और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों में 30.40 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 14.37 प्रतिशत कम था।
राजस्व व्यय	सामान्य सेवाओं में 19.78 प्रतिशत (प्रशासनिक सेवाएँ में 14.71 प्रतिशत और पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं में 29.92 प्रतिशत की कमी) और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 14.14 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण में 65.81 प्रतिशत और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास में 48.86 प्रतिशत) की कमी के कारण यह बजट आकलन से 16.30 प्रतिशत कम था।
पूँजीगत व्यय	सामान्य सेवाओं में 17.87 प्रतिशत एवं आर्थिक सेवाओं में 7.44 प्रतिशत (कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में 36.14 प्रतिशत और ग्रामीण विकास में 28.19 प्रतिशत) में कमी के कारण यह बजट आकलन से 10.22 प्रतिशत कम था।
राजस्व अधिशेष	राजस्व व्यय में 16.30 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 1.84 प्रतिशत अधिक था। जबकि राजस्व प्राप्ति 14.37 प्रतिशत कम था।
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय में 16.30 प्रतिशत एवं पूँजीगत व्यय में 10.22 प्रतिशत की कमी के कारण राजकोषीय घाटा बजट आकलन से 21.02 प्रतिशत कम था।
प्राथमिक घाटा	प्राथमिक घाटा बजट आकलन से 38.37 प्रतिशत कम था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।*

1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

वर्ष 2013–18 के दौरान कुल प्राप्तियों के विभिन्न घटक, इन घटकों के विचलन की प्रवृत्ति और 2017–18 के दौरान संसाधनों के संघटक को क्रमशः **चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2017–18 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)

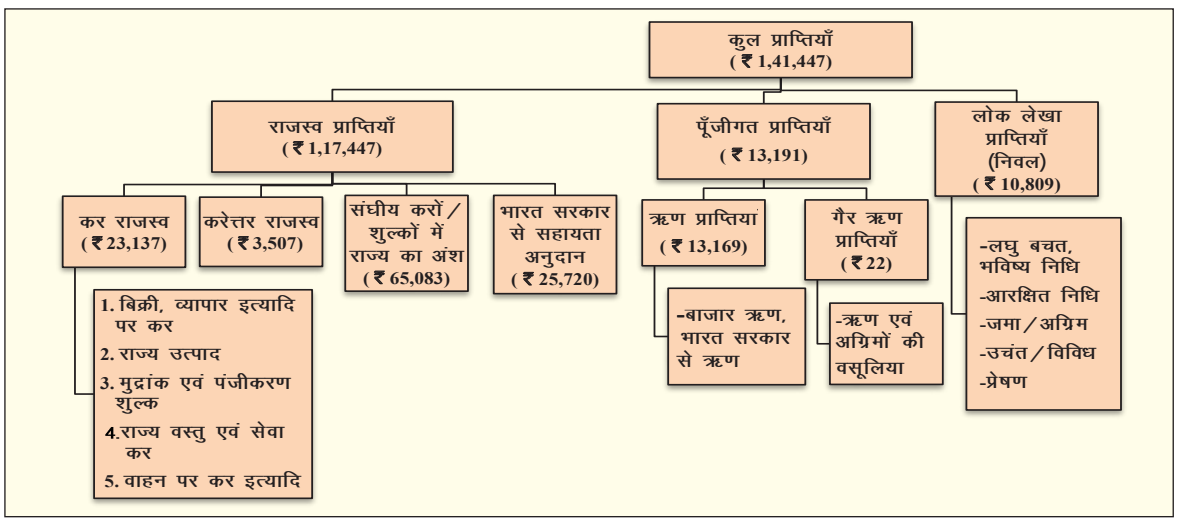

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2017–18)

चार्ट 1.3: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्ति

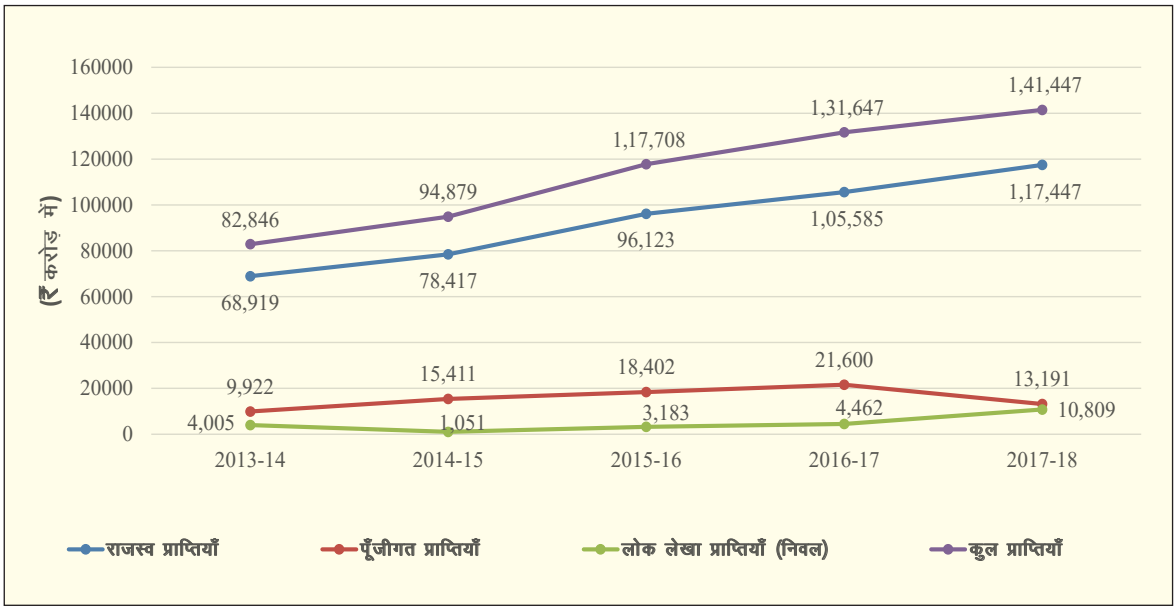

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: वर्ष 2017–18 के दौरान कुल प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

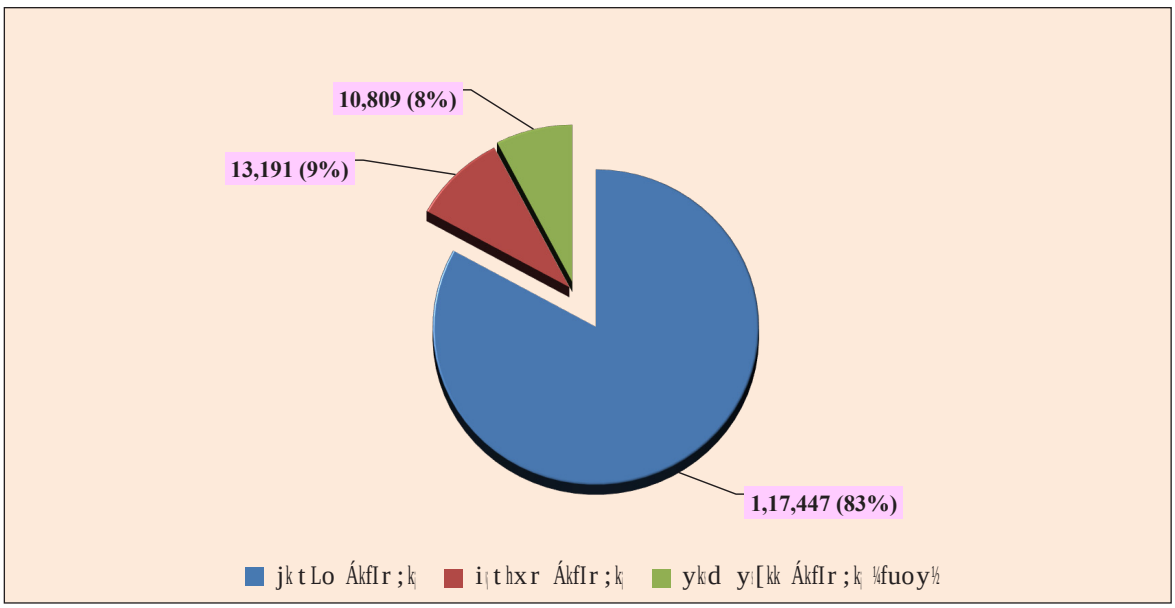

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण–14 राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत ब्यौरा देता है। वर्ष 2013–18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को ***परिशिष्ट 1.5*** तथा **चार्ट 1.5** में भी क्रमशः दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: वर्ष 2013–18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना/घटक

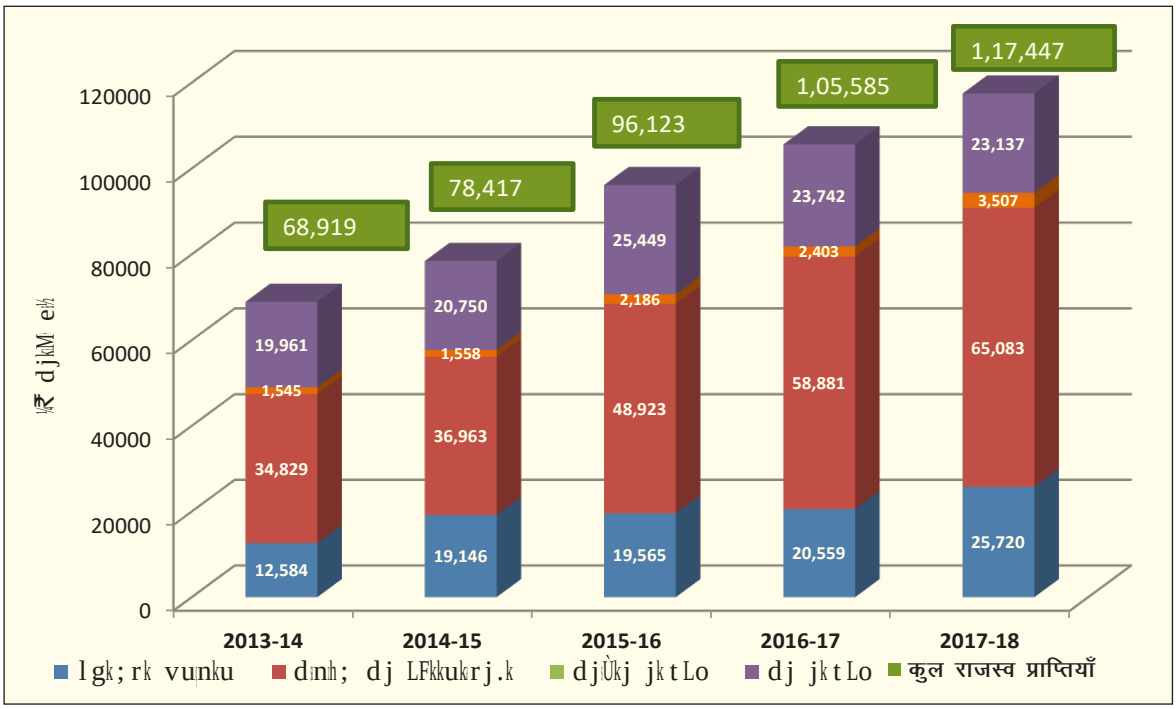

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2013–18 के दौरान राज्य के स्वयं राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत से 31 प्रतिशत आता है। राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख घटक केंद्रीय कर स्थानांतरण था जो 47 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के बीच था।

1.2.2.1 राज्य के स्व–संसाधन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राजस्व और करेत्तर राजस्व के अनुसार किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान शामिल नहीं है जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते है।

राज्य के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व एवं बजट अनुमानों की तुलना नीचे **तालिका 1.8** में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2017–18 के लिए प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	32,001.12	23,136.49
करेत्तर राजस्व	2,874.96	3,506.74

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे एवं बजट प्राक्कलन)

कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2016–17 में ₹ 23,742 करोड़ से 2.55 प्रतिशत घटकर 2017–18 में ₹ 23,137 करोड़ रह गया। कमी/वृद्धि के मुख्य संघटक नीचे **तालिका 1.9** में दिए गए है:–

तालिका 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016–17 से 2017–18 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,453	8,607	10,603	11,873	8,298	(-) 30.11
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	6,747	-
राज्य उत्पाद शुल्क	3,168	3,217	3,142	30	(-) 3	(-) 110.00
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,712	2,699	3,409	2,982	3,726	24.95
वाहन कर	837	964	1,081	1,257	1,599	27.21
भू–राजस्व	202	277	695	971	779	(-) 19.77
माल एवं यात्रियों पर कर	4,349	4,451	6,087	6,245	1,645	(-) 73.66
अन्य कर	240	535	432	384	346	(-) 9.90
योग	**19,961**	**20,750**	**25,449**	**23,742**	**23,137**	**(-) 2.55**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और माल एवं यात्रियों पर कर में कमी जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में कमी अप्रैल 2016 से राज्य में मद्यनिषेध लागू होने के कारण हुई। मद्यनिषेध लागू होने से राजस्व प्राप्तियों के अंर्तगत कर राजस्व का अंशदान 2015–16 के 26.47 प्रतिशत से घटकर 2016–17 में 22.49 प्रतिशत रह गया। 2016–17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण मुख्यतः केंद्रीय कर स्थानांतरण में 2015–16 के 51 प्रतिशत की तुलना में 2016–17 में 56 प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य का स्व कर राजस्व मध्यप्रदेश (6.34 प्रतिशत), झारखंड (4.84 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (8.52 प्रतिशत) एवं छत्तीसगढ़ (6.82 प्रतिशत), के तुलना में केवल 4.74 प्रतिशत था।

करेत्तर राजस्व

2013–18 के दौरान करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10: करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेत्तर राजस्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016–17 से 2017–18 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
ब्याज प्राप्तियाँ	269.48	344.77	583.66	939.91	1,577.24	67.81
गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	569.14	879.87	971.34	997.60	1,082.67	8.53
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	706.21	333.34	630.64	465.61	846.83	81.88
योग	**1,544.83**	**1,557.98**	**2,185.64**	**2,403.12**	**3,506.74**	**45.92**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य का स्व संसाधन 2016–17 के ₹ 26,145.38 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 26,643.23 करोड़ हो गया।

1.2.2.2 वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)

राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर कानून कार्यान्वित किया है जो 1 जुलाई 2017 से प्रभाव में हैं। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों का क्षतिपूर्ति) कानून 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्षों की अवधि के लिए जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान की भरवाई करेगी। राज्य को देय क्षतिपूरक की गणना अंतिम राजस्व के आँकड़े की प्राप्ति के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाएगा जिसकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा की जायगी। जी0एस0टी0 के तहत लगाए गए करों का एक आधार वर्ष (2015–16) का राजस्व आँकड़ा जी0एस0टी0 अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया है। बिहार के मामले में, आधार वर्ष (2015–16) में राजस्व ₹ 12,620.56 करोड़ था। राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़े के अनुसार वर्ष 2017–18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 12,301.25 करोड़ था। वर्ष 2017–18 के लिए जी0एस0टी0 के तहत राजस्व आँकड़ा को राजस्व प्राप्ति के प्रकृति के अनुसार वित्त लेखे में दर्शाया गया है यानि, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0), एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर), एस0जी0एस0टी0 के कर घटक का आई0जी0एस0टी0 हस्तांरतण और आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम का हस्तांतरण। वर्ष 2017–18 के दौरान जी0एस0टी0 के तहत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 12,301.25 करोड़ के विरूद्ध अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ **तालिका 1.11** में दी गई है।

तालिका–1.11: जी0एस0टी0 के पूर्व और एस0जी0एस0टी0 संग्रह, आई0जी0एस0टी0 का औपबंधिक बंटवारा, और भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान राज्य के प्रस्तावित राजस्व के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा प्राप्त आई0 जी0एस0टी0 की क्षतिपूर्ति।

(₹ करोड़ में)

महीना	राजस्व की रक्षा	पूर्व जी0एस0टी0 एकत्रित*	एस0जी0एस0टी0 संग्रह	आई0जी0एस0टी0 का औपबंधिक बटवारा	कुल प्राप्त राशि**	क्षतिपूरक प्राप्त***	कमी / वृद्धि	अभियुक्ति
	1	2	3	4	5= (2+3+4)	6	7= {1-(5+6)}	8
जुलाई और अगस्त 2017	2,733.61	1,401.70	375.64	-	1,777.34	-	(-) 956.27	₹ 552.00 करोड़ की राषि विभाजन अग्रिम के रूप में आई. जी.एस.टी. को प्रदान की गयी जिसकी कटौती अगले वित्तीय वर्ष 2018–19 में होगी।
सितम्बर और अक्टूबर 2017	2,733.61	273.85	571.00	1,113.26	1,958.11	692.00	(-) 83.50	
नवम्बर और दिसम्बर 2017	2,733.61	165.19	547.84	1,093.66	1,806.69	1,054.00	127.08	
जनवरी और फरवरी 2018	2,733.61	175.06	551.62	1,087.00	1,813.68	373.00	(-) 546.93	
मार्च 2018	1,366.81	415.32	316.80	538.03	1,270.15	922.00	825.34	
कुल	**12,301.25**	**2,431.12**	**2,362.90**	**3,831.95**	**8,625.97**	**3,041.00**	**(-) 634.28**	

** वैट और सी.एस.टी. समेत (कुल रिफंड) और कर से प्राप्त राजस्व जो जी.एस.टी. इसमें पेट्रोलियम और मद्य पर भारित कर शामिल नहीं है।*
*** लेखापरीक्षित आँकड़े।*
**** क्षतिपूर्ति के आँकड़े औपबंधिक हैं।*

उपरोक्त तालिका 1.11 से देखा जा सकता है कि जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन के कारण 2017–18 में ₹ 634.28 करोड़ का घाटा हुआ। जबकि ₹ 552.00 करोड़ आई0जी0एस0टी0 के अग्रिम विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ जिसका समायोजन अगले वित्तीय वर्ष यथा 2018–19 में किया जाना है। इस प्रकार, जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन

के कारण कुल घाटा ₹ 82.28 करोड़ था। तथापि ₹ 99.00 करोड़ (माह मार्च 2018 के लिए) की क्षतिपूर्ति इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार से मई 2018 में प्राप्त हुआ आधिक्य भुगतान का वसूली भविष्य में किए जाने वाले दावों या राज्य सरकार के खातों से प्रत्यक्ष आहरण जैसा भी नियम हो द्वारा किया जाना है।

1.2.2.3 संग्रहण पर लागत

वर्ष 2017–18 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण एवं उस पर हुए लागतों का विवरण **तालिका 1.12** में दिया गया है:

तालिका 1.12: राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण एवं व्यय

क्रम सं0	विवरण	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वैट/बिक्री कर	8,298.10	72.30	0.87	0.69
2	राज्य उत्पाद शुल्क	(-)3.43	82.44	2,403.50	2.01
3	वाहन कर	1,599.51	61.62	3.85	2.61
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	3,725.66	53.85	1.45	2.99
5	एस.जी.एस.टी.	6,746.96	71.95	1.07	-
कुल		**20,366.80**	**342.16**	**1.70**	**-**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे)

जैसा कि उपर की तालिका से प्रदर्शित होता है कि राज्य उत्पाद कर के संग्रहण पर व्यय अखिल भारतीय औसत से ज्यादा था। यह मुख्यतः अप्रैल 2016 से राज्य में मद्य पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुआ।

तालिका 1.13: सकल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत

वर्ष	वैट/बिक्री कर		वाहन कर		मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क		राज्य उत्पाद शुल्क	
	बि.स.	भा.स.	बि.स.	भा.स.	बि.स.	भा.स.	बि.स.	भा.स.
2013-14	0.83	0.88	3.55	6.25	2.03	3.37	1.44	1.81
2014-15	1.11	0.91	3.97	6.08	1.40	3.59	1.53	2.09
2015-16	0.53	0.66	3.68	4.99	1.62	2.87	1.58	3.21
2016-17	0.64	0.69	3.67	2.61	1.60	2.99	310.05	2.01
2017-18	0.87	--	3.85	--	1.45	--	2,403.50	--

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

हलाँकि वैट/बिक्री कर एवं वाहन कर के संग्रहण में लागत पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत से ज्यादा था।

1.2.2.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार सहायता अनुदान और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश प्राप्त करती है। भारत सरकार के अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 1.14** में दिया गया है।

तालिका 1.14: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर–योजना अनुदान	3,288.13	3271.21	3,434.43	4,505.51	(-) 5.00
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	6,238.39	14,935.68	13,886.33	13,952.92	(-) 2.20
केन्द्र एवं केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	136.65	117.49	2,083.98	1,422.91	(-) 1.00
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	2,920.86	821.88	160.86	677.68	13,312.26
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	4,525.06
राज्य के लिए अनुदान	-	-	-	-	7,891.01
कुल	**12,584.03**	**19,146.26**	**19,565.60**	**20,559.02**	**25,720.13**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	22.44	52.15	2.19	5.08	25.10
राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	18.26	24.42	20.35	19.47	21.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में सहायता अनुदान में ₹ 5,161.11 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण राजस्व घाटे के क्षतिपूर्ति (₹ 3,041 करोड़) के रूप में थी।

1.2.2.5 बकाया राजस्व

बकाये राजस्व का विवरण नीचे **तालिका 1.15** में है:

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2018 को कुल लंबित राशि	5 वर्षों से अधिक की लंबित राशि
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	वाणिज्य कर विभाग	2,945.25	625.30
2.	माल एवं यात्रियों पर कर		1,332.34	12.97
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क		22.99	2.25
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		10.58	8.22
5.	वाहन कर	परिवहन विभाग	1.89	अनुपलब्ध
6.	भू–राजस्व	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	143.26	अनुपलब्ध
7.	राज्य उत्पाद	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	49.40	22.23
8.	खनन एवं भूतत्व	खनन एवं भूतत्व विभाग	287.51	287.51
योग			**4,793.22**	**958.48**

(स्रोत: संबंधित विभाग)

अनुशंसा: *वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण किया जा सके जिससे राज्य के राजकोषीय घाटे के भार को कम किया जा सके।*

1.2.3 पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2013–18 के दौरान पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृति **तालिका 1.16** में दी गई है।

तालिका 1.16: पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	9,922	15,411	18,402	21,600	13,191
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	*15*	*1,493*	*19*	*23*	*22*
लोक ऋण प्राप्तियाँ	*9,907*	*13,918*	*18,383*	*21,577*	13,169
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	04	40	32	18	(-)39
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	04	55	19	17	(-)39

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2016–17 के ₹ 21,600 करोड़ से घटकर वर्ष 2017–18 में ₹ 13,191 करोड़ रह गया यह कमी मुख्यतः लोक ऋण प्राप्तियाँ में 2016–17 के ₹ 21,577 करोड़ से 2017–18 में ₹ 13,169 करोड़ (₹ 8,408 करोड़) के कारण हुई।

पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी मुख्यतः राजस्व अधिशेष में ₹ 4003.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.17** में दिया गया है।

तालिका 1.17: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरणी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार उधारी	6,500	8,100	11,500	17,700	10,000
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,471	1,154	1,204	1,588	1,771
अन्य[5]	1,386	3,946	4,861	777	0

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेश से प्राप्त ब्याज की तुलना में उच्च दर पर उधार के प्रभाव का वर्णन ***कंडिका 1.4.3*** में किया गया है।

1.2.3.2. भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2013–18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण ***तालिका 1.18*** में दिया गया है।

तालिका 1.18: भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	550	718	818	1,512	1,398

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[5] बॉन्ड्स, रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अर्थोपाय एवं अग्रिम और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रत्याभूतियाँ

पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 114 करोड़ की कमी मुख्यतः राजस्व अधिशेष में ₹ 4003.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन–देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है जैसे लघु बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधि आदि, की प्राप्तियों एवं संवितरण को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखा जाता है तथा इसके लिए राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर/ट्रस्टी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरणी 21 में दी गई है और लोक लेखे की प्राप्तियों (निवल) का विवरण **तालिका 1.19** में दिया गया है।

तालिका 1.19: लोक लेखा प्राप्तियों (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	**4,005.21**	**1,050.64**	**3,183.04**	**4,462.44**	**10,808.32**
(अ) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58	99.63	(-)80.25
(ब) आरक्षित निधि	698.58	730.13	90.69	(-) 129.15	(-)2.79
(स) जमा एवं अग्रिम	3,668.40	2,222.58	3,731.69	5,393.40	10,314.32
(द) उचंत एवं विविध	(-) 44.86	(-) 1,707.32	(-) 571.81	(-) 894.39	579.80
(ड़) प्रेषण	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-)2.76

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन के प्रभाव की चर्चा **कंडिका 1.5.2** में की गई है।

1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.3.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

वर्ष 2013–18 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को **चार्ट 1.6** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.6: कुल व्ययः संघटक एंव प्रवृत्तियाँ

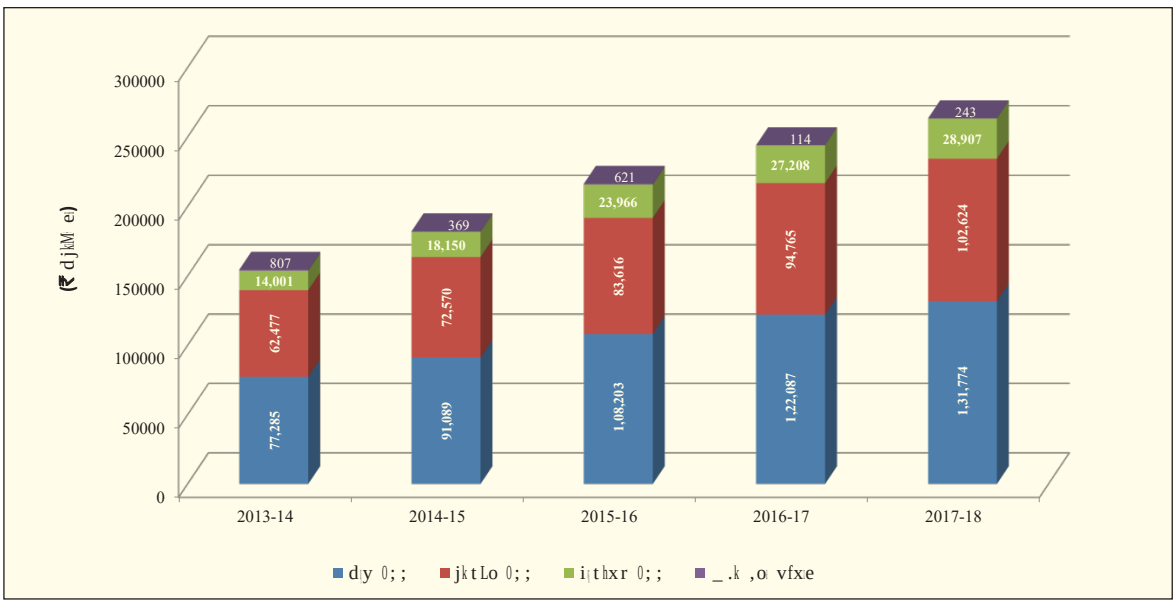

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.2 राजस्व व्यय

योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का विवरण ***तालिका 1.20*** में दिया गया है।

तालिका 1.20: योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल राजस्व व्यय	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	43,381	47,059	53,965	61,189	66,673
योजना राजस्व व्यय	19,096	25,511	29,651	33,576	35,951
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.45	8.48	14.68	13.39	8.96
योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.05	33.59	16.23	13.24	7.07

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय का विवरण **तालिका 1.21** में दिया गया है।

तालिका 1.21: योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय	77,285	91,089	1,08,203	1,22,087	1,31,774
पूँजीगत व्यय	14,001	18,150	23,966	27,208	28,907
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय	97	58	36	16	41
योजना पूँजीगत व्यय	13,904	18,092	23,930	27,192	28,866
ऋण एवं अग्रिम	807	369	621	114	243
पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	46.07	29.63	32.04	13.53	6.24
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.30	(-) 40.21	(-) 37.93	(-) 55.56	156.25
योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	46.48	30.12	32.27	13.63	6.16
चालू मूल्य पर जी0एस0डी0पी0 की तुलना में पूँजीगत व्यय (प्रतिशत में)	4.42	5.29	6.49	6.39	5.93

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017–18 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय ₹ 28,907 करोड़ में से, राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सहकारी समितियों में ₹ 7,120.82 करोड़ का निवेश किया। जिसमें से ₹ 6,931.11 करोड़ का निवेश बिहार राज्य ऊर्जा (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड परियोजना में किया गया। दूसरे मुख्य व्ययों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर ₹ 6,388 करोड़, सड़क एवं पुलों पर ₹ 5,373 करोड़, जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर ₹ 1,764 करोड़, लोक निर्माण पर ₹ 1,665 करोड़ और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर ₹ 1,519 करोड़ खर्च किए गए।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राज्य का पूँजीगत व्यय 5.93 प्रतिशत इसके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश (4.37 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (2.84 प्रतिशत) झारखंड (4.68 प्रतिशत) और छत्तीसगढ (3.43 प्रतिशत) से ज्यादा था।

1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 17,778.74 करोड़), पेंशन (₹ 14,293.48 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 9,053.78 करोड़), तथा सब्सिडी (₹ 5,023.06 करोड़) शामिल है। कुल प्रतिबद्ध व्यय (₹ 46,149.06 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 66,673 करोड़) का 69.22 प्रतिशत है। **तालिका 1.22** 2013–18 के दौरान किए गए प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.22: प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
1	**वेतन एवं मजदूरी जिसमें**	**14,036.67** *(20.37)*	**14,607.44** *(18.63)*	**14,923.73** *(15.52)*	**15,784.04** *(14.95)*	**18,656.93**	**17,778.74** *(15.14)*
1(अ)	*स्थापना एवं प्रतिबद्ध*	13,315.36	13,910.31	14,307.22	15,106.13	18,009.89	16,948.39
1(ब)	*योजना*	721.31	697.13	616.51	677.91	647.04	830.35
2	**ब्याज भुगतान**	**5,459.04** *(7.92)*	**6,128.75** *(7.82)*	**7,097.69** *(7.38)*	**8,190.70** *(7.76)*	**9,591.35**	**9,053.78** *(7.71)*
3	**पेंशन पर व्यय**	**9,481.73** *(13.76)*	**11,344.50** *(14.47)*	**11,830.46** *(12.31)*	**12,514.52** *(11.85)*	**19,877.63**	**14,293.48** *(12.17)*
4	**सब्सिडी**	**1,464.38** *(2.12)*	**4,628.36** *(5.90)*	**9,010.45** *(9.37)*	**8,757.44** *(8.29)*	**6,628.75**	**5,023.06** *(4.27)*
5	**कुल प्रतिबद्ध व्यय**	**30,441.82** *(44.17)*	**36,709.05** *(46.81)*	**42,862.33** *(44.59)*	**45,246.70** *(42.85)*	**54,754.66**	**46,149.06** *(39.29)*

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से वास्तविक व्यय के प्रतिशत को दर्शाते है।

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2017–18)

1.3.4.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में परिभाषित हैं। इस योजना में, कर्मचारी मूल वेतन और महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है इसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और पूरी राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरण कर दिया जाता है। 31 मार्च 2010 तक केन्द्रीकृत रिकार्ड कीपिंग एवं एकाउन्टी एजेन्सी और पेंशन फंड मैनेजर की नियमित व्यवस्था होने तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रिकार्ड एवं लेखा का संधारण बिहार सरकार द्वारा किया गया। 1 अप्रैल 2010 से बिहार सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सम्बंधित खाते का प्रबंधन एन0एस0डी0एल0– सी0आर0ए0 द्वारा किया जा रहा है।

वी0एल0सी0 आँकड़े के जाँच से यह पता चला कि 2017–18 के दौरान एन0पी0एस0 के लिए ₹ 934.94 करोड़ का अंशदान था तथा सरकार ने ₹ 937.34 करोड़ एन0एस0डी0एल0 में जमा किए जिसमें से ₹ 2.34 करोड़

पिछले वर्ष के थे। 2005–06 से 2017–18 के कुल अंशदान ₹ 3,891.21 करोड़ में से केवल ₹ 3,762.93 करोड़ ही एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित किए गए तथा ₹ 128.28 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8011 एवं 8342 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 41.32 करोड़ एवं ₹ 86.96 करोड़) शेष रह गया। इस प्रकार वर्तमान दायित्व भविष्य के लिए विलम्बित की गई।

राज्य सरकार कर्मियों के एन0पी0एस0 खाते दो अवधियों पहला 01.09.2005 से 31.03.2010 तक तथा दूसरा 01.04.2010 से आगे, से संबंधित है। पहली अवधि के दौरान कर्मियों के एन0पी0एस0 खाते एन0एस0डी0एल0 से नहीं खोले गए बल्कि राज्य सरकार ने कर्मियों पर अंशदायी पेंशन योजना लागू की जिसमें कर्मियों के खातों का संधारण भविष्य निधि निदेशालय (पी0एफ0डी0) लागू कर बिहार (वित्त विभाग की इकाई) द्वारा किया जाता था। दूसरी अवधि के दौरान यथा 01.04.2010 के बाद (जो 01.09.2005 के बाद सेवा में नियुक्त हुए) के एन0पी0एस0 खाते राज्य सरकार द्वारा एन0एस0डी0एल0 में खोले गए और इसके अलावा 01.04.2010 से नियमित अंशदान, संबंधित पूर्व आँकड़े तथा राशि भी एन0एस0डी0एल0 में अंतरित कर दी गयी। आगे, चूँकि वित्त विभाग (दिसम्बर 2018) ने बताया था कि पहली अवधि से संबंधित पूर्व निधि (लिगेसी फंड) पूरी तरह से एन0एस0डी0एल0 को अंतरित कर दिया गया है, परन्तु इसी बात को पी0एफ0डी0 जो उन खातों/लेखे के संधारण के लिए जवाबदेह थी, से पूछने पर (मार्च 2019 में) जवाब दिया गया कि अंशदायी पेंशन योजना (सी0पी0एस0) राशि (जो कोषागार में पड़ी थी) का एन0पी0एस0 खातों में अंतरण के लिए मैपिंग में दो माह का समय लगेगा और अंतिम जवाब 31.08.2019 तक उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा इस तरह का जवाब (दिसम्बर 2018) दिया जाना स्वीकार्य नहीं है।

बिहार सरकार के आदेश संख्या 16, दिनांक– 06.01.2016 के अनुसार ब्याज का भुगतान बिहार सरकार द्वारा जी0पी0एफ0 दर पर कुल योगदान पर 31 मार्च 2016 तक या जब तक राशि एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित न हो जाए, जो पहले किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि बिहार सरकार द्वारा योगदान पर ब्याज की गणना अगस्त 2017 तक नहीं की गई। 01.09.2005 से 31.03.2010 की अवधि के लिए ₹ 70.01 करोड़ की निधि अंतरण न होने के कारण सरकार द्वारा ₹ 34.24 करोड़ की कल्पित देनदारी सृजन हो गयी। इसके अलावा, वित्त लेखे के अनुसार संबंधित शीर्ष 2049–03–117–0001 में ब्याज का भुगतान वर्ष 2017–18 तक बिहार सरकार द्वारा नहीं किया गया। नई पेंशन प्रणाली की संचित निधि पर ब्याज की गणना नहीं करने के परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान न करने पर सरकारी कर्मचारियों को उनके एन0पी0एस0 फंड की मूल्यांकन करने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

ऐसी परिस्थितियों में क्या 01.09.2005 को या उससे बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के एन0पी0एस0 खाते खोले गए तथा उनके वेतन से कटौती की गयी राशि उचित रूप से उनके व्यक्तिगत एन0पी0एस0 खातों में अंतिरत की गयी, इसका उचित जवाब राज्य सरकार द्वारा अभी तक दिया जाना बाकी है। जैसा कि 1 सितम्बर 2005 से 31 मार्च 2010 के दौरान एन0पी0एस0 प्रणाली में ब्योरो परिग्रहण के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसलिए राज्य सरकार ने गलत तरीके से निधि का उपयोग किया जो उसके कर्मचारियों से संबंधित थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को सरकार को दी जाने वाली वित्तीय देयताओ के रिटर्न की दर की संभावित अनिश्चितता उत्पन्न करती है तथा इसलिए यह अपने आप में योजना की विफलता है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई कर सुनिश्चित करना चाहिए कि 1 सितम्बर 2005 या उसके बाद में भर्ती कर्मचारियों उनकी भर्ती की तिथि से नयी पेंशन प्रणाली के अधीन पूर्णतः शामिल हो। यह काम यह सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों की कटौती पूरी तरह से कटौती की जाती हो, जो सरकारी योगदान से पूर्णतः मेल खाता हो एवं एन0एस0डी0एल0 में ससमय पूर्णतः अंतरित होता है।*

1.3.5 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन आयाम निहित होते हैं, यथा व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावकारिता (सेवाओं हेतु परिव्यय–परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.3.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2017–18 के दौरान पूँजीगत व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और विकासात्मक व्यय के संदर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण ***तालिका 1.23*** में किया गया हैं।

तालिका 1.23: वर्ष 2013–14 और 2017–18 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (जी0एस0डी0पी0 का प्रतिशतता)	ए.ई./ जी.एस. डी.पी.	डी. ई[#]/ ए.ई.	ई.एस. ई./ए. ई.	एस.एस. ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 2013–14	14.70	66.50	28.9	37.60	13.60	17.20	4.50
बिहार का औसत 2013–14	24.37	69.77	33.2	36.56	18.12	19.47	3.33
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 2017–18	16.10	67.90	29.6	36.70	14.40	15.50	4.90
बिहार का औसत 2017–18	27.02	72.56	34.6	37.97	21.94	18.85	4.69
	ए.ई.–कुल व्यय, डी.ई.–विकासात्मक व्यय, एस.एस.ई.–सामाजिक सेवा व्यय, ई.एस.ई.–आर्थिक सेवा व्यय सी.ई.–पूँजीगत व्यय, [#]डी.ई.: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।						

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका से स्पष्ट है कि, विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय पूँजीगत व्यय और शिक्षा सेवाओं पर कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, कुल व्यय में शिक्षा का अंश चार वर्षों की अवधि में 2017–18 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

1.3.5.2 व्यय की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के संचालन हेतु पूँजीगत और राजस्व व्ययों का विवरण नीचे **तालिका 1.24** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.24: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक संरचना	2016-17		2017-18	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू[6] का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश
सामान्य शिक्षा	3.38	22.59	4.99	22.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.85	48.34	9.14	46.86
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	15.05	3.12	25.40	4.55
कुल (सामाजिक सेवाएँ)	**8.42**	**21.75**	**9.74**	**22.00**
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5.30	22.71	5.18	16.27
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	63.14	56.91	67.20	51.20
विद्युत एवं ऊर्जा	42.71	0.00	61.69	0.00
परिवहन	75.81	12.98	79.40	19.05
कुल (आर्थिक सेवाएँ)	**50.85**	**10.51**	**58.83**	**14.32**
कुल (सामाजिक + आर्थिक सेवाएँ)	**26.87**	**18.46**	**29.59**	**20.18**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[6] वेतन एवं मजदूरी

1.4 सरकारी व्यय एवं निवेश

1.4.1 सिंचाई कार्यों का वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय) के वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए इन परियोजनाओं से वसूली की दर निर्धारित की थी। वर्ष 2013–18 की अवधि के दौरान राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 1.25** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.25: सिंचाई परियोजनाओं से लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	13वें वित्त आयोग (2010–15)/14वें वित्त आयोग (2015–20) का लागत वसूली आकलन	राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय	लागत वसूली में अंतर
	(₹ करोड़ में)		*(प्रतिशत में)*		
2013-14	724.69	23.52	60	3	57
2014-15	680.96	21.34	75	3	72
2015-16	846.14	31.11	35	4	31
2016-17	680.98	28.23	35	4	31
2017-18	792.06	44.70	35	6	29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 13वें और 14वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

लागत वसूली में अंतर (29 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों, यथा मध्य प्रदेश (–47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (21 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (–76 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।

1.4.2 अपूर्ण परियोजनाओं

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि अवरूद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। वित्त लेखे में शामिल अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण सारांशीकृत रूप में **तालिका 1.26** में दी गई है:

तालिका 1.26: 31 मार्च 2018 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2018 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	13	59.51	10.86
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	62	533.01	326.72
पथ निर्माण	25	781.76	334.21
भवन निर्माण	15	385.69	178.18
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	7	9.87	6.29
ग्रामीण कार्य	2	3.26	1.38
राष्ट्रीय राजमार्ग	3	46.54	34.57
कुल	**127**	**1,819.64**	**892.21**

(स्रोत: वर्ष 2017–18 का वित्त लेखा)

वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक पूर्ण होने वाली कुल 127 परियोजनाओं में से मात्र तीन परियोजनाओं[7] का ही लागत संशोधन (कुल 73.33 प्रतिशत की वृद्धि) किया गया। जिसका विस्तृत विवरणी वित्त लेखे भाग–II के परिशिष्ट IX में है। शेष 124 कार्यों की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 1,798.64 करोड़ थी उनका लागत संशोधन का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा इनका संशोधित लागत वित्त लेखे में भी शामिल नहीं था जिस कारण यह अज्ञात रहा।

[7] जल संसाधन विभाग में एक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक एवं पथ निर्माण विभाग में एक।

अनुशंसा: *वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे की परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके। सभी अपूर्ण परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को प्राथमिकता पर तैयार कर उनका अनुमोदन करना चाहिए जिससे इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।*

1.4.3 निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष 2013–18 के दौरान निवेश[8] पर प्रतिलाभ की स्थिति ***तालिका 1.27*** में दिया गया है।

तालिका 1.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	2,867.18	7,068.79	9,940.24	15,916.47	23,037.29
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	2.53	2.58	14.84	3.73	1.34
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.09	0.04	0.15	0.02	0.01
सरकारी उधारी पर ब्याज[9] की औसत दर (प्रतिशत)	6.68	6.59	6.58	6.42	6.13
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर (प्रतिशत)	6.19	6.15	5.94	5.88	5.82
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	177.48	434.73	590.45	935.89	1,340.77

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश पर ₹ 3,479.32 करोड़ की हानि हुई।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि निवेश पर खराब प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने नियमित रूप से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान, सब्सिडी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्रदान किया है, जिन कंपनियों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था। यह पाया गया कि 2017–18 के दौरान राज्य सरकार तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं सहकारी संस्थानों को इक्विटी के रूप में ₹ 71,20.82 करोड़ का बजटीय सहायता विस्तारित किया। जैसा कि **तालिका 1.28** में दिया गया है

तालिका 1.28: राज्य सरकार द्वारा 2017–18 के दौरान किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम0 सं0	संस्था का नाम	वर्ष के दौरान निवेशित राशि	अभियुक्ति
1.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	100.00	2012–13 तक के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया था।
2.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	6,931.11	2016–17 तक के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया था।
3.	बिहार राजय खनन निगम लिमिटेड	20.00	उपलब्ध नहीं है।
4.	अन्य सहकारी	69.71	उपलब्ध नहीं है।
योग		**7,120.82**	

(स्रोत: वर्ष 2017–18 का वित्त लेखे)

[8] स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों एवं बैंकों में।

[9] औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान/{(पिछले वर्ष का राजकोषीय उत्तरदायित्व + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय उत्तरदायित्व)/2} * 100।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 तक किसी भी तरह का लाभांश निति का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए नहीं किया गया। वित्त लेखे के अनुसार केवल दो कम्पनियों ने अंशदान का योगदान किया है यथा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़) और क्रेडिट को–ऑपरेटिव (₹ 0.29 करोड़)।

चूँकि इक्विटी या ऋणों पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं है और ये राज्य सरकार के परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण प्रस्तुति करते है इस प्रकार इन सरकारी कम्पनियों/ पी.एस.यू./सहकारी समितियों को केवल सहायता अनुदान के द्वारा बजटीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं सबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे इकाईयों का, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जिन इकाईयों के लेखे बकाये में है, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।*

1.4.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/ संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। यह विस्तृत रूप से **तालिका 1.29** में दिया हुआ है।

तालिका 1.29: वर्ष 2013.18 के दौरान लंबित ऋण एवं अग्रिम तथा बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष	20,587.01	21,379.35	20,255.00	20,857.73	20,948.29
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम की राशि	807.38	368.71	621.23	113.87	242.78
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	15.03	1,493.06	18.50	23.31	21.89
ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष	**21,379.36**	**20,255.00**	**20,857.73**	**20,948.29**	**21,169.18**
बकाया ब्याज	3,017.55	3,017.55	5,478.14	6,652.60	7,823.47
बकाया ऋण तथा अग्रिम के सापेक्ष बकाया ब्याज की प्रतिशत	14.11	14.90	26.26	31.76	36.96

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

(i) इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों में बढ़ कर 31 मार्च 2018 को यह ₹ 7,823.47 करोड़ हो गया।

सरकार द्वारा दी गई ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के भाग 1 में तथा इकाईयों का विवरण जिनका ऋणों का पुनर्भुगतान बाकी है वित्त लेखे के विवरणी संख्या–18 के भाग 2 में दिया गया है।

(ii) जैसा कि **तालिका 1.30** में दर्शाया गया है, पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न इकाईयों द्वारा बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्ति नहीं हुई।

तालिका 1.30: ऋणी संस्थाओं के पुनर्भुगतान के बकायों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2018 को बकाया राशि*			आरंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2018 को संस्था पर कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
सरकारी कंपनियाँ	2,650.83	2,376.87	5,027.70	2001-02	5,411.64
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	672.12	547.03	1,219.15	2001-02	1,102.72
पंचायती राज संस्थाएँ	17.47	23.54	41.01	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,525.95	4,394.99	7,920.94	2001-02	13,376.82
अन्य	208.50	417.64	626.14	2001-02	615.00
योग	**7,094.41**	**7,823.47**	**14,917.88**		**20,950.66**

**वर्ष 2000–01 तक बकाया राशि ₹ 3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹ 1,522.50 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।*
(स्रोतः वर्ष 2017–18 का वित्त लेखे)

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम को पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।*

1.5 परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

1.5.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं में वृद्धि तथा इसके संघटक

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में अचल सम्पत्तियों जैसे सरकारी भूमि और भवन का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है तथापि, ये वित्तीय देयताएँ के लेखांकन के व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। ***परिशिष्ट 1.6,*** 31 मार्च 2017 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2018 तक की इस प्रकार की देयताएँ तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधारी, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखे एवं संचित निधि से प्राप्तियाँ शामिल है जबकि परिसंपत्तियाँ में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल है।

1.5.2 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छः आरक्षित निधियाँ[10] है जैसा कि **तालिका 1.31** में दर्शाया गया है।

[10] राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ और मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधियाँ।

तालिका 1.31: आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखे शीर्ष	01अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	2017–18 में प्राप्तियाँ	2017–18 में संवितरण	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
1	8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ (एस0डी0आर0एफ0)	696.39	721.32	1,417.71	0.00
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
1	8222–निक्षेप निधि	0.00	693.61	693.61	0.00[11]
कुल		**696.39**	**1,414.93**	**2,111.32**	**0.00**

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे)

पिछले 17 से 18 वर्षों से चार आरक्षित निधियों यथा, मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधियाँ, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ में कोई लेन–देन नहीं हुआ है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग तथा संबधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों की समीक्षा कर बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं हुआ है।*

अन्य दो आरक्षित निधियों से संबंधित प्राप्तियाँ तथा संवितरण का वर्णन नीचे किया गया है:–

1.5.2.1 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को सभी ऋणों के साथ–साथ बैंकों से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देयताओं इत्यादि के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना करनी चाहिए तथा इन निधियों का उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावे अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, ने वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान निर्धारित करने का दिशा–निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था जबकि 2014–15 से इसका उपयोग सरकार के बकाया देयताओं के विमोचन के लिए किया जाना था। 31 मार्च 2018 तक निधियों का अंत शेष ₹ 4,111.24 करोड़ था।

1.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन वर्ष 2010–11 में प्रारंभ किया। योजना में यह भी वर्णन है कि निधि में अभिवृद्वि के साथ–साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय का निवेश केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम कोषागार विपत्रों, ब्याज अर्जक जमाओं एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के साथ निक्षेपों का प्रमाण पत्र तथा सहकारी बैंकों के साथ ब्याज अर्जक निवेशों में किया जाना चाहिए।

1 अप्रैल 2017 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 696.39 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 721.32 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी (केंद्र ₹ 592.07 करोड़ एवं राज्य ₹ 129.25 करोड़) तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,417.71 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2018 को अंतिम शेष ₹ छः हजार रह गया। पुनः सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 57.45 करोड़ (रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिविकर्ष पर लागू दर से) के ब्याज का भुगतान नहीं

[11] कोष में जमा राशियों का निवेश वित्त लेखें के विवरण सं0 22 के अनुसार दर्शाए गए हैं। 31 मार्च, 2018 की तिथि तक निक्षेप निधि निवेश लेखा का अंतिम शेष जमा ₹ 4,111.24 करोड़ था।

किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष ज्यादा तथा राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ जिसका वर्णन *कंडिका 3.14* में किया गया है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेषों को ब्याज अर्जक जमाओं में निवेश करना चाहिए था।*

1.5.3. प्रत्याभूतियाँ

प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया। राज्य सरकार इसके दिशा निर्देशों के अनुसार ₹ 24.33 करोड़ (वर्ष 2017–18 के प्रारंभ में ₹ 4,865.07 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही।

वित्त लेखे के विवरणी 9 के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.32** में दिया हुआ है।

तालिका 1.32: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अधिकतम प्रत्याभूत राशि	2,586.84	5,314.84	9,396.62	13,053.04	20,234.10
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,446.74
वर्ष के अंत में प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1,090.23	2,000.90	4,720.78	4,459.58	5,174.49
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.75	6.78	9.78	12.36	17.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अधिकतम प्रत्याभूत राशि में से ऊर्जा (₹ 12,166.91 करोड़), सहकारिता (₹ 1,268.84 करोड़), पथ एवं परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 183.57 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़), सिंचाई (₹ 4.93 करोड़) तथा अन्य (₹ 4,486.09 करोड़) संबंधित था।

लोक क्षेत्र उपक्रमों, जो कि बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, के लिए राज्य सरकार भारतीय संविधान के द्वारा तय किए गए सीमा के अंतर्गत गारंटी देती है जिस पर गारंटी शुल्क लगता है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक– 05/07/1974 के अंतर्गत ₹ 10 लाख के ऊपर गारंटी के लिए गारंटी शुल्क कुल गारंटी का 1/8 प्रतिशत वार्षिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सरकार को देना है। गारंटी डीड में गारंटी शुल्क वसूली के लिए कोई धारा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से बिहार सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का दावा भी नहीं किया गया। आठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कुल गारंटी ₹ 7,030.00 करोड़ 31 मार्च 2018 तक दिए गए थे। सात[12] सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने 31 मार्च 2018 तक अपने लंबित गारंटी के लिए किसी भी तरह का शुल्क भुगतान नहीं किया था। जबकि, एक कम्पनी (बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम) से 2017–18 में ₹ 2.38 करोड़ (₹ 3.13 करोड़ में से) की राशि प्रत्याभूति शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

[12] बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, बिहार राज्य पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

1.6 ऋण प्रबंधन

1.6.1 लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत निधि की निवल उपलब्धता

2013–18 के दौरान लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता का विवरण **तालिका 1.33** में दिया हुआ है।

तालिका 1.33: लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत निधि की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत प्राप्तियाँ[13]	30,249	41,188	56,030	72,845	59,412
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	25,272	35,200	45,606	58,892	50,411
निवल निधि उपलब्धता[14]	4,977	5,988	10,424	13,953	9001
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता का प्रतिशत	16.45	14.54	18.60	19.15	15.15

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा ली गई उधार निधियों में से 80 से 85 प्रतिशत की राशि का उपयोग उधारी के पुनर्भुगतान तथा इसके ब्याज अदायगी के रूप में किया गया, जो दर्शाता है कि राज्य द्वारा विकासात्मक क्रियाओं में कम खर्च किया गया। 2017–18 के दौरान लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता का प्रतिशत 15.15 था जबकि उत्तरप्रदेश 17.27 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 13.37 प्रतिशत, झारखंड 22.24 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 35.01 प्रतिशत था।

1.6.2 ऋण निर्वाहता

ऋण निर्वाहता भविष्य में ऋण के निर्वहन के लिए राज्य की योग्यता को इंगित करता है। **तालिका 1.34** वर्ष 2013–14 के आरंभ से पाँच वर्षों की अवधि में ऋण निर्वाहता के सूचकांक को दर्शाता है।

तालिका 1.34 ऋण निर्वाहता : सूचकांक तथा प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उधार निधि के निवल उपलब्धता	4,977	5,988	10,424	13,953	9001.49
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	10	10	8	8	8
राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
बकाया ऋण*	86,939	99,056	1,16,578	1,38,722	1,56,777
बकाया ऋण की वृद्वि दर (प्रतिशत में)	13.64	13.94	17.69	19.00	13.02
बकाया ऋण (राजकोषीय दायित्व)/ जीएसडीपी (प्रतिशत में)	27.42	28.88	31.55	32.57	32.15
ब्याज भुगतान	5,459	6,129	7,098	8,191	9,054
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर#	6.68	6.59	6.58	6.42	6.13

** उदय सहित (₹ 2,331.78 करोड़)*

 # फॉर्मूला परिशिष्ट– 1.7 में

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[13] 2014–15 के दौरान ₹ 1.63 करोड़, 2015–16 के दौरान ₹ 0.63 करोड़ तथा 2016–17 के दौरान ₹ 1.75 करोड़

[14] उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ–(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व+ गैर–योजना मुख्यशीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)

1.6.3 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

उदय भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में शुरु की गई, यह विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक पुनरूद्धार पैकेज था तथा यह विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय तथा परिचालन रूप से सक्षम बनाता है ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कर सकें।

इस योजना के तहत, 30 सितम्बर 2015 को डिस्कॉम के ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) में से 75 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 25 प्रतिशत) का अधिग्रहण राज्य द्वारा गैर–सांविधिक तरलता अनुपात बॉण्ड[15] जारी कर किया गया तथा इसको अनुदान, ऋण तथा इक्विटी के रूप में विद्युत कंपनियों को हस्तांतरण किया जाना था। पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार का दायित्व ₹ 2,331.78[16] करोड़ था।

डिस्कॉम के 2017–18 के लिए औपबंधिक खातों से यह प्रतीत होता है कि दोनों डिस्कॉम में लागत पूँजी पर नाकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा था और यह एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए (–) 24.06 प्रतिशत एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए (–) 8.41 प्रतिशत था इसके अलावे 31 मार्च 2018 को दोनों डिस्कॉम पर ₹ 96.38 करोड़ का ऋण बकाया था (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 56.56 करोड़ एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 39.82 करोड़)। जबकि सभी दर सब्सिडी एवं ऋण का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है डिस्कॉम कंपनी अभी तक संचालन घाटा उठा रही है।

डिस्कॉम को प्राप्त वित्तीय पैकेज का खण्डवार विश्लेषण **तालिका 1.35** में दिया गया है।

तालिका 1.35: डिस्कॉम को वित्तीय पैकेज

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं0	सहायता की प्रकृति	राशि
1.	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	1,369.89
2.	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	961.89
योग		**2,331.78**

राज्य सरकार के द्वारा उदय योजना के अंतर्गत जारी किए गए बॉण्ड पर वर्ष 2017–18 में ₹ 191.36 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को अपने ब्याज भुगतान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे कि बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।*

[15] सांविधिक तरलता अनुपात यह दर्शाता है कि वाणिजिक बैंकों को ग्राहकों को ऋण/साख देने से पहले इसको नकद, आरक्षित स्वर्ण एवं सरकार द्वारा अनुमोदित सिक्योरिटी के रूप में रखना आवश्यक है।

[16] 2015–16 में ₹ 1,554.52 करोड़ (50 प्रतिशत) तथा 2016–17 में ₹ 777.26 करोड़ (25 प्रतिशत)

अध्याय–II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय, बजटीय नियंत्रण, व्यय नियत्रंण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोग का अनुदानवार विवरण और सेवा प्रदाता विभागों द्वारा अवंटित संसाधनों के किये गये प्रबंधन की शैली को प्रदर्षित करता है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

बिहार सरकार का बिहार बजट मैनुअल का नियम 104 यह निर्धारित करता है कि सभी अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग को चालू वर्ष के 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप मामले में अभ्यर्पण चालू वर्ष के 31 मार्च तक अवश्य किया जाना चाहिए।

वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2017–18 के मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (–)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कालम 7/ कालम 6 *100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	1,12,120.58	19,881.35	1,32,001.93	96,719.52	35,282.41	24,222.99	14,058.24	68.65
	II पूँजीगत	32,195.84	7,155.78	39,351.62	29,301.38	10,050.24	9,964.91	4,723.61	99.15
	III ऋण एवं अग्रिम	489.75	178.14	667.89	242.78	425.11	320.44	198.50	75.38
कुल दत्तमत		**1,44,806.17**	**27,215.27**	**1,72,021.44**	**1,26,263.68**	**45,757.76**	**34,508.34**	**18,980.35**	**75.42**
भारित	IV राजस्व	10,482.25	42.99	10,525.24	10,030.07	495.18	59.37	59.23	11.99
	V पूँजीगत	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	4,797.28	0	4,797.28	4,653.56	143.72	2.93	2.93	2.04
कुल भारित		**15,279.53**	**42.99**	**15,322.52**	**14,683.63**	**638.90**	**62.30**	**62.16**	**9.75**
महायोग		**1,60,085.70**	**27,258.26**	**1,87,343.96**	**1,40,947.31**	**46,396.66**	**34,570.64**	**19,042.51**	**74.51**
नोटः कुल व्यय में ₹ 4,125.87 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 394.43 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।									

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 1,87,343.96 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 1,40,947.31 करोड़ का व्यय हुआ। यह साबित करता है कि ₹ 27,258.26 करोड़ का पूरक प्रावधान परिहार्य था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 1,60,085.70 करोड़) के स्तर तक भी नहीं आया था। अनावश्यक पूरक प्रावधानों के मामलों की चर्चा कंडिका 2.3.3 में की गयी है। ₹ 46,396.66 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व भाग के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में

₹ 35,777.59 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत भाग के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहति 32 अनुदानों में ₹ 10,619.07 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई। समग्र बचत में से ₹ 13,368.56 करोड़ के बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

कुल बचत, कुल अनुदानों/विनियोगों का 25 प्रतिशत था। ₹ 46,396.66 करोड़ के कुल बचत में से केवल 75 प्रतिशत (₹ 34,570.64 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 11,826.02 करोड़ के बचत (कुल बचत का 25 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। आगे, ₹ 19,042.51 करोड़ (कुल अभ्यर्पण का 55 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन राशियों के उपयोग की गुंजाईश नहीं रही। यह निधि के गलत आंकलन को दर्शाता है एवं प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।*

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 बचत

27 अनुदान/विनियोगों से संबंधित बचत के 32 मामलों में, कुल प्रावधान (₹ 1,16,130.14 करोड़) में से ₹ 36,449.27 करोड़ (31 प्रतिशत), प्रत्येक ₹ 100 करोड़ एवं अधिक राशि के थे जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में दर्शाया गया है।

₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 30,899.89 करोड़ (कुल प्रावधान 93,933.33 करोड़ का 33 प्रतिशत) के हुए थे जिनको **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक बचत के अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व							
1	1–कृषि विभाग	2,614.74	191.12	2,805.86	1,655.14	1,150.72	41.01
2	15–पेंशन	19,866.79	0.05	19,866.84	14,296.82	5,570.02	28.04
3	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,641.90	777.74	2,419.64	1,211.48	1,208.16	49.93
4	21–शिक्षा विभाग	24,318.98	7,126.10	31,445.08	23,741.87	7,703.21	24.50
5	35–योजना एवं विकास विभाग	1,386.42	4.93	1,391.35	361.00	1,030.35	74.05
6	39–आपदा प्रबंधन विभाग	552.00	3,410.58	3,962.58	2,599.87	1,362.71	34.39
7	42–ग्रामीण विकास विभाग	9,664.48	705.08	10,369.56	5,203.18	5,166.38	49.82
8	48–नगर विकास एवं आवास विकास	4,335.01	712.92	5,047.93	3,236.04	1,811.89	35.89

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	51–समाज कल्याण विभाग	5,846.24	2,386.54	8,232.78	6,090.58	2,142.20	26.02
कुल राजस्व		**70,226.56**	**15,315.06**	**85,541.62**	**58,395.98**	**27,145.64**	**31.73**
(ब) पूँजीगत							
10	3–भवन निर्माण विभाग	3,405.67	1,032.05	4,437.72	2,088.91	2,348.81	52.93
11	49–जल संसाधन विभाग	2,793.54	1,160.45	3,953.99	2,548.55	1,405.44	35.54
कुल पूँजीगत		**6,199.21**	**2,192.50**	**8,391.71**	**4,637.46**	**3,754.25**	**44.74**
कुल योग (अ+ब)		**76,425.77**	**17,507.56**	**93,933.33**	**63,033.44**	**30,899.89**	**32.90**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का विनियोग लेखे)

आगे, 35 अनुदानों के तहत, वेतन और स्थापना के लिए आवंटित बजट के विरूद्ध बचत को छोड़कर शेष बचत की जाँच बताता है कि योजनाओं तथा पूँजीगत शीर्षों के कुल आवंटन (₹ 56,464.23 करोड़) में से, ₹ 36,359.18 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20,105.05 करोड़ (कुल आवंटन का 36 प्रतिशत) की बचत हुई थी। बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, विभाग सामाजिक आर्थिक विकास और राज्य की संपत्ति के निर्माण हेतु आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहे।

आगे, कुल अनुदान या विनियोग और किए गए व्यय के बीच महत्वपूर्ण विविधता (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक) के परिणामस्वरूप नौ अनुदानों/विनियोजनों के तहत ₹ 11,046.78 करोड़ की बचत हुई जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित रूप से नहीं बताया गया है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अनुमानित बचत ससमय अभ्यर्पित कर दी जाय ताकि निधि का उपयोग अन्य विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सके।*

2.3.2 सतत् बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 25 अनुदानों से संबंधित 27 मामलों (₹ 100 करोड़ या उससे अधिक) में ₹ 24318.74 करोड़ और अधिक की सतत् बचत हुए जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** (₹ 100.34 करोड़ से ₹ 8,534.72 करोड़ के बीच), में प्रदर्शित है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए की सभी अनुमानित बचतों को ससमय अभ्यर्पण किया जाए ताकि निधि का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।*

2.3.3 अनावश्यक पूरक प्रावधान

2017–18 के दौरान, 42 मामलों (38 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 16,290.56 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 90,484.28 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,08,361.54 करोड़) के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में प्रदर्शित है।

2.3.4 निधि का अत्यधिक /अनावश्यक पुनर्विनियोजन

27 अनुदानों/विनियोगों से संबद्ध 83 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 216.50 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 413.49 करोड़ था (***परिशिष्ट 2.4***)। यह भी देखा गया कि 14 अनुदानों/विनियोजनों में शामिल 22 विस्तृत शीर्षों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 263.94 करोड़ प्रदान किया गया जो कि ₹ 106.70 करोड़ की बचत के संदर्भ में अत्यधिक साबित हुआ (***परिशिष्ट 2.5***)। यह वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन को इंगित करता है।

आगे, 8 मामलों में ₹ 12.16 करोड़ का अधिकाई व्यय था, जिसमें आंशिक रूप से ₹ 90.27 करोड़ रूपये के पुनर्विनियोजन माध्यम से अविवेकपूर्ण निकासी और ₹ 350.35 करोड़ के अभ्यर्पण को जिम्मेवार माना जा सकता है, जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 2.3** में है।

तलिका 2.3: निधि का पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग (-)	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अधिकाई व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	16	2015-00-109-0002- जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	16.55	2.21	1.53	14.34	1.53
2.	20	2210-05-105-0013- फार्मेसी प्रशिक्षण	3.09	0.50	0.61	1.99	0.01
3.	40	2029-00-104-0001- राजस्व प्रशासन पर व्यय	644.21	1.20	217.55	426.66	1.20
4.	48	2015-00-109-0001- नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	40.00	9.99	19.68	10.43	0.10
5.		2215-01-192-0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों की सहायक अनुदान	35.00	8.75	0.00	28.25	2.00
6.		2215-01-193-0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर	35.00	8.75	0.00	28.96	2.71
7.		पंचायतों को सहायक अनुदान					
8.		2215-02-192-0102- नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	30.00	7.50	0.00	24.14	1.64
9.		2217-80-193-0005- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायता अनुदान	263.00	51.37	110.98	103.62	2.97
योग			**1,066.85**	**90.27**	**350.35**	**638.39**	**12.16**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का अनुदान अंकेक्षण पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखे)

इसी प्रकार, 23 अनुदानों के अंतर्गत 50 मामलों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के माध्यम से (₹ 444.11 करोड़) की अपर्याप्त निकासी के परिणामस्वरूप ₹ 1,409.63 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.6*** में दिखाया गया है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को अनुदान नियंत्री पदाधिकारियों के पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव से केवल तभी सहमत होना चाहिए यदि व्यय की प्रवृत्ति इन्हें संतुष्ट करती हो।*

2.3.5 वृहत् अभ्यर्पण

34 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 125 मामलों में कुल प्रावधान ₹ 21,037.49 करोड़ में से ₹ 14,186.70 करोड़ (67.44 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये (प्रत्येक मामले में ₹ 5 करोड़ या कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) जैसा कि ***परिशिष्ट 2.7*** में दर्शाया गया है। आगे, 35 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 189 लेखा शीर्षों में शत्–प्रतिशत

निधि (₹ 3591.68 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ (***परिशिष्ट 2.8***)। इस तरह के पर्याप्त अभ्यर्पणों से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुआ था।

विभाग द्वारा राशियों के अभ्यर्पण का कारण, योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं होने, योजना परिव्यय में संशोधन, केन्द्रांश की अप्राप्ति, प्रशासनिक अनुमोदन की अप्राप्ति, कम राशि की स्वीकृति, नियुक्तियों/स्थानान्तरणों के पूर्वानुमान में असमर्थता तथा नोडल एजेंसियों से राशि की माँग नहीं होना एवं अन्य, को बताया गया।

2.3.6 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

16 विभागों में कुल बचत ₹ 13,160.22 करोड़ के विरूद्ध ₹ 13,919.05 करोड़ (पाँच करोड़ से अधिक प्रत्येक मामलें में) का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 758.83 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹ 758.83 करोड़ व्यय के साथ–साथ अभ्यर्पित राशि में भी प्रदर्शित हुआ था। वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण इंगित करता है कि विभागों ने मासिक व्यय विवरण से व्यय के प्रवाह को देखकर समुचित बजटीय नियंत्रण नहीं किया।

तलिका 2.4: वर्ष 2017–18 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0 तथा नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि (5-4=6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	राजस्व–दत्तमत				
1	1. कृषि विभाग	2,805.86	1,150.72	1,151.65	0.93
2	6. निर्वाचन विभाग	100.53	5.42	7.27	1.85
3	16. पंचायती राज विभाग	9,148.72	607.76	642.41	34.65
4	17. वाणिज्य–कर विभाग	263.14	118.63	146.88	28.25
5	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	297.97	209.43	213.05	3.62
6	33. सामान्य प्रशासन विभाग	550.02	166.51	166.74	0.23
7	42. ग्रामीण विकास विभाग	10,369.57	5,166.39	5,169.04	2.65
8	43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	127.89	20.91	20.93	0.02
9	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,406.51	390.28	419.55	29.27
10	46. पर्यटन विभाग	93.61	26.97	27.12	0.15
11	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	5,047.93	1,811.89	1,827.26	15.37
	कुल राजस्व	**30,211.75**	**9,674.91**	**9,791.9**	**116.99**
	पूँजीगत–दत्तमत				
1	3. भवन निर्माण विभाग	4,437.72	2,348.80	2,350.46	1.66
2	10. ऊर्जा विभाग	7,286.20	130.74	727.50	596.76
3	35. योजना एवं विकास विभाग	1,465.31	587.58	588.08	0.50
4	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,809.69	46.10	46.22	0.12
5	41. पथ निर्माण विभाग	5,940.99	372.09	414.89	42.80
	कुल पूँजीगत	**20,939.91**	**3,485.31**	**4,127.15**	**641.84**
	महायोग	**51,151.66**	**13,160.22**	**13,919.05**	**758.83**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का विनियोग लेखा)

2.3.7 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

बिहार बजट मैनुअल (बि.ब.मै.) के नियम 104 के अनुसार व्यय विभागों को, जब बचत का पूर्वानुमान हो तब अनुदानों/विनियोजनो को या उसके हिस्से को वित्त विभाग को अभ्यर्पण करना आवश्यक है। वर्ष 2017–18 के अंत में 18 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 22 मुख्यशीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा) ₹ 24,455.03 करोड़ की बचत हुई जिसमें ₹ 13,205.72 करोड़ (54 प्रतिशत) का अभ्यर्पण व्यय करने वाले विभाग द्वारा नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में है।

इसके अतिरिक्त, 33 अनुदानों /विनियोजनों के अन्तर्गत 52 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत) कुल प्रावधान (₹ 53,829.43 करोड़) में से ₹ 14,637.93 करोड़ (27.19 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को निधियों का ससमय अभ्यर्पण सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा अभ्यर्पण को कमतर करने के लिए ससमय बजट जारी करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।*

2.3.8 सघन व्यय

बि.ब.मै. यह निर्धारित करता है कि विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्ययाधीन राशि अक्सर फिजूलखर्ची और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है । व्यय का एक समान प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के अंतिम तिमाही तथा मार्च 2018 माह में व्यय के जाँच (50 प्रतिशत तथा अधिक) के दौरान, 18 विभागों के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 25,196.70 करोड़ में से ₹ 19,664.66 (78.04 प्रतिशत) करोड़ अंतिम तिमाही में, जबकि ₹ 18,549.06 करोड़ (73.62 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2018 में हुआ जैसा ***परिशिष्ट 2.11*** में प्रदर्शित है। आगे ₹ 1000 करोड़ और अधिक के व्यय के जाँच से पता चला की पाँच विभागों में कुल व्यय (₹ 21,785.43 करोड़) में से ₹ 16,137.87 करोड़ (74.08 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2018 में किया गया जैसा कि **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2017–18 के दौरान सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

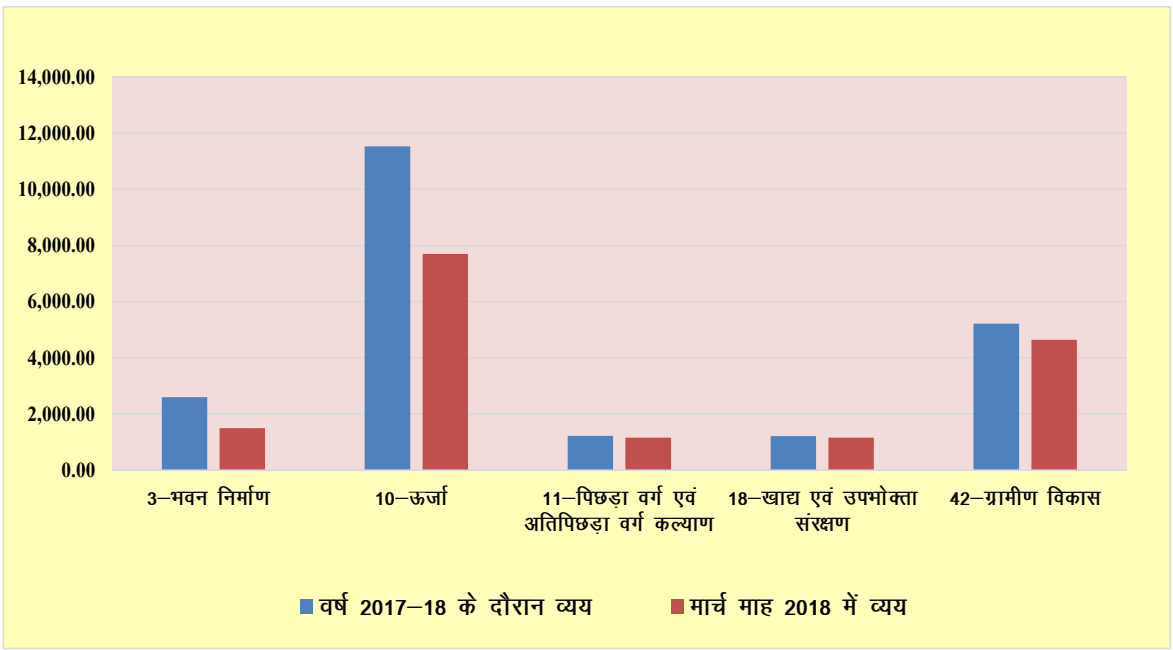

(स्रोत: वर्ष 2017–18 का वित्त लेखे)

इस प्रकार वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय (यद्यपि मूल प्रावधान में पर्याप्त निधि मौजूद था) दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृति को दर्शाता है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में सघन व्यय के नियंत्रण हेतु नियमों का निर्धारण करना चाहिए।*

2.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि को स्थापित किया गया था।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2017 से 30 मार्च 2018 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 6,403.42 करोड़ कर दिया जो कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए, जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। तुलना करने पर, भारत सरकार की आकस्मिकता निधि कोष पूर्ववर्ती 13 वर्षों से ₹ 500 करोड़ पर बना रहा है। पड़ोसी राज्यों[1] के आकस्मिकता निधि भी काफी कम रहे थे।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,949.21 करोड़ की राशि के 126 आहरण किये गये जिसमें से कुल ₹ 314.49 करोड़ (6.35 प्रतिशत) के 35 आहरण गैर–आकस्मिक व्यय के लिए किया गया जैसा कि **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है तथा ***परिशिष्ट 2.12*** में विस्तृत है।

चार्ट 2.2: आकस्मिकता निधि से गैर आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)

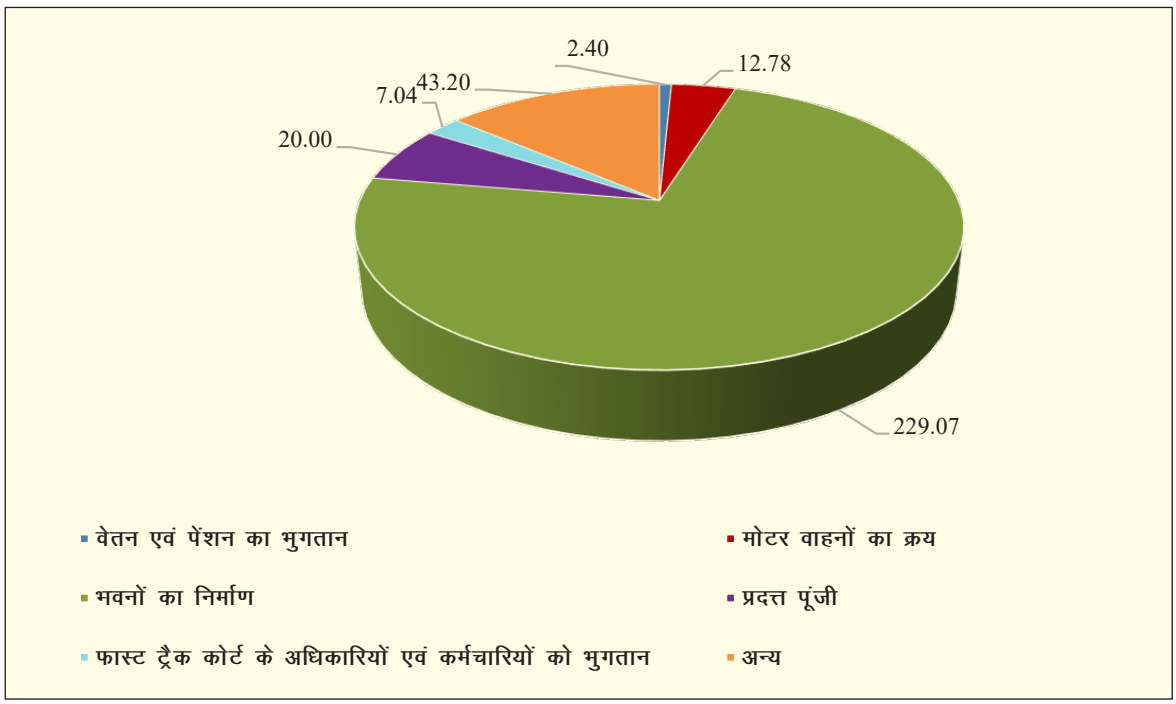

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त सूचना)

[1] उत्तर प्रदेश : ₹ 600 करोड़, मध्य प्रदेश एवं झारखंड : ₹ 500 करोड़

वित्त विभाग के खर्चों के लेखा परीक्षण के दौरान ऐसे उदाहरण सामने आए जहाँ बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 2015 के प्रावधान का उल्लंघन कर, गैर आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए व्यय किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है।

(i) खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा ₹ 22.53 करोड़ के अभ्यर्पण के बावजूद, ₹ 20.00 करोड़ के प्रदत पूंजी का निवेश बिहार राज्य खनन विकास निगम में किया गया।

(ii) 68 फास्ट ट्रैक अदालतों के न्यायिक संवर्ग के सेवानिवृत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को फरवरी 2017 से जुलाई 2017 की अवधि (6 महीने) के लिए ₹ 7.04 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, हालाँकि फास्ट ट्रैक का गठन ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया तथा बिहार में पहले से परिचालन में हैं।

(iii) ₹ 16.00 लाख के मोटर वाहन (सफारी स्टोर्म) का क्रय प्रशासनिक श्रेणी समिति के प्रस्ताव पर (23/01/2017 को) बिना वित्त मंत्री के अनुमोदन के किया गया।

क्रम सं0 (i) तथा (ii) का जबाब प्रतिक्षित है (अप्रैल 2019)। क्रम संख्या (iii) के जबाब में कार्यालय द्वारा कहा गया कि प्रशासनिक श्रेणी समिति द्वारा वाहन क्रय की मंजूरी देरी (फरवरी 2017) से मिलने के कारण 2017–18 के नियमित बजट में प्रावधान नहीं किया जा सका क्योंकि बजट प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग को नवंबर 2016 में भेजा गया था। अतः, ₹ 16.00 लाख का प्रावधान आकस्मिक निधि से किया गया।

आकस्मिकता निधि के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं पर राहत एवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि को पिछले पाँच वर्षों से अस्थाई रूप से वृद्धि[2] की गई। यद्यपि, आकस्मिकता निधि से पिछले पाँच वर्षो में प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय, 10.90 से 78.77 प्रतिशत के बीच रहा जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तलिका 2.5: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2013-14	1,141.58	430.00	37.67
2	2014-15	1,875.84	204.52	10.90
3	2015-16	6,117.60	2,205.00	36.04
4	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52
5	2017-18	4,949.21	3,898.33	78.77

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त सूचना)

यद्यपि, इस प्राकर के नियमित व्ययों के लिए बजटीय प्रावधान करना और वार्षिक बजट प्रक्रिया में ही परिकल्पित व्ययों को पूर्व में ही पारित कराना वित्त विभाग पर निर्भर करता है जैसा की संविधान में परिकल्पित है। वित्त विभाग इन संवैधानिक प्रावधानों के पालन में असफल रहा और आकस्मिकता निधि का प्रयोग अग्रदाय खाते के रूप में होता रहा।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृहद् वार्षिक वृद्धि के प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अभिप्रेत*

[2] वर्ष 2013–14 में ₹ 1800 करोड़, वर्ष 2014–15 में ₹ 2,000 करोड़, वर्ष 2015–16 में ₹ 4,827.41 करोड़, वर्ष 2016–17 में 5,787.85 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 में ₹ 6,403.42 करोड़ तक बढ़ाया गया।

प्रयोजनों के लिए ही किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है।

2.5 निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण

बिहार कोषागार संहिता, 2011 यह निर्धारित करता है कि माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत से बचाने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं किया जाएगा तथा अव्ययित शेष को उसी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में लौटा देना चाहिए।

वर्ष 2017–18 के वाउचरों के नमूना जाँच से पता चला कि 2005–06 से 2015–16 की अवधि के दौरान 54 मामलों में सार आकस्मिक बिलों पर ₹ 53.87 करोड़ का आहरण हुआ था। इनमें से ₹ 10.08 करोड़ की राशि 10 माह से 10 वर्ष और चार माह की अवधि तक प्रतिधारण के बाद प्रेषित किया गया ***(परिशिष्ट 2.13)***।

आगे, वर्ष 2002–03 से 2015–16 की अवधि के दौरान 23 मामलों में सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 4.93 करोड़ की संपूर्ण राशि को 11 माह से 14 वर्ष की अवधि तक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (***परिशिष्ट 2.14***)।

वर्ष 2017–18 के दौरान संबंधित आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी से निधियों के अनावश्यक प्रतिधारण का कारण पुछा गया, उनके प्रतिउत्तर की प्रतीक्षा है (फरवरी 2019)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में अव्ययित शेषों का हस्तांतरण नहीं करने से लोक निधियों के दुरूपयोग, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन का जोखिम रहता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग द्वारा एक सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की जानी चाहिए जो व्यय एवं आहरण अधिकारियों के स्तर पर आहरित आकस्मिक विपत्रों के वर्ष के दौरान अव्यतित राशि को प्रकाशित करने में सहायक हो। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों के अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करते हैं।*

2.6 असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष के लेखा में दर्शायें गए आँकड़े और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के खाते में दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तरदायी होंगें। आगे, बि0ब0मै0, 2016 के नियम, 96 के अनुसार नियंत्री अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवितरण अधिकारियों से प्राप्त मासिक आँकड़ों को समेकित करने के बाद, मासिक/त्रैमासिक आँकड़ों का समाशोधन महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखों के साथ कर लें। इस संबंध में महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय से वित्त विभाग को कई अनुस्मारक जारी किये गये तथा समाशोधन की अंतिम तिथि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, द्वारा 21 जून 2018 निर्धारित की गई थी लेकिन समाशोधन अभी तक पूरी नहीं हुई।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि, विभागाध्यक्षों ने 2017–18 के दौरान 48 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 56,548.81 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 18,909.57 करोड़ (33.44 प्रतिशत) की प्राप्तियों तथा 102 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय (₹ 1,31,961.51 करोड़) में से ₹ 1,19,427.35 करोड़ (90.50 प्रतिशत) के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया (***परिशिष्ट 2.15***)। ₹ 1000 करोड़ एवं अधिक के प्राप्तियों एवं व्यय शीर्षों से संबंधित असमाशोधन के महत्वपूर्ण मामलों को क्रमशः **चार्ट 2.3 एवं 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: असमाशोधित प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

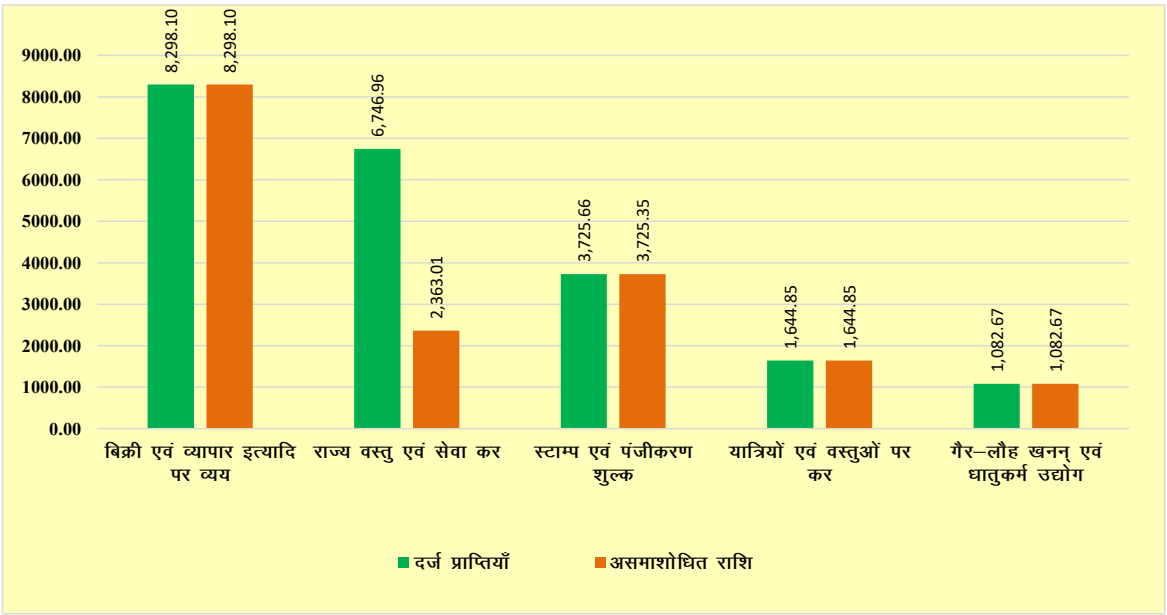

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त आंकड़े)

चार्ट 2.4: असमाशोधित व्यय

(₹ करोड़ में)

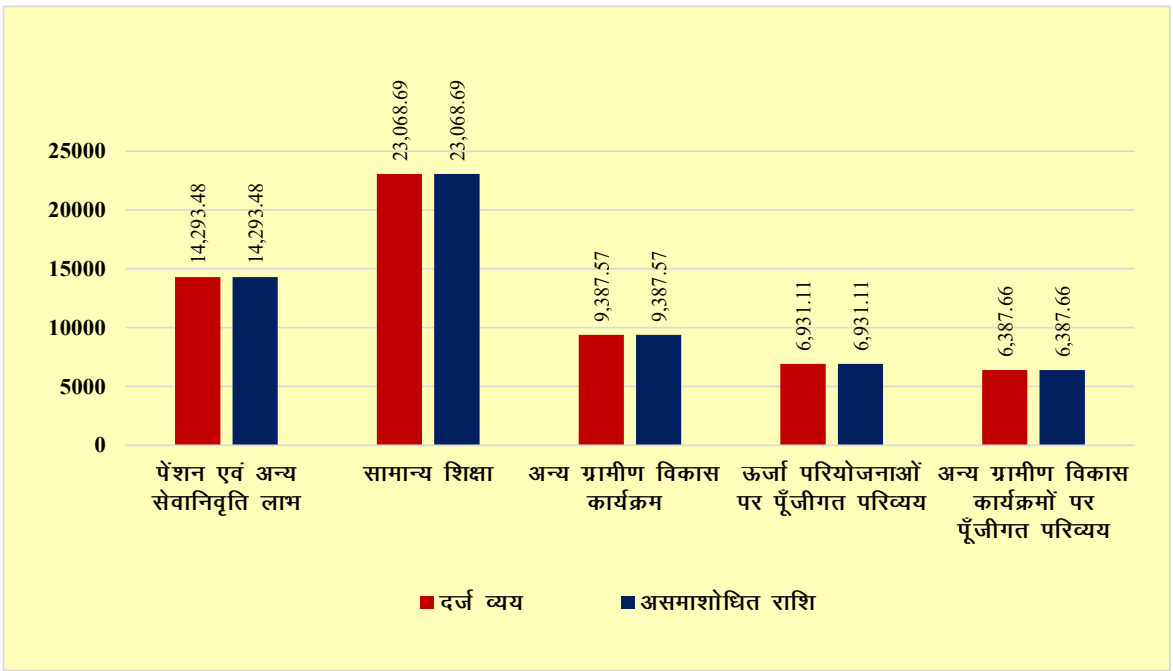

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त आंकड़े)

अनुशंसा.: *वित विभाग को एक क्रियाविधि विकसित करना सुनिश्चित करना चाहिए, इसे नियंत्रणी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ प्रत्येक महीने मिलान करें।*

चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2017–18 में बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 21–"शिक्षा विभाग" तथा अनुदान संख्या 48–"शहरी विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में बजटीय प्रक्रिया

एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, वर्ष 2017–18 (अगस्त एवं नवम्बर 2018) में की गयी । समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.7 अनुदान संख्या– 21 "शिक्षा विभाग"

शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत पाँच मुख्यशीर्ष (2202, 2204, 2205, 2251 तथा 4202) संचालित थे जो **तालिका 2.6** में सारांशीकृत है।

तालिका 2.6: 2017–18 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्रावधान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (2+3)	कुल व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दतमत	24,318.99	7,126.09	31,445.08	23,741.87	7,703.21	24.50
पूंजी दतमत	932.40	730.09	1,662.49	1,213.84	448.15	26.99
कुल	**25,251.39**	**7,856.18**	**33,107.57**	**24,955.71**	**8,151.86**	**24.62**

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2017–18)

वर्ष 2017–18 के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित का खुलासा हुआ:

- राजस्व दतमत के अन्तर्गत 24.50 प्रतिशत (₹ 7,703.21) का बचत विभाग द्वारा अनुचित अनुमान को दर्शाता है। उपरोक्त बचत राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम.डी.एम.), प्रखंड शिक्षकों तथा शाारीरिक शिक्षकों का सामेकित भुगतान, अन्य विद्यालयों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.), जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान, आधिक्य भुगतान की वसूली इत्यादि के लिए था।
- दो शीर्षों (2202, 2205) के अन्तर्गत पुर्नविनियोग द्वारा ₹ 47.43 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ (***परिशिष्ट 2.16***)।
- ₹ 4,202.63 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 3,760.24 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 441.89 करोड़ की बचत हुई। यद्यपि, मूल प्रावधान के अन्तर्गत बचत के बावजूद, ₹ 441.31 करोड़ का अनुपूरक अनुदान किया गया जो अनावश्यक था (***परिशिष्ट 2.17***)।
- विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप व्यय के आंकड़ों में ₹ 145.17 करोड़ का अंतर था (***परिशिष्ट 2.18***)
- ₹ 1,083.07 करोड़ के सार आकस्मिक विपत्र बकाया थे जिसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया (***परिशिष्ट 2.19***)
- ₹ 8,886.27 करोड़ के 482 उपयोगिता प्रमाण प्त्र जो 2003–04 से 2017–18 से संबंधित है 31 मार्च 2018 तक बकाया है (***परिशिष्ट 2.20***)।
- बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बी.एस.ई.आई.डी.सी.) पटना, के द्वारा 31 मार्च 2018 तक विभिन्न योजनाओं के निष्पादन हेतु एक पी0एल0ए0 के साथ 69 बैंक खातों का संधारण किया था। 31 मार्च 2018 तक पी0एल0ए0 में ₹ 747.43 करोड़ तथा बैंक खातों में ₹ 291.39 करोड़ अंतशेष था। आगे, वित्त विभाग बिहार सरकार के अप्रैल 2015 की अधिसूचना के अनुसार पी0एल0ए0 के माध्यम से

भुगतान किया जाना था, लेकिन बी.एस.ई.आई.डी.सी. द्वारा किए गए भुगतानों के नमूना जॉच से पता चला कि वर्ष 2017–18 के दौरान पी0एल0ए0 से बैंक खातों में स्थानांतरित करने के बाद राशि का भुगतान किया जा रहा था। इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2018) बी.एस.ई.आई.डी.सी. ने कहा (अक्टूबर 2018) कि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ठेकेदारों को भुगतान के लिए बैंक में 20 प्रतिशत राशि रखी गई थी, जबकि कुछ राशि, विभाग द्वारा सीधे बैंक को भेजी गई थी। आगे यह कहा गया कि बैंक में सभी खाते योजनावार थे और इसमें अर्जित ब्याज संबंधित योजना का हिस्सा था। जबाब अधिसूचना के अनुरूप नहीं था क्योंकि बैंक में शेष राशि पी0एल0ए0 में वापस नहीं की गई थी और भुगतान सीधे पी0एल0ए0 के माध्यम से नहीं किया जा रहा था।

2.8 अनुदान संख्या– 48 "शहरी विकास एवं आवास विभाग"

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस विभाग में पाँच मुख्य शीर्ष (2015, 2215, 2217, 2251 और 3475) संचालित थे।

तालिका 2.8: 2017–18 में सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बजट प्राक्कलन	मुल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	कुल व्यय	बचत (5–6)	कुल प्रावधान की प्रतिशता में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राजस्व (दत्तमत)	4,335.01	712.92	5,047.93	3,236.04	1,811.89	35.89

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे वर्ष 2017–18, बिहार सरकार)

निम्न वर्ष 2017–18 के अभिलेखों के जॉच में यह प्रदर्शित हुआ:

- राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत 35.89 प्रतिशत (₹ 1,811.89 करोड़) की बचत यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा प्रावधान का अनुचित आकलन किया गया। विभाग केवल ₹ 945.62 करोड़ (52 प्रतिशत) के अभ्यर्पण का ही उचित कारण बतलाने में सक्षम था।
- 15 लघु/उपशीर्षों (***परिशिष्ट 2.21***) में ₹ 18.18 करोड़ का आधिक्य व्यय दिखाई दिया था।
- मुख्य शीर्ष 2217 के अंतर्गत पूरक प्रावधान के द्वारा ₹ 117.74 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया जबकि मूल प्रावधान ₹ 928.21 करोड़ के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 532.91 करोड़ था।
- शीर्ष 2217–80–193–0005 से ₹ 51.37 करोड़ का पुनर्विनियोग 2217–80–191–0013 में किया गया जबकि मूल प्रावधान ₹ 371.59 करोड़ के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 260.35 करोड़ था।
- पाँच मुख्य शीर्षों में से तीन मुख्य शीर्षों (2215, 2217 और 3475) के अंतर्गत ₹ 600.64 करोड़ अव्यतित रह गया और यह पूर्ण रूप से अभ्यर्पित हुआ था (***परिशिष्ट 2.22***)।
- 31 मार्च 2018 तक 42 मामलों में ₹ 2,747.52 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 971.01 करोड़ (35.34 प्रतिशत) का अभ्यर्पण हुआ था (***परिशिष्ट 2.23***)।
- मुख्य शीर्ष 2215 और 2217 के तहत् कुल व्यय का क्रमशः 74.32 और 34.63 प्रतिशत की सीमा तक

व्यय मार्च 2018 के महीने में किया गया जैसा कि **तालिका 2.8** में दिखाया गया है।

तालिका 2.8: सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	2017–18 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2018 में व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2215 (जलापूर्ति तथा सफाई)	339.36	252.21	74.32
2	2217 (शहरी विकास)	2,878.82	996.86	34.63
योग		**3,218.18**	**1,249.07**	**38.81**

(स्रोत: मासिक विनियोग लेखे वर्ष 2017–18)

- मार्च 2018 में, 25 विस्तृत शीर्षों यथा, पेय जल आपूर्ति, मल तथा जल निकासी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नागरिक सुविधाएँ, सभी के लिए घर, 100 स्मार्ट सिटी योजना इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत शत प्रतिशत व्यय हुआ (***परिशिष्ट 2.24***)।
- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा इंद्राज किए गए वास्तविक व्यय के आँकड़ों के साथ विभागीय व्यय का आकड़ा समाशोधित नहीं होने के परिणामस्वरूप व्यय के आकड़ों में ₹ 15.53 करोड़ की राशि का अन्तर था (***परिशिष्ट 2.25***)।
- 494 सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 82.38 करोड़ में से ₹ 56.35 करोड़ का, विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा किया जाना बाकी था (***परिशिष्ट 2.26***)।
- मार्च 2018 तक, ₹ 5,045.35 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे (***परिशिष्ट 2.27***)।

अध्याय–III
वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं राज्य सरकार द्वारा इसके अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 व्यक्तिगत जमा खाते

बिहार कोषागाार संहिता के नियम 338 से 344 के अनुसार व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते का उपयोग समेकित निधि से निधि स्थानांतरित कर उन विशेष मामले में उपयोग किया जाता है जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो तथा जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो या लघु लाभार्थियों की बड़ी संख्या सुदूर तक फैली हुई हो जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष व्ययन व्यवहार्य न हो। पी0डी0 के प्रशासकों को वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खाते की समीक्षा करना है तथा पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी)[1] तक की अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष के व्यय में कटौती कर समेकित निधि में वापस कर देना अपेक्षित है।

3.1.1 व्यक्तिगत जमा खाते में अव्ययित शेष

पी0डी0 खातों को खातों के प्रशासक के नाम से कोषागार में रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग की सहमति और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को सूचित कर खोले जाते हैं। 75 कोषागारों द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 19 कोषागारों[2] में पी0डी0 खाते संधारित नहीं हैं। 31 मार्च, 2018 तक मौजूदा 174 पी0डी0 खातों में ₹ 5,888.45 करोड़ शेष था। वर्ष के दौरान कोई भी पी0डी0 खाता नहीं खोला गया जबकि तीन खातों को बंद किया गया जिसे **तालिका 3.1** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.1: वर्ष 2017–18 के दौरान पी0डी0 खाता का विवरण

(₹ करोड़ में)

01.04.2017 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान जुड़ाव		वर्ष के दौरान बंद		31.03.2018 को अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
177	4,464.82	0	2,762.21	03	1,338.58	174	5,888.45

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का वित्त लेखे)

₹ 5,888.45 करोड़ की कुल शेष राशि में से ₹ 65.77 करोड़ की अव्ययित राशि, नौ पी0 डी0 खातों में लगातार पाँच वर्षों से अधिक से कालातीत होने से बचने के लिये नौ अलग–अलग कोषागारों में पड़ी थी जैसा कि **तालिका 3.2** में वर्णित है।

[1] बिहार सरकार के अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016 ।

[2] बिहार भवन, नई दिल्ली, दलसिंहसराय, डुमराँव, हिलसा, लालगंज, मसौढ़ी, मोकामा, नौगछिया, पूपरी, राजगीर, रजौली, रोसड़ा, सचिवालय कोषागार (विकास भवन, पटना), शाहपुर पटोरी, सिकहरना, टेकारी, त्रिवेणीगंज, उदाकिशनगंज और ई–कोषागार ।

तालिका 3.2: लगातार पाँच वर्षों से अधिक से अव्ययित पड़ी राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	कोषागार	व्यक्तिगत खातों का नाम	राशि
1	मुजफ्फरपुर	डी0एल0ए0ओ0, मुजफ्फरपुर	4.94
2	पटना	डी0एम0, पटना	0.66
3	कैमूर	डी0एल0ए0ओ0, कैमूर	16.22
4	जहानाबाद	डी0एल0ए0ओ0, जहानाबाद	0.30
5	पुर्णिया	डी0एल0ए0ओ0, पुर्णिया	0.21
6	गया	डी0एल0ए0ओ0, गया	21.21
7	समस्तीपुर	डी0एल0ए0ओ0, समस्तीपुर	4.74
8	बेगुसराय	डी0एल0ए0ओ0, बेगुसराय	16.33
9	सासाराम	डी0एल0ए0ओ0, सासाराम	1.16
योग			**65.77**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का वित्त लेखे)

3.1.2 अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते

174 व्यक्तिगत जमा खातों में से 94 खाते 47 कोषागारों में विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है। इन 94 अपरिचालित पी0डी0 खातों में से 89 में शेष शून्य और पाँच[3] पी0डी0 खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि मार्च 2018 के अन्त तक अव्ययित थी। इन 94 निष्क्रिय पी0 डी0 खातों को बिहार सरकार के पत्र सं0 11262 दिनांकः 05.10.2010 के अनुसार बंद नहीं किया गया था, हालांकि वे मार्च 2018 के अंत में बंद होने योग्य थे।

पी0डी0 खातों के शेष राशि का समय–समय पर असमाशोधन और पी0डी0 खातों में पड़े अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को ऐसी सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिनके अन्तर्गत पी0डी0 प्रशासकों को अपने द्वारा संचालित पी0डी0 खातों की समीक्षा करनी चाहिए और प्रतिवर्ष पी0डी0 खातों को बनाए रखने की आवश्यकता को उल्लेखित कर वर्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा अपरिचालित पी0डी0 खातों और उन खातों जिनमें राशि पाँच वर्षों से अधिक से पड़ी है के संबंध में उचित कार्रवाई करें।*

3.2 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर

श्रम उपकरों के लेखांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा श्रमिक सहयोग से निष्पादित परियोजनाओं वाले संग्रहित श्रम उपकरों को प्रविष्टि करने के लिए सरकार द्वारा उप शीर्ष नहीं खोला गया है। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकरों की प्रविष्टि मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा–108–लोक निर्माण कार्य में सीधे कर लिया गया है। आगे, यद्यपि लघु शीर्ष–लोक निर्माण कार्य जमा में श्रम उपकर के अलावा कई प्राप्तियाँ शामिल हैं, इसके नीचे कोई उप–शीर्ष नहीं है, इसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। श्रमिक कल्याण बोर्ड को भुगतान की गयी राशि को भी अलग कर पाना संभव नहीं है।

[3] डी0एम0, बाका (₹ 25.30 करोड़), डी0एम0, पटना (₹ 0.66 करोड़), डी0एम0, वैशाली (₹ 0.07 करोड़), डी0एम0, भोजपुर (₹ 0.20 करोड़) एवं डी0डी0सी0, कटिहार (₹ 1.50 करोड़)

पुनः, वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा 2019–20 के बजट प्रस्तुतिकरण तक श्रम उपकर के लेखांकन एवं वर्गीकरण हेतु कार्रवाई नहीं किया गया है। तथापि, वित्त विभाग ने इस मामले पर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के सहयोग से उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

3.2.1 उपकर का लेखांकन

बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड (भ0अ0नि0श्र0) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उनके लेखाओं को वर्ष 2015–16 तक ही अंतिम रूप दिया गया है।

जैसा कि बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है, अप्रैल 2017 में प्रारंभिक शेष ₹ 895.15 करोड़ था एवं वर्ष 2017–18 में उनके द्वारा जिला बोर्ड द्वारा ₹ 0.19 करोड़ की धन वापसी सहित कुल ₹ 266.46 करोड़ की राशि श्रम उपकर के मद में प्राप्त हुई। इस राशि में से ₹ 62.55 करोड़ (5.38 प्रतिशत) का व्यय कल्याणकारी योजनाओं (₹ 61.26 करोड़) एवं प्रशासन (₹ 1.29 करोड़) पर 2017–18 में किया गया जिससे 40,740 श्रमिक (कुल पंजीकृत श्रामिकों का 10.94 प्रतिशत) लाभान्वित हुए। वर्ष के अन्त में ₹ 1,099.06 करोड़ का अन्तिम शेष था।

बिहार ने पड़ोसी राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ (42 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (14 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (सात प्रतिशत) और झारखण्ड (21 प्रतिशत) की तुलना में उपलब्ध निधियों से बहुत ही कम राशि (5.38 प्रतिशत) का उपयोग किया।

अनुशंसाएँ: *बिहार भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड को लेखाओं के ससमय संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। बिहार सरकार को उपकर के लेखांकन हेतु नियमावली भी तैयार करनी चाहिए।*

3.3 लेखाओं में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को तभी व्यवहार में लाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना है चूँकि यह अस्पष्ट लेखे को प्रस्तुत करता है क्योंकि ऐसे शीर्ष, राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को प्रलक्षित नहीं करते हैं।

संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व एवं पूँजीगत के 19 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 107.09 करोड़ (कुल व्यय का 0.08 प्रतिशत) को व्यय के मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

इसी प्रकार, लेखे के 46 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 1,607.18 करोड़ (राजस्व प्राप्तियों का 1.37 प्रतिशत) को प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के नीचे (सहायता अनुदान को छोड़ कर) लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

प्राप्तियों एवं व्यय के पर्याप्त अनुपात (संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय के 10 प्रतिशत या अधिक) को लघु शीर्ष 800–'अन्य व्यय/प्राप्तियों' के अन्तर्गत वर्गीकृत उदाहरणों को क्रमशः ***परिशिष्ट 3.2 एवं 3.3*** में वर्णित किया गया है।

बड़ी राशियों का वर्गीकरण सर्वव्यापी लघु शीर्ष 800–'अन्य व्यय/प्राप्तियों' के अंतर्गत करने से वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता का अभाव प्रदर्शित हुआ।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग, महालेखाकार (ले0 एंव हक0) के परामर्श से सभी मदों की व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियों और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।*

3.4 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष

निश्चित मध्यवर्गी /समायोजन शीर्ष जो 8658– उचंत शीर्ष से जाना जाता है, सरकारी लेखों में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसके प्रकृति की जानकारी न होने के कारण एवं अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त लेखा, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका 3.3** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	270.29	0.00	296.05	0.00	335.27	0.00
निवल	**(नामे) 270.29**		**(नामे) 296.05**		**(नामे) 335.27**	
8658–102–उचंत लेखा (सिविल)	3,980.75	290.43	4,673.39	297.35	4,059.01	309.73
निवल	**(नामे) 3,690.32**		**(नामे) 4,376.04**		**(नामे) 3,749.28**	
8658–110–रिजर्व बैंक उचंत–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,242.12	894.60	1,265.00	894.60	1276.72	894.62
निवल	**(नामे) 347.52**		**(नामे) 370.40**		**(नामे) 382.10**	
8782–102–लोक निर्माण प्रेषण	1,09,773.31	1,09,574.26	1,18,943.96	1,18,827.32	16,469.13	15,520.08
निवल	**(नामे) 199.05**		**(नामे) 116.64**		**(नामे) 949.05**	
8782–103–वन प्रेषण	2,214.48	2,035.28	2,535.84	2,318.34	2,779.39	2,535.37
निवल	**(नामे) 179.20**		**(नामे) 217.50**		**(नामे) 244.02**	

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे)

वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में 101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 39.22 करोड़ (नामे), 110–रिजर्व बैंक उचंत–केंद्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 11.70 करोड़ (नामे) 102–लोक निर्माण प्रेषण के अंतर्गत ₹ 832.41 करोड़ (नामे), तथा 103– वन प्रेषण के अंतर्गत ₹ 26.52 करोड़ (नामे) की निवल वृद्धि हुई और 102– उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 626.26 करोड़ नामे की कमी हुई।

यदि ये राशि अस्पष्ट रहते हैं तो उचंत शीर्ष के अन्तर्गत शेष राशि संचित हो जाएगी जिसके कारण सरकारी व्यय के सही एवं निस्पक्ष तस्वीर नहीं दर्शाएगी।

अनुशंसा: *उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए वित्त विभाग द्वारा संबद्ध इकाई की मदद से प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।*

3.5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण में विलंब

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96(1) एवं धारा 129(2) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसी चूक करता है, उस पर एक वर्ष तक के लिए बढ़ाये जाने वाले कारावास से या अर्थदण्ड जो 50 हजार रूपये से कम न हो और जिसे पाँच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान है। जैसे कि सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन, जिनके लेखे बकाया में है, इस तरह के किसी भी डिफॉल्ट के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

आगे, वर्ष 1977 में निकाय के रूप में गठित लेखा मानक संस्थान (ए0एस0बी0) के पर्यवेक्षण में निर्गत भारतीय लेखा मानक (भा0ले0मा0) को भारत में कम्पनियों द्वारा अपनाया गया है यद्यपि वर्त्तमान में (भा0ले0मा0) केवल बिजली कम्पनियों और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पर ही लागू है।

सितम्बर 2018 तक बिहार में कुल 77 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा0क्ष0उ0) थे जिसमें 32 कार्यशील कंपनियाँ, तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) और 42 अकार्यशील कंपनियाँ थी।

3.5.1 कार्यशील कंपनियों के बकाये लेखे

30 सितम्बर 2018 तक 27 कार्यशील कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों के लेखे क्रमशः 22 वर्ष और 12 वर्षों तक बकाये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है। लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब के परिणामस्वरूप समयावधि के पश्चात महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की अनुप्लब्धता या हानि हो सकती है जो कि तथ्यों की गलत व्याख्या, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावनाओं से भरा हुआ है।

35 कार्यशील सा0क्षे0उ0 (सांविधिक निगमों के सहित) में से केवल एक[4] सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2017–18 के लिए अपने लेखों का अन्तिमीकरण किया जबकि चार[5] सा0क्षे0उ0 के लेखे बकाए नहीं थे एव अन्य 30 सा0क्षे0उ0 के 160 लेखे[6] बकाये थे। सेवा क्षेत्र की बि0रा0प0प0प0नि0[7] एक लगातार घाटे में चलने वाला निगम है जिसके पास सड़कों पर चलने योग्य बेड़ा नहीं है तथा जिसके लेखे वर्ष 2006–07 से बकाये हैं।

---

4 बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

5 बिहार राज्य खनन निगम लि0, बिहार राज्य शैक्षणिक वित्त निगम लि0, पटना स्मार्ट सिटी लि0 और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लि0 को वर्ष 2017–18 में शामिल किया गया।

6 प्रतिवर्ष एक लेखे की दर पर।

7 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

3.5.2 अकार्यशील कंपनियों के बकाये लेखे

उपरोक्त के अतिरिक्त 30 सितम्बर 2018 तक सभी अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखे बकाये थे। 42 अकार्यशील सा0 क्षे0 उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0[8] विघटन की प्रक्रिया में थे। शेष 37 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के 1,016 लेखे बकाये हैं। बिहार राज्य कृषि उद्योग लि0 एवं स्काडा कृषि व्यापार निगम लि0 के लेखे क्रमशः एक एवं तीन वर्ष के लिए बकाये थे और 35 सा0क्षे0उ0 के लेखे नौ से 41 वर्षों के लिए बकाये थे जैसा की ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

लेखाओं के अंतिमीकरण नहीं होने के कारण नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के पूरक लेखापरीक्षा और निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम के अनुसार, उनके सांविधिक लेखापरीक्षा 41 वर्षों की अवधि तक नहीं करवा सके।

3.5.3 बकाये लेखे वाले सा0 क्षे0 उ0 को बजटीय सहायता

सरकार ने उन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता (अंश ₹ 12,413.51 करोड़, ऋण –₹ 2,881.44 करोड़, अनुदान– ₹ 956.42 करोड़ एवं सब्सिडी– ₹ 4,569.10 करोड़) प्रदान की और ₹ 26,640.53 करोड़ की स्वीकार्य देयता (गारंटी – ₹ 5,820.06 करोड़) उस समयावधि में जब कि 31 मार्च 2018 तक उनके लेखे बकाये थे ***(परिशिष्ट 3.5)***। इन सा0 क्षे0 उ0 ने पिछले एक से 41 वर्षों तक अपने लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम/सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन है। सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या यह व्यय धन के महत्व का है, एवं क्या ऐसी सहायता को युक्ति संगत रूप से पूँजीगत व्यय के अंश और ऋण के अन्तर्गत प्रविष्ट किया जा सकता है।

3.5.4 अकार्यशील कंपनियों का परिसमापन

कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत बन्द किया जा सकता है या ट्रिब्यूनल अथवा स्वेच्छा से समापन किया जा सकता है।

अकार्यशील 42 कंपनियों में से पाँच सा0 क्षे0 उ0 ने पिछले छः से 19 वर्षों में परिसमापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जो कि अधिकारिक परिसमापन, पटना एवं रांची उच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है। आगे, राज्य सरकार ने 15 सा0 क्षे0 उ0 के परिसमापन हेतु आदेश निर्गत किया है, परन्तु संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अन्तिम प्रक्रिया अभी तक विचाराधीन है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को उन सभी सा0क्षे0उ0 के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाये लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।*

3.6 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली (बि0वि0नि0) यह निर्दिष्ट करता है कि जहाँ सहायता अनुदान विशेष उद्देश्य हेतु प्रदान किया जाता है वहाँ संबंधित विभागीय पदाधिकारी को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसे सत्यापन के पश्चात् 18 महीने के भीतर महालेखाकार (ले0 व हक0) को अग्रसारित कर देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस निधि का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों हेतु किया गया है।

[8] बिहार फिनिश्ड लेदर लि0, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि0, कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं अभियंत्रण लि0, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि0, बिहार राज्य निर्यात निगम।

यद्यपि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक 35 विभागों में ₹ 36,593.50 करोड़ के 2,455 यू0सी0 लंबित थे जिसे ***परिशिष्ट 3.6*** में दर्शाया गया है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार स्थिति **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

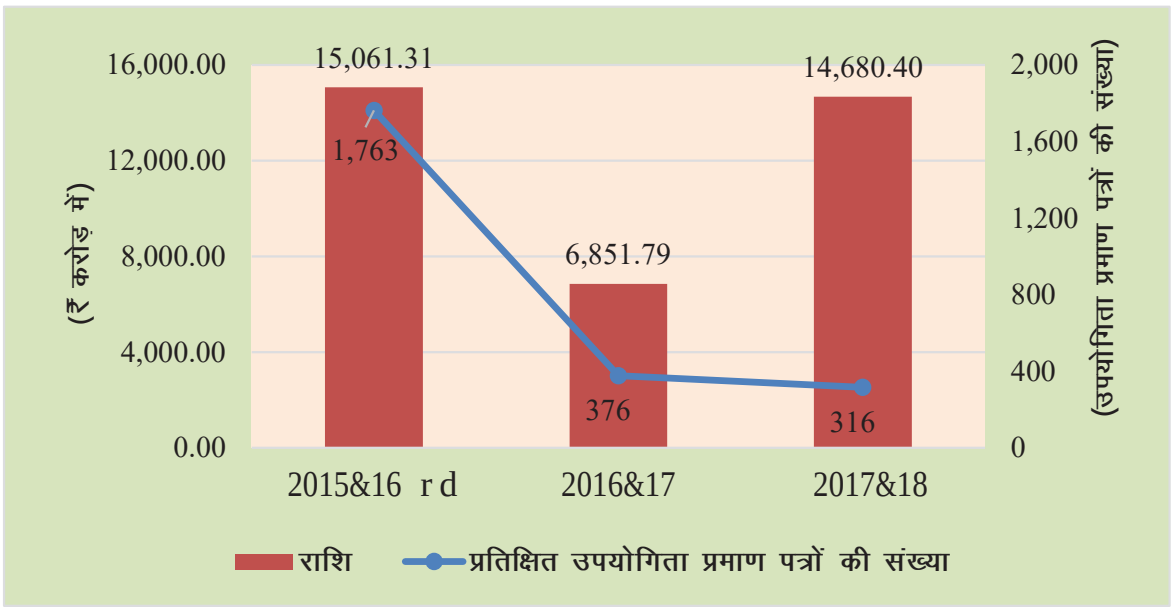

(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)
(स्रोत: वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में, 77 प्रतिशत पाँच विभागों से संबंधित है इसे **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (विभाग वार)

(₹ करोड़ में)

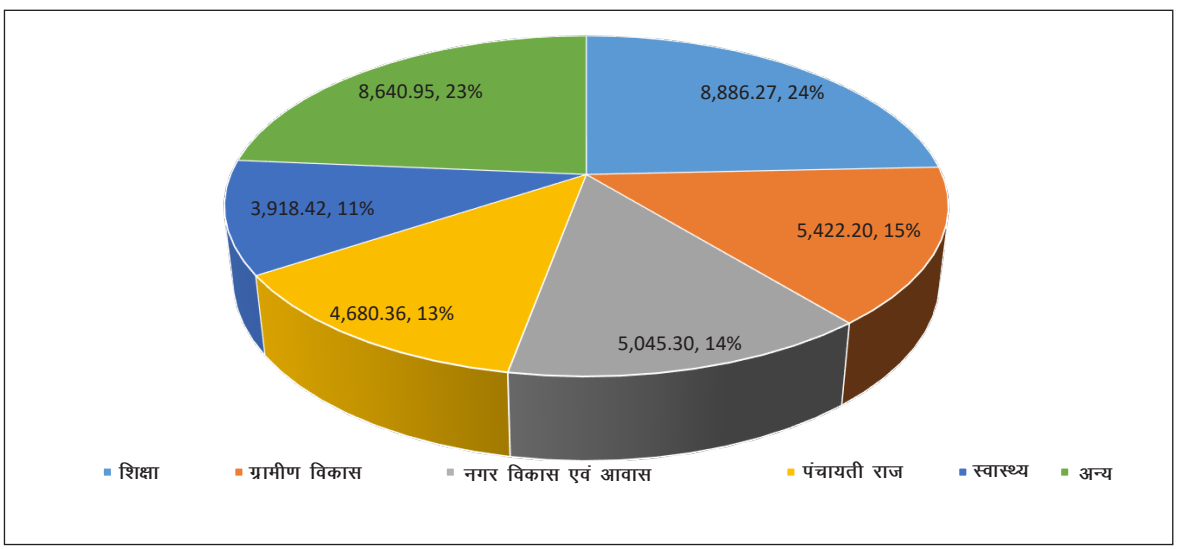

यद्यपि, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण नहीं किए जाने के दृष्टांत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये, फिर भी कोई सुधार नहीं है। कई मामलों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं ने लगातार उन्हीं विभागों से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किये, जबकि उनके पूर्व अनुदान के यू0सी0 लंबित हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरूपयोग और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित कर सके। वित्त विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि, उस अवधि तक प्रशासनिक विभाग दोषी अनुदानग्राहियों को आगे कोई अनुदान जारी न करे।*

3.7 लंबित सार आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 177 प्रावधानित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीना में सार विपत्र आहरित की गयी हो उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र अभिश्रव सहित महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए तथा छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत न किया जाए। विस्तृत आकस्मिक विपत्र की विलंब प्रस्तुति अथवा दीर्घकालीन प्रस्तुति सार विपत्र के व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2018 तक समायोजन हेतु लंबित बकाया सार आकस्मिक विपत्रों का विवरण **तालिका 3.4** में प्रदर्शित है:

तालिका 3.4: सार आकस्मिक विपत्रों के आहरण और समायोजन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान आहरित सार आकस्मिक विपत्र		वर्ष के दौरान समायोजित विस्तृत आकस्मिक विपत्र		लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि
2015-16 तक	1,01,334	42,987.91	88,645	40,639.43	12,689	2,348.48
2016-17	1,383	1,808.68	366	898.09	1,017	910.59
2017-18	1,540	2,906.91	32	3.3	1,508*	2,903.61
योग	**1,04,257**	**47,703.50**	**89,043**	**41,540.82**	**15,214**	**6,162.68**

****1,508 सार आकस्मिक विपत्रों में ₹ 884.31 करोड़ के 522 सार आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2018 के बाद तक देय होंगे।***
(स्रोत: वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे)

यह देखा गया की वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 2,906.91 करोड़ के 1,540 सार आकस्मिक विपत्रों का आहरण किया गया जिनमें से ₹ 867.31 करोड़ (वर्ष के दौरान सार आकस्मिक विपत्रों से आहरित कुल राशि का 29.84 प्रतिशत) के 491 विपत्रों का आहरण अकेले मार्च 2018 में किया गया एवं इसमें से ₹ 73.01 करोड़ के 43 सार आकस्मिक विपत्र का आहरण वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन किया गया। ₹ 2,903.61 करोड़ के 1,508 विस्तृत आकस्मिक

विपत्र वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्त तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इसका कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 2,903.61 करोड़ की राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए हुआ जिसके लिए वित्तीय वर्ष में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि को बढ़ावा देता है।

अनुशंसाएँ: *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से परे लंबित ए0सी0 विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए0सी0 विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की पहल की जाय जो ए0सी0 विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।*

3.8 निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

मार्च 2018 तक, वित्त लेखे में प्रतिवेदित राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के आँकड़ों (₹ 31,284.55 करोड़) तथा कंपनियों द्वारा बताए गए आँकड़ों (₹ 30,639.29 करोड़) के बीच ₹ 645.26 करोड़ का अंतर है।

इसी प्रकार, वित्त लेखे में दर्शाए गए ऋण एवं अग्रिम के आँकड़ों (₹ 5,258.01 करोड़) तथा राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा सूचित किये गये आँकड़ों (₹ 5,094.68 करोड़) के बीच ₹ 163.33 करोड़ का अंतर पाया गया।

आगे, वित्त लेखे में दर्शाए गए प्रत्याभूति के आँकड़े (₹ 4,844.52 करोड़) तथा राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा सूचित किये गऐ आँकड़ों (₹ 7,030.00 करोड़) के बीच ₹ 2,185.48 करोड़ का अंतर भी पाया गया।

निवेशों, ऋणों तथा प्रत्याभूतियों के आँकड़ों में पाए गए सभी अंतरों का समाशोधन किया जा रहा है जिसकी विवरणी ***परिशिष्ट 3.7*** में दर्ज है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों से संबधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।*

3.9 जमा राशि पर ब्याज की गैर–अदायगी

राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष 8121– सामान्य एवं अन्य रिजर्व निधि–122– राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 696.39 करोड़) एवं 8342– अन्य जमा[9] (₹ 88.61 करोड़) में 31 मार्च 2017 तक प्रदर्शित शेष जमा पर ब्याज देना अपेक्षित है। इस मुख्य शीर्ष से संबंधित लोक खाते में ₹ 785 करोड़ की राशि शेष थी। तथापि, इस निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है जो कि इस तथ्य से पता चलता है कि शीर्ष 2049–जमा पर ब्याज के अंतर्गत 2017–18 के दौरान किये गये व्यय को इन्द्राज नहीं किया गया। इस अवधि में, जमा राशि पर देय ब्याज ₹ 64.54 करोड़ था। परिणामस्वरूप, 2017–18 के लिए राजस्व अधिशेषों में ₹ 64.54 करोड़ का अतिशयता हो गया जैसा कि **कंडिका 3.14** में प्रदर्शित है।

[9] 117–सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित योगदान पेंशन योजना और 120–विविध जमा

अनुशंसा : *वित्त विभाग को सभी ब्याज निक्षेपों के संबंध में ब्याज दर्ज करनी चाहिए।*

3.10 राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

15 नवम्बर 2000 से प्रभावी बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक के बाद भी, उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच पूँजी (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋणों एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) तथा भाग–III के अधीन लोक खातों (रिजर्व बैंक में जमा को छोड़कर) के अंतर्गत ₹ 11,148.69 करोड़ की शेष राशि का विभाजन किया जाना शेष है।

पुनः, तब के मौजूद 12 सा0 क्षे0 उ0[10] के परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन का निर्णय (सितम्बर 2015) लिया गया था। यथापि, सितम्बर 2018 तक केवल पाँच सा0 क्षे0 उ0[11] के संबंध में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। पुनः, बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड का विभाजन 2012 से लंबित है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।*

3.11 रोकड़ शेष में अंतर

31 मार्च 2018 को महालेखाकार द्वारा कार्यित रोकड़ शेष ₹ 46.90 करोड़ (नामे) जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष ₹ 92.16 करोड़ (जमा) थी। ₹ 45.26 करोड़ (जमा) का अंतर मुख्यतः लेन–देन की गलत जानकारी देने तथा एजेंसी बैंकों द्वारा असमाशोधन था एवं इसका समाशोधन किया जा रहा है।

3.12 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष 2017–18 के दौरान रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों के निवेशों का विवरण **तालिका 3.5** में दिया हुआ है:

तालिका 3.5: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों में रोकड़	00.00	00.00
रिजर्व बैंक के पास जमा	114.90	46.90
पारगमन में प्रेषण–स्थानीय	00.00	00.00

[10] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम, बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

[11] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

विवरण	01 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
कुल	**114.90**	**46.90**
रोकड़ शेष निवेश खातों में किया गया निवेश	13,001.71	17,395.63
कुल (अ)	**13,116.61**	**17,442.53**
(ब) अन्य शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण विभाग तथा वन विकास विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	185.60	185.73
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	342.26	341.97
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	3,417.73	4,111.33
कुल (ब)	**3,945.59**	**4,639.03**
कुल (अ+ब)	**17,062.20**	**22,081.56**

(स्रोतः 2017–18 के वित्त लेखे)

₹ 185.73 करोड़ के विभागीय शेष में अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय के रूप में ₹ 161 करोड़ निहित है एवं शेष ₹ 24.73 करोड़ की राशि संयुक्त बिहार के विरासत का भाग है जिसे बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बटवारे के पूर्ण नहीं होने के कारण उत्तरवर्ती राज्य बिहार के द्वारा वहन किया गया है।

3.13 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, यदि धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र में न्यून आहरण अथवा चालान, जो पहला संभावित अवसर हो, द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए जिसमें यह आहरित हुई है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि आकस्मिक विपत्रों पर आहरित धन को उसी वित्तीय वर्ष में ही व्यय किया जाएगा एवं अव्ययित राशि को वर्ष के 31 मार्च के पूर्व प्रेषित किया जाएगा।

यह पाया गया कि आठ विभागों/संगठनों के कार्य विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की ₹ 145.24 करोड़ की राशि 31 मार्च 2018 तक समायोजन हेतु लंबित थी, जो की वित्तीय वर्ष के अन्त के पहले तक कोषागार में वापसी हेतु योग्य थी। पुनः, ₹ 16.01 करोड़ की राशि इन कार्य विभागों में एक अग्रदाय के रूप में भी पड़ी थी। 31 मार्च 2018 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: मार्च 2018 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग/संगठन का नाम	अग्रिम की अवधि	अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1.	भवन निर्माण	1998-2015	5.60	2.14	7.74
2.	सिंचाई	1983-2015	26.49	0.40	26.89
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	अनुप्लब्ध	0.78	0.16	0.94
4.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	अनुप्लब्ध	8.42	0.38	8.80
5.	पथ निर्माण	1999-2005	67.48	2.15	69.63
6.	ग्रामीण कार्य	2002-2016	6.13	7.19	13.32
7.	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	2011-2016	28.05	3.38	31.43
8.	लघु जल संसाधन	1985-2014	2.29	0.21	2.50
	कुल		**145.24**	**16.01**	**161.25**

(स्रोत : वर्ष 2017–18 का वित्त लेखे)

संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया कि आहरित अग्रिमों का समायोजन/वसूली प्रक्रियाधीन है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अव्ययित राशियों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाय तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।*

3.14 राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वित्त लेखे के अनुसार, व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 227.06 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। इसे **तालिका 3.7** में दिया गया है:

तालिका 3.7: राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मद	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अतिशयता	न्यूनोक्ति	अतिशयता	न्यूनोक्ति
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि समेत ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	57.45	..	..	57.45
2.	जमा पर ब्याज की गैर–अदायगी	7.09	..	..	7.09
3.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	128.24	..	..	128.24
4.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर उपार्जित ब्याज	34.24	..	..	34.24
कुल योग		**अतिशयता**	**227.06**	**न्यूनोक्ति**	**227.06**

(स्रोत : वर्ष 2017–18 का वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त को देखते हुए राज्य का राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा जो कि क्रमशः ₹ 14,823 करोड़ एवं ₹ 14,305 करोड़ था वास्तव में ₹ 14,596 करोड़ एवं ₹ 14,532 करोड़ होगा। राज्य के प्रदर्शन पर समग्र प्रभाव का वर्णन कंडिका 1.1.2 में किया गया है।

पटना **(डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी)**

दिनांकः 08 दिसम्बर 2019 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांकः 17 दिसम्बर 2019 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1

(संदर्भः कंडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़ें			
क्रम सं.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		94,163 वर्ग कि.मी.
2	2011 के जनगणना के अनुसार		10.38 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		33.70 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		61.80 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 34 प्रति 1000 जन्म पर)		38
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 68.30 वर्ष)		68.40 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2017–18 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)		4,87,628
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी.[1] सी.ए.जी.आर.[2] (2008–09 से 2017–18)	बिहार	13.20
		सामान्य कोटि के राज्य	13.10
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2008–09 से 2017–18)	बिहार	14.70
		सामान्य कोटि के राज्य	14.50
11	जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)	बिहार	11.90
		सामान्य कोटि के राज्य	11.60

ब. वित्तीय आँकड़े						
क्रम सं.	विवरण		(आँकड़े प्रतिशत में)			
1	सी0ए0जी0आर0		2008–09 से 2016–17		2016–17 से 2017–18	
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	15.10	15.66	11.30	11.23
	ख	कर राजस्व का	14.90	18.34	12.20	(-) 2.55
	ग	गैर कर राजस्व का	9.50	9.61	5.90	45.94
	घ	कुल व्यय का	15.80	16.70	4.70	7.93
	ड	पूँजीगत व्यय का	14.00	19.75	1.00	6.24
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.50	14.01	6.20	21.67
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	19.18	10.70	20.89
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	13.40	9.85	8.90	12.64
	झ	पेंशन का	16.20	17.35	22.90	14.27

स्रोतः(सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2018)।

[1] जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

[2] सी.ए.जी.आर = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट–1.2

(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

भाग–कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि: सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है। तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

भाग III लोक लेखा: कुछ विशेष लेन–देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखे दो भागों में विभाजित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण को सामान्य समक्ष में आने वाली सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत करता है वहीं भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । **भाग I** में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	**वित्तीय स्थिति का विवरण :** यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलना दर्शाता है ।
विवरण संख्या 2	**प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा–समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूची शामिल होती है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
विवरण संख्या 3	**प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है । यह विवरण ी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 4	**व्यय की विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 5	**प्रगाामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 6	**उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होती है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 7	**सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होती है ।

परिशिष्ट 1.2 भाग–ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	**रूपरेखा**
विवरण संख्या 8	**सरकार के निवेशों का विवरण** : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 9	**सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण :** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 10	**सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे– सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्त्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है ।
विवरण संख्या 11	**दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण:** यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है ।
विवरण संख्या 12	**राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होनी चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	**समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार :** यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होती है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं–भाग–I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें ।	
विवरण संख्या 14	**लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 15	**लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होती है, राज्य सरकार की योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग–अलग दर्शाए जाते हैं।
विवरण संख्या 16	**लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर–योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाती है।
विवरण संख्या 17	**उधार तथा अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है । यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करती है ।
विवरण संख्या 18	**सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 19	**सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण इकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 20	**सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी सरकार द्वारा दी गयी गारंटियो का इकाई वार विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 21	**आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है। यह विवरणी खंण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होती हैं।
विवरण संख्या 22	**उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाती है ।

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट–1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1 पृष्ठ 1)

वर्ष 2017–18 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2016-17			2017-18		2016-17		2017-18			
								स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
खण्डः अ राजस्व										
1,05,584.99	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**1,17,446.74**	**94,765.18**	**I**	**राजस्व व्यय**	**66,672.60**	**35,951.13**	**1,02,623.73**
23,742.26		कर राजस्व	23,136.49		30,607.00		**सामान्य सेवाएँ**	**33,087.27**	**287.03**	**33,374.30**
2,403.12		करेत्तर राजस्व	3,506.74		40,736.63		**सामाजिक सेवाएँ**	**19,254.14**	**26,515.33**	**45,769.47**
58,880.59		संघीय करों का राज्यांश	65,083.38		19,151.91		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	11,120.92	12,193.67	23,314.59
4,505.51		गैर योजना अनुदान	(-) 5.00		4,622.46		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,103.97	2,512.61	5,616.58
13,952.92		राज्य केन्द्रशासित प्रदेशों की योजना के लिए अनुदान	(-) 2.20		7,463.27		जलापूर्ति, स्वच्छता,आवास एवं शहरी विकास	1,219.29	4,456.99	5,676.28
2,100.59		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	(-) 1.00		132.46		सूचना एवं प्रसारण	77.34	53.48	130.82
		केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	13,312.26		2,226.95		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14.31	936.29	950.60
		वित्त आयोग अनुदान	4,525.06		387.80		श्रम एवं श्रम कल्याण	111.54	208.86	320.40
		अन्य अंतरण/ राज्यों को अनुदान	7,891.01		6,697.61		समाज कल्याण एवं पोषाहार	3,534.96	6,150.26	9,685.22
					54.17		अन्य	71.81	3.17	74.98
					23,417.25		**आर्थिक सेवाएँ**	**14,327.16**	**9,148.77**	**23,475.93**
					2,286.56		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	848.73	2,776.86	3,625.59
					8,352.30		ग्रामीण विकास	6,745.33	4,466.89	11,212.22
					1,048.26		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,157.52	143.64	1,301.16
					7,698.29		ऊर्जा	3,872.08	432.58	4,304.66
					887.56		उद्योग एवं खनिज	66.74	689.18	755.92
					1,787.19		परिवहन	1,376.27	25.53	1,401.80
					1,357.09		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	260.49	614.09	874.58
					4.30		**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	**4.03**	**0.00**	**4.03**
					94,765.18		**कुल**	**66,672.60**	**35,951.13**	**1,02,623.73**
	II	**खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे**			**10,819.81**	**II**	**खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष**			**14,823.01**
1,05,584.99		**कुल**		**1,17,446.74**	**1,05,584.99**		**कुल**			**1,17,446.74**

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2016-17			2017-18		2016-17		2017-18			
								स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
खण्ड ब अन्य										
11,716.72	**III**	**स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष**		**17,062.20**		**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट**			
	IV	**विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**			**27,208.40**	**IV**	**पूँजीगत परिव्यय**	**40.99**	**28,865.96**	**28,906.95**
					2,090.35		**सामान्य सेवाएँ**	**5.14**	**2,759.47**	**2,764.61**
					3,592.49		**सामाजिक सेवाएँ**	**16.40**	**4,241.94**	**4,258.34**
					1,074.46		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,518.70	1,518.70
					870.43		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	564.97	564.97
					1,322.66		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	16.40	1,916.14	1,932.54
					21.43		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	30.10	30.10
					63.70		समाज कल्याण एवं पोषाहार	0.00	103.74	103.74
					239.81		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	108.29	108.29
					21,525.56		**आर्थिक सेवाएँ**	**19.45**	**21864.55**	**21884.00**
					127.89		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	(-) 0.55	198.69	198.14
					7,891.74		ग्रामीण विकास	0.00	6,387.66	6,387.66
					0.00		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0	0	0
					1,795.68		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	2,665.49	2,665.49
					5,738.56		ऊर्जा	0.00	6,931.11	6,931.11
					228.11		उद्योग एवं खनिज	20.00	90.48	110.48
					5,601.20		परिवहन	0.00	5,402.44	5,402.44
					142.38		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	188.68	188.68
23.31	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**		**21.89**	**113.87**	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**	**32.93**	**209.85**	**242.78**
7.99		विद्युत परियोजनाओं / अन्य से			75.05		विद्युत परियोजनाओं के लिए	14.50	209.85	224.35
15.32		सरकारी सेवकों से			21.38		सरकारी सेवकों को	18.23	0.00	18.23
		अन्य से			17.44		अन्य को	0.20	0.00	0.20

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2016-17			2017-18		2016-17		2017-18			
								स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
10,819.81	**VI**	**राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए**		**14,823.01**		**VI**	**राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए**			
21,576.76	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**13,169.42**	**4,214.57**	**VII**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**			**4,653.55**
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
20,065.17		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	11,770.77		3,460.49		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	3,841.01		
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन								
1,511.59		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,398.65		754.08		केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	812.54		
		अंतर्राज्यीय समाशोधन					**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			
5,437.85	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**6,053.42**	**5,437.85**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**			**6,053.42**
	IX	**आकस्मिकता निधि को राशि का अंतरण**				**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			
61,730.38	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**57,107.24**	**57,267.94**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**46,298.92**
1,263.08		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1.844.09		1,163.45		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,924.34		
1,074.88		आरक्षित निधि	1,414.92		1,204.03		आरक्षित निधि	1,417.71		
660.28		उचंत एवं विविध	805.73		1,554.67		उचंत एवं विविध	225.93		
9,536.13		प्रेषण	9,862.58		9,543.18		प्रेषण	9,865.34		
49,196.01		जमा एवं अग्रिम	43,179.92		43,802.61		जमा एवं अग्रिम	32,865.60		
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट**			**17,062.20**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**22,081.56**
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			
					114.90		रिजर्व बैंक के पास जमा	46.90		
					527.86		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	527.70		
					16,419.44		रोकड़ शेष निवेश	21,506.96		
2,16,889.82		**योग**		**2,25,683.92**	**2,16,889.82**		**योग**			**2,25,683.92**

(स्रोत: वित्त लेखे, वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट–1.4

(संदर्भः कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 5)

वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (–)	प्रतिशतता आधिक्य(+) / घाटा (–)
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,37,158.41**	**1,17,446.74**	(-) 19,711.67	(-) 14.37
कर राजस्व	32,001.12	23,136.49	(-) 8,864.63	(-) 27.70
करेत्तर राजस्व	2,874.96	3,506.74	631.78	21.98
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	65,326.34	65,083.38	(-) 242.96	(-) 0.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	36,956.00	25,720.13	(-) 11,235.87	(-) 30.40
राजस्व व्यय	**1,22,602.82**	**1,02,623.73**	(-) 19,979.09	(-) 16.30
सामान्य सेवाएँ	**41,603.48**	**33,374.30**	(-) 8,229.18	(-) 19.78
राज्य का अंग	1,251.87	1,093.38	(-) 158.49	(-) 12.66
राजकोषीय सेवाएँ	1,136.26	855.93	(-) 280.33	(-) 24.67
ब्याज भुगतान एवं कर्ज परिशोधन	10,255.36	9,747.40	(-) 507.96	(-) 4.95
प्रशासनिक सेवाएँ	9,082.35	7,746.50	(-) 1,335.85	(-) 14.71
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	19,877.64	13,931.09	(-) 5,946.55	(-) 29.92
सामाजिक सेवाएँ	**53,305.96**	**45,769.47**	(-) 7,536.49	(-) 14.14
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	24,696.22	23,314.59	(-) 1,381.63	(-) 5.59
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,710.83	5,616.58	(-) 94.25	(-) 1.65
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	11,098.86	5,676.28	(-) 5,422.58	(-) 48.86
सूचना एवं प्रसारण	202.78	130.82	(-) 71.96	(-) 35.49
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,780.69	950.60	(-) 1,830.09	(-) 65.81
श्रम एवं श्रम कल्याण	403.44	320.40	(-) 83.04	(-) 20.58
समाज कल्याण एवं पोषाहार	8,164.47	9,685.22	1,520.75	18.63
अन्य	248.67	74.98	(-) 173.69	(-) 69.85
आर्थिक सेवाएँ	**27,688.39**	**23,475.93**	(-) 4,212.46	(-) 15.21
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	4,066.10	3,625.59	(-) 440.51	(-) 10.83
ग्रामीण विकास	12,124.19	11,212.22	(-) 911.97	(-) 7.52
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,290.29	1,301.16	10.87	0.84
ऊर्जा	5,092.07	4,304.66	(-) 787.41	(-) 15.46
उद्योग एवं खनिज	936.08	755.92	(-) 180.16	(-) 19.25
परिवहन	2,022.72	1,401.80	(-) 620.92	(-) 30.70
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2,156.94	874.58	(-) 1,282.36	(-) 59.45
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**4.99**	**4.03**	(-) 0.96	(-) 19.24
पूँजीगत व्यय	**32,195.84**	**28,906.95**	(-) 3,288.89	(-) 10.22
सामान्य सेवाएँ	**3,366.06**	**2,764.61**	(-) 601.45	(-) 17.87
सामाजिक सेवाएँ	**5,186.35**	**4,258.34**	(-) 928.01	(-) 17.89
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,698.15	1,518.70	(-) 179.45	(-) 10.57
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	823.99	564.97	(-) 259.02	(-) 31.43
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2,049.00	1,932.54	(-) 116.46	(-) 5.68
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	166.58	30.10	(-) 136.48	(-) 81.93
समाज कल्याण एवं पोषाहार	448.63	103.74	(-) 344.89	(-) 76.88
अन्य	0.00	108.29	108.29	0
आर्थिक सेवाएँ	**23,643.43**	**21,884.00**	(-) 1,759.43	(-) 7.44
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	310.27	198.14	(-) 112.13	(-) 36.14
ग्रामीण विकास	8,894.87	6,387.66	(-) 2,507.21	(-) 28.19
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,097.85	2,665.49	(-) 432.36	(-) 13.96
ऊर्जा	5,482.61	6,931.11	1,448.50	26.42
उद्योग एवं खनिज	190.00	110.48	(-) 79.52	(-) 41.85
परिवहन	5,533.53	5,402.44	(-) 131.09	(-) 2.37
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	134.30	188.68	54.38	40.49
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	**14,555.59**	**14,823.01**	267.42	1.84
राजकोषीय घाटा (–)	**18,112.00**	**14,304.84**	(-) 3,807.16	(-) 21.02
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–)	**8,520.65**	**5,251.06**	(-) 3,269.59	(-) 38.37

(स्रोतः बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेखे, वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट–1.5

(संदर्भः कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 7)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खंड अ प्राप्तियाँ					
1.राजस्व प्राप्तियाँ	**68,919**	**78,417**	**96,123**	**1,05,585**	**1,17,447**
(i) कर राजस्व	**19,961 (29)**	**20,750 (26)**	**25,449 (26)**	**23,742 (23)**	**23,137(20)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,453 (42)	8,607 (41)	10,603 (42)	11,873 (50)	8,298(36)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,168 (16)	3,217 (16)	3,142(12)	30(0)	(-)3.00(0)
वाहन पर कर	837 (4)	964 (5)	1081(4)	1257(5)	1,599(7)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,712 (14)	2,699 (13)	3,409(13)	2,982(13)	3,726(16)
भू–राजस्व	202 (1)	277 (1)	695(3)	971(4)	779(3)
माल एवं यात्री कर	4,349 (22)	4,451 (21)	6,087(24)	6,245(26)	1,645(7)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	6,747(29)
अन्य कर	240 (1)	535 (3)	432(2)	384(2)	346(2)
(ii) करेत्तर राजस्व	**1,545 (2)**	**1,558 (2)**	**2,186(2)**	**2,403(2)**	**3,507(3)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**34,829 (51)**	**36,963 (47)**	**48,923 (51)**	**58,881 (56)**	**65,083(55)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**12,584 (18)**	**19,146 (24)**	**19,565 (21)**	**20,559 (19)**	**25,720(22)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**15**	**1493**	**19**	**23**	**22**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**68,934**	**79,910**	**96,142**	**1,05,608**	**1,17,469**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**9,907**	**13,917**	**18,383**	**21,577**	**13,169**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,357	13,199	17,565	20,065	11,771
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	550	718	818	1512	1,398
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**78,841**	**93,827**	**1,14,525**	**1,27,185**	**1,30,638**
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**33,458**	**40,251**	**49,106**	**61,730**	**57,107**
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**1,12,299**	**1,34,078**	**1,63,631**	**1,88,915**	**1,87,745**
खंड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	**62,477**	**72,570**	**83,616**	**94,765**	**1,02,624**
योजना	19,096 (31)	25,511 (35)	29,651(35)	33,576(35)	35,951(35)
स्थापना और प्रतिबद्ध	43,381 (69)	47,059 (65)	53,965(65)	61,189(65)	66,673(65)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	22,018 (35)	26,408 (36)	27,972(33)	30,607(32)	33,374(32)
सामाजिक सेवाएँ	26,395 (42)	31,713 (44)	35,943(43)	40,737(43)	45,770(45)
आर्थिक सेवाएँ	14,060 (23)	14,445 (20)	19,697(24)	23,417(25)	23,476(33)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	**14001**	**18150**	**23966**	**27208**	**28,907**
योजना	13,904 (99)	18,092 (99)	23,930(99)	27,192(100)	28866(100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	97(1)	58 (1)	36(1)	16(0)	41(0)
सामान्य सेवाएँ	1,333(10)	1,748 (10)	3,617(15)	2,090(8)	2,765(10)
सामाजिक सेवाएँ	1,858(13)	1674 (9)	2,740(11)	3,592(13)	4,258(15)
आर्थिक सेवाएँ	10,810(77)	14,728 (81)	17,609(74)	21,526(79)	21,884(75)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**807**	**369**	**621**	**114**	**243**
14. कुल (11+12+13)	**77,285**	**91,089**	**1,08,203**	**1,22,087**	**1,31,774**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**3,120**	**3,609**	**4,125**	**4,215**	**4,653**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,559	2,975	3,423	3,461	3,841

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	561	634	702	754	812
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	**80,405**	**94,698**	**1,12,328**	**1,26,302**	**1,36,427**
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20. लोक लेखा संवितरण	**29,453**	**39,200**	**45,923**	**57,268**	**46,299**
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	**1,09,858**	**1,33,898**	**1,58,251**	**1,83,570**	**1,82,726**
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–11)	**6,442**	**5,847**	**12,507**	**10,820**	**14,823**
23. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	**(-) 8,352**	**(-)11,179**	**(-)12,061**	**(-)16,479**	**(-)14,305**
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	**(-) 2,892**	**(-)5,050**	**(-)4,963**	**(-)8,288**	**(-)5,251**
खंड द अन्य आँकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**5,460**	**6,129**	**7,098**	**8,191**	**9,054**
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	**18,935**	**22,359**	**26,426**	**36,209**	**43,359**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	**3,17,101**	**3,42,951**	**3,69,469**	**4,25,888**	**4,87,628**
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	**86,939**	**99,056**	**1,16,578**	**1,38,722**	**1,56,777**
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	**1,090**	**2,001**	**4,721**	**4,460**	**5,174**
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	**2,,587**	**5,315**	**9,397**	**13,053**	**20,234**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**227**	**211**	**144**	**130**	**127**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**1,274**	**1,301**	**1,728**	**1,521**	**892**
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	6.29	6.05	6.89	5.57	4.74
करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.49	0.45	0.59	0.56	0.72
केंद्रीय अंतरण/जी.एस.डी.पी.	10.98	10.78	13.24	13.83	13.35
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	24.37	26.56	29.29	28.67	27.02
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	112.14	116.16	112.57	115.63	112.20
राजस्व व्यय/कुल व्यय	80.84	79.67	77.28	77.62	77.88
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	34.15	34.82	33.22	33.37	34.73
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	18.19	15.86	18.20	19.18	17.82
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	18.12	19.93	22.15	22.29	21.94
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	16.39	18.01	18.81	20.57	19.84
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व आधिक्य/जी.एस.डी.पी.	2.03	1.70	3.39	2.54	3.04
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	2.63	3.26	3.26	3.87	2.93
प्राथमिक घाटा/जी.एस.डी.पी.	0.91	1.47	1.34	1.95	1.08
राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटा	77.14	52.30	103.70	65.66	103.62
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	27.42	28.88	31.55	32.57	32.15
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियाँ	126.15	126.32	121.28	131.38	133.49
राजकोषीय दायित्व/राज्य के अपने संसाधन	404.25	444.04	421.85	530.59	588.41

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों की कुल प्रतिशतता दर्शाते हैं।

@सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट–1.6

(संदर्भ: कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 22)

31 मार्च 2018 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31/3/2017 तक	देयताएँ		31/3/2018 तक
96,595.00	**आंतरिक ऋण**		**1,04,524.76**
	ब्याज सहित बाजार ऋण	73,896.93	
	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.21	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
	अन्य संस्थाओं से ऋण	30,606.07	
9,595.81	**केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**10,181.92**
	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91	
	गैर–योजना ऋण	0.58	
	राज्य योजना के लिए ऋण	191.29	
	केन्द्र योजना के लिए ऋण	1.01	
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	0.53	
	अर्थोपाय अग्रिम के लिए योजनाओं	42.96	
	केंद्रीय प्रायोजित योजना	57.74	
	राज्यों के लिए अन्य ऋण	9,883.90	
350.00	**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
8,891.14	**लघु बचत, भविष्य निधि, आदि**		**8,810.89**
22,916.84	**जमा**		**33,232.88**
4,140.43	**आरक्षित निधि**		**4,137.65**
74.01	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**74.01**
56,961.88	**सरकारी लेखा में आधिक्य/अधिशेष**		**71,784.89**
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	14,823.01	
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	56,961.88	
1,99,525.11			**2,33,097.00**
	परिसम्पत्तियाँ		
1,55,210.22	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**1,84,117.17**
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	23,037.29	
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,61,079.88	
20,948.29	**ऋण एवं अग्रिम**		**21,169.18**
	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	15,745.27	
	अन्य विकास ऋण	5,337.63	
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	86.28	
1,193.65	**प्रेषण**		**1,196.41**
151.39	**अग्रिम**		**153.11**
4,959.36	**उचंत एवं विविध शेष**		**4,379.57**
17,062.20	**रोकड़**		**22,081.56**
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
	रिजर्व बैंक में जमा	46.90	
	विभागीय रोकड़ शेष	185.73	
	स्थायी अग्रिम	341.97	
	उद्दिष्ट निधियों के सहित रोकड़ शेष निवेश	21,506.96	
1,99,525.11			**2,33,097.00**

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट–1.7

(संदर्भ: कंडिका 1.6.2; पृष्ठ 25)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम **(परिशिष्ट 1.2 का भाग ख)** के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय परिवर्त्ती कारकों के लिए अधिक उछाल के गुणकों पर भी काम किया गया ताकि क्या वित्तीय साधन जुटाने व्यय पैटर्न आदि को इन आधारों में परिवर्त्तन के साथ सामंजस्य बनाए हुए है या ये राजकोषीय समक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य कारको से भी प्रभावित है।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रवृत्ति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,17,101	3,42,951	3,69,469	4,25,888	4,87,628
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर	12.30	8.15	7.73	15.27	14.50

(स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

कुछ चुने हुए शब्दावली जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैः

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (ब) के संदर्भ में प्राचल (अ) की उत्पलावकता	प्राचल (अ) की वृद्धि दर/ प्राचल (ब) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व अधिशेष	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ **घटावें** मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भःकंडिका 2.3.1; पृष्ठ 28)

₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(अ) राजस्व						
1	1- कृषि विभाग	2,614.74	191.12	2,805.86	1,655.14	1,150.72	41.01
2	4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	397.67	27.15	424.82	242.35	182.47	42.95
3	12- वित्त विभाग	260.07	8.00	268.07	148.41	119.66	44.64
4	15- पेंशन	19,866.79	0.05	19,866.84	14,296.82	5,570.02	28.04
5	16- पंचायती राज विभाग	8,694.43	454.29	9,148.72	8,540.95	607.77	6.64
6	17- वाणिज्य–कर विभाग	129.13	134.01	263.14	144.51	118.63	45.08
7	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,641.90	777.74	2,419.64	1,211.48	1,208.16	49.93
8	21- शिक्षा विभाग	24,318.99	7,126.09	31,445.08	23,741.87	7,703.21	24.50
9	25- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	168.64	151.24	319.88	121.36	198.52	62.06
10	26- श्रम संसाधन विभाग	413.95	41.86	455.81	353.31	102.50	22.49
11	27- विधि विभाग	696.89	117.65	814.54	609.80	204.74	25.14
12	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	289.97	8.00	297.97	88.54	209.43	70.29
13	33- सामान्य प्रशासन विभाग	518.61	31.41	550.02	383.51	166.51	30.27
14	35- योजना एवं विकास विभाग	1,386.42	4.93	1,391.35	361.00	1,030.35	74.05
15	39- आपदा प्रबंधन विभाग	552.00	3,410.58	3,962.58	2,599.87	1,362.71	34.39
16	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	834.07	34.24	868.31	561.46	306.85	35.34
17	41- पथ निर्माण विभाग	1,129.91	200.00	1,329.91	853.74	476.17	35.80
18	42- ग्रामीण विकास विभाग	9,664.49	705.08	10,369.57	5,203.18	5,166.39	49.82
19	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,297.90	108.61	1,406.51	1,016.23	390.28	27.75
20	45- गन्ना उद्योग विभाग	118.58	101.64	220.22	92.39	127.83	58.05
21	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	4,335.01	712.92	5,047.93	3,236.04	1,811.89	35.89
22	50- लघु जल संसाधन विभाग	302.52	98.08	400.60	300.26	100.34	25.05
23	51- समाज कल्याण विभाग	5,846.24	2,386.54	8,232.78	6,090.58	2,142.20	26.02
	(अ)कुल राजस्व	**85,478.92**	**16,831.23**	**1,02,310.15**	**71,852.80**	**30,457.35**	**29.77**
	पूँजीगत						
24	1- कृषि विभाग	30.00	184.94	214.94	37.01	177.93	82.78

क्रम सं0	अनुदान / विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	3- भवन निर्माण विभाग	3,405.67	1,032.05	4,437.72	2,088.91	2,348.81	52.93
26	9- सहकारिता विभाग	185.20	71.74	256.94	138.80	118.14	45.98
27	20- स्वास्थ्य विभाग	818.99	352.21	1,171.20	552.04	619.16	52.87
28	21-शिक्षा विभाग	932.40	730.09	1,662.49	1,213.84	448.65	26.99
29	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	305.10	48.00	353.10	241.40	111.70	31.63
30	35- योजना एवं विकास विभाग	1,455.31	10.00	1,465.31	877.73	587.58	40.10
31	49- जल संसाधन विभाग	2,793.54	1,160.45	3,953.99	2,548.55	1,405.44	35.54
32	50- लघु जल संसाधन विभाग	304.30	0.00	304.30	129.79	174.51	57.35
(ब) कुल पूँजीगत		**10,230.51**	**3,589.48**	**13,819.99**	**7,828.07**	**5,991.92**	**43.36**
महायोग (अ+ब)		**95,709.43**	**20,420.71**	**1,16,130.14**	**79,680.87**	**36,449.27**	**31.39**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट–2.2

(संदर्भः कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 29)

2013–18 के दौरान सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0 तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व (दत्तमत)						
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1	1- कृषि विभाग	1,474.44 (43.34)	1,590.88 (44.10)	1,652.10 (48.66)	1,214.66 (42.22)	1,150.72 (41.01)
2	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	607.69 (62.55)	211.59 (32.11)	188.32 (31.37)	133.55 (22.25)	148.73 (19.90)
3	12- वित्त विभाग	106.32 (27.48)	124.99 (45.19)	116.02 (45.16)	100.83 (38.82)	119.66 (44.64)
4	15- पेंशन	4,245.25 (30.84)	306.47 (2.63)	1,347.30 (10.22)	3,770.68 (23.17)	5,570.01 (28.04)
5	16- पंचायती राज विभाग	1,070.78 (26.28)	2,334.24 (49.57)	2,572.10 (47.06)	919.67 (12.45)	607.76 (6.64)
6	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	459.08 (41.34)	503.29 (43.77)	976.24 (40.67)	1,097.53 (50.74)	1,208.16 (49.93)
7	20- स्वास्थ्य विभाग	623.24 (22.31)	914.11 (21.60)	964.06 (21.44)	3,350.96 (41.37)	1,427.99 (19.99)
8	21- शिक्षा विभाग	4,389.62 (23.52)	**8,534.72** **(34.32)**	5,813.90 (23.77)	3,837.45 (16.77)	7,703.21 (24.50)
9	22- गृह विभाग	611.15 (12.58)	1,002.61 (16.18)	622.85 (10.09)	970.47 (13.55)	866.99 (11.77)
10	23- उद्योग विभाग	205.87 (27.69)	936.05 (65.35)	390.42 (28.40)	191.03 (26.13)	150.99 (18.36)
11	27- विधि विभाग	141.61 (22.79)	179.09 (26.60)	146.64 (22.14)	289.30 (34.98)	204.74 (25.14)
12	33- सामान्य प्रशासन विभाग	114.25 (27.71)	172.66 (31.77)	181.49 (33.32)	169.23 (25.13)	166.51 (30.27)
13	35- योजना एवं विकास विभाग	771.08 (81.59)	540.78 (46.76)	135.04 (50.24)	1,291.09 (55.48)	1,030.36 (74.05)
14	37- ग्रामीण कार्य विभाग	144.10 (16.52)	839.93 (74.86)	422.07 (29.96)	432.17 (27.33)	228.19 (14.39)
15	39- आपदा प्रबंधन विभाग	446.31 (31.10)	661.83 (59.29)	2,406.75 (85.92)	1,210.03 (67.09)	1,362.71 (34.39)
16	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	132.67 (21.20)	224.14 (31.73)	238.37 (32.74)	363.65 (44.40)	306.85 (35.34)
17	41- पथ निर्माण विभाग	413.22 (32.97)	359.65 (28.57)	117.63 (11.39)	222.55 (17.66)	476.18 (35.81)
18	42- ग्रामीण विकास विभाग	221.70 (11.74)	3,599.42 (53.52)	3,554.04 (50.18)	4,468.35 (43.48)	5,166.39 (49.82)
19	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	189.52 (17.90)	227.39 (19.44)	361.50 (18.85)	497.99 (30.35)	390.28 (27.75)

क्रम सं0	अनुदान सं0 तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	819.97 (32.32)	1,522.13 (46.12)	1,133.68 (36.44)	1,244.82 (26.93)	1,811.89 (35.89)
21	50- लघु जल संसाधन विभाग	668.14 (66.11)	375.41 (57.59)	359.96 (51.86)	102.64 (30.00)	**100.34 (25.05)**
22	51- समाज कल्याण विभाग	1,324.08 (25.28)	2,515.37 (33.91)	1,502.39 (22.11)	1,798.95 (27.08)	2,142.20 (26.02)
योग		**19,180.09**	**27,676.75**	**25,202.87**	**27,677.60**	**32,340.86**
पूँजीगत (दत्तमत)						
23	3- भवन निमार्ण विभाग	659.52 (40.89)	1,719.79 (60.50)	1,347.14 (45.12)	1,537.81 (53.43)	2,348.80 (52.93)
24	10- ऊर्जा विभाग	1,670.51 (38.87)	2,323.07 (34.45)	1,207.86 (29.16)	5,330.74 (47.83)	130.74 (1.79)
25	41- पथ निर्माण विभाग	846.96 (17.18)	661.32 (12.50)	599.98 (11.91)	442.80 (7.65)	372.09 (6.26)
26	49- जल संसाधन विभाग	1,853.56 (53.62)	1,262.62 (50.27)	251.54 (14.48)	511.32 (23.38)	1,405.44 (35.54)
27	50- लघु जल संसाधन विभाग	108.10 (35.52)	181.00 (50.03)	122.14 (37.85)	161.05 (56.45)	174.51 (57.35)
योग		**5,138.65**	**6,147.80**	**3,528.66**	**7,983.72**	**4,431.58**
महायोग		**24,318.74**	**33,824.55**	**28,731.53**	**35,661.32**	**36,772.44**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–2.3

(संदर्भः कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 29)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
(अ) राजस्व (भारित)					
1	13- ब्याज भुगतान	9,591.36	9140.88	450.48	0.42
2	28- उच्च न्यायालय बिहार	166.42	150.70	15.72	12.09
3	34- बिहार लोक सेवा आयोग	22.60	21.03	1.57	0.10
(अ) योग राजस्व (भारित)		**9,780.38**	**9312.61**	**467.77**	**12.61**
(ब) राजस्व (दत्तमत)					
4	1- कृषि विभाग	2,614.74	1655.14	959.60	191.12
5	3- भवन निर्माण विभाग	601.67	514.39	87.28	15.31
6	4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	397.67	242.35	155.32	27.15
7	7- निगरानी विभाग	36.21	32.58	3.63	0.97
8	10- ऊर्जा विभाग	5,094.83	4374.84	719.99	0.20
9	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,490.51	1207.14	283.37	1.86
10	12- वित्त विभाग	260.07	148.41	111.66	8.00
11	16- पंचायती राज विभाग	8,694.42	8540.95	153.47	454.29
12	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,641.90	1211.48	430.42	777.74
13	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	316.97	259.18	57.79	19.74
14	20- स्वास्थ्य विभाग	6,182.53	5717.10	465.43	962.56
15	21- शिक्षा विभाग	24,318.99	23741.87	577.12	7,126.10
16	22- गृह विभाग	7,233.89	6500.78	733.11	133.89
17	23- उद्योग विभाग	733.26	671.56	61.70	89.29
18	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	168.64	121.36	47.28	151.24
19	26- श्रम संसाधन विभाग	413.95	353.31	60.64	41.86
20	27- विधि विभाग	696.89	609.80	87.09	117.65
21	29- खान एवं भूतत्व विभाग	25.85	21.03	4.82	17.97
22	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	289.97	88.54	201.43	8.00
23	31- संसदीय कार्य विभाग	2.01	1.91	0.10	0.20
24	32- विधानमंडल	170.21	153.68	16.53	8.43
25	33- सामान्य प्रशासन विभाग	518.61	383.51	135.10	31.41
26	35- योजना एवं विकास विभाग	1,386.42	361.00	1,025.42	4.94

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
27	38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	152.80	136.77	16.03	67.24
28	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	834.06	561.46	272.60	34.24
29	41- पथ निर्माण विभाग	1,129.91	853.74	276.17	200.00
30	42- ग्रामीण विकास विभाग	9,664.48	5,203.18	4,461.30	705.08
31	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,297.90	1,016.23	281.67	108.61
32	45- गन्ना उद्योग विभाग	118.58	92.39	26.19	101.64
33	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	4,335.01	3,236.04	1,098.97	712.92
34	50- लघु जल संसाधन विभाग	302.52	300.26	2.26	98.08
(ब) योग राजस्व (दत्तमत)		**81,125.47**	**68,311.98**	**12,813.49**	**12,217.73**
योग राजस्व(अ+ब)		**90,905.85**	**77,624.59**	**13,281.26**	**12,230.34**
(स) पूँजीगत (दत्तमत)					
35	3- भवन निर्माण विभाग	3,405.67	2,088.91	1,316.76	1,032.04
36	9- सहकारिता विभाग	185.20	138.80	46.40	71.73
37	20- स्वास्थ्य विभाग	818.99	552.04	266.95	352.21
38	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	305.10	241.40	63.70	48.00
39	35- योजना एवं विकास विभाग	1,455.31	877.73	577.58	10.00
40	37- ग्रामीण कार्य विभाग	8,331.86	6,396.35	1,935.51	1,367.00
41	49- जल संसाधन विभाग	2,793.54	2,548.55	244.99	1,160.45
42	51- समाज कल्याण विभाग	160.02	15.91	144.11	18.79
(स) योग पूँजीगत (दत्तमत)		**17,455.69**	**12,859.69**	**4,596.00**	**4,060.22**
महायोग (अ+ब+स)		**1,08,361.54**	**90,484.28**	**17,877.26**	**16,290.56**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट–2.4

(संदर्भः कंडिका 2.3.4;, पृष्ठ 30)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	3475-00-106-0001- माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	8.46	0.44	7.82	1.08	0.00
2	2	2403-00-102-0007- मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु कल्याण	1.25	0.17	1.17	0.20	0.05
3		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	1.26	1.65	0.00	2.91	0.00
4		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.84	1.05	0.00	1.89	0.00
5		2403-00-789-0206- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2.16	1.74	2.12	1.78	0.00
6		2403-00-789-0207- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.24	0.76	0.00	1.00	0.00
7		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.16	0.50	0.00	0.66	0.00
8	3	2052-00-090-0020- भवन निर्माण विभाग	2.36	0.22	1.99	0.00	0.59
9		2059-80-001-0001- निर्देशन	17.07	1.59	16.88	1.66	0.12
10		2059-80-001-0004- निष्पादन	155.72	5.01	143.33	0.00	17.40
11		4059-60-051-0106- स्टेडियम एवं खेल संरचना	100.00	9.93	84.99	24.94	0.00
12	4	2052-00-090-0024- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	7.59	0.50	7.38	0.69	0.02
13	8	2204-00-102-0003- राष्ट्रीय कनीय कैडेट कोर शाखा	9.22	0.12	8.82	0.52	0.00
14		2204-00-104-0001- खेलकूद	8.85	0.60	8.15	1.01	0.29
15		2205-00-102-0101- कला और संस्कृति का संवर्धन	11.60	1.00	11.42	1.14	0.04
16		2251-00-090-0003- कला, संस्कृति और युवा विभाग	2.92	0.24	2.72	0.44	0.00
17	12	7610-00-201-0001- सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम हेतु	7.00	0.50	6.79	0.51	0.20
18	16	2515-00-001-0003- जिला पंचायत की स्थापना	204.12	2.21	181.66	23.66	1.01
19	18	3456-00-001-0002- जिला प्रभार	46.92	3.53	44.65	0.00	5.80
20	19	2406-01-001-0001- निदेशन और प्रशासन	19.02	0.47	17.14	2.35	0.00
21		2406-01-101-0002- वर्किंग प्लान प्रमंडल	1.34	0.06	1.22	0.08	0.10
22		2406-04-101-0302- राष्ट्रीय संसाधन तथा परितंत्र संरक्षण	1.56	1.55	0.58	2.52	0.01
23	20	2210-01-110-0011- संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.04	2.53	0.13	0.00
24		2210-01-200-0001- यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम	56.28	2.32	55.52	1.82	1.26
25		2210-01-200-0002- कुष्ठरोग निरोध कार्यक्रम	50.71	0.50	45.59	3.31	2.31
26		2210-01-200-0006- विधायक अस्पताल, पटना	1.99	0.28	1.97	0.25	0.05
27		2210-06-107-0001- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	5.02	0.09	4.97	0.09	0.05
28		2210-06-113-0001- प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	0.64	0.14	0.62	0.03	0.13

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	20	2211-00-101-0205- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	278.36	1.90	242.39	0.00	37.87
30		2211-00-101-0305- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	217.83	3.80	198.90	0.00	22.73
31		2251-00-090-0007- स्वास्थ्य विभाग	4.54	0.05	3.73	0.86	0.00
32	21	2202-01-192-0001- नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	37.40	0.80	35.74	0.00	2.46
33		2202-01-193-0001- नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	53.50	0.80	41.85	0.00	12.45
34		2202-01-197-0002- प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,374.44	2.00	1,179.61	0.00	196.83
35		2202-02-001-0002- जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	161.02	40.00	155.91	0.00	45.11
36		2202-03-103-0003- राजकीय महिला महाविद्यालय	12.04	0.10	10.28	0.00	1.86
37		2202-80-001-0001- मुख्यालय स्थापना	6.97	0.15	6.11	0.00	1.01
38		2202-80-001-0002- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	1.37	0.08	0.92	0.00	0.53
39		2202-80-003-0008- प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	19.49	3.50	18.67	0.00	4.32
40		2202-80-004-0004- मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान	1.99	0.09	1.36	0.00	0.72
41		2202-80-004-0005- अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.62	0.04	0.51	0.00	0.15
42		2202-80-004-0007- के0 पी0 जायसवाल शोध संस्थान, पटना	2.34	0.07	1.79	0.00	0.62
43		2202-80-004-0018- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	9.26	0.21	7.23	0.00	2.24
44		2205-80-800-0006- प्रक्षेत्रीय अभिलेख पर्यालोचन समिति	0.17	0.01	0.17	0.00	0.01
45		2205-00-105-0001- सार्वजनिक पुस्तकालय	2.31	0.05	1.36	0.00	1.00
46	22	2052-00-090-0002- गृह (विशेष) विभाग	14.62	0.30	12.79	2.11	0.02
47		2055-00-109-0017- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय	21.00	1.00	18.82	3.00	0.18
48		2055-00-111-0002- आर्डर पुलिस	211.55	0.20	171.52	0.00	40.23
49		2055-00-114-0002- कम्प्यूटर	3.03	0.18	2.68	0.53	0.00
50		2056-00-001-0001- जेल निरीक्षणालय	7.55	0.44	6.90	1.09	0.00
51		2056-00-003-0002- बंदियों के प्रशिक्षण हेतु	0.10	0.20	0.04	0.26	0.00
52		2056-00-101-0003- उप जेल	38.09	0.10	27.42	0.00	10.77
53		2235-02-106-0002- परिवीक्षा सेवाएँ	10.58	0.10	9.75	0.92	0.01
54		2235-60-200-0011- मानवता के आधार पर राहत	1.10	0.25	0.93	0.42	0.00
55	23	2851-00-102-0001- प्रदर्शन केन्द्र	24.26	0.34	19.79	4.81	0.00
56		2852-08-001-0001- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	0.71	0.01	0.68	0.04	0.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	23	2852-80-102-0160- प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	396.52	26.51	375.02	48.01	0.00
58		2852-80-102-0164- बिहार फाउन्डेशन	02.82	0.69	1.72	1.79	0.00
59	24	2220-60-106-0002- जिला इकाईयाँ	24.90	0.74	15.78	9.84	0.02
60	25	2852-07-202-0107- सूचना प्रावैद्यिकी संबंधी प्रचार–प्रसार योजना	3.00	10.00	1.45	11.55	0.00
61	26	2230-01-001-0001- श्रमायुक्त	5.66	0.08	5.05	0.66	0.03
62		2230-01-101-0007- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन	29.82	0.02	23.80	6.02	0.02
63		2230-01-101-0108- श्रम अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	10.78	0.06	10.74	0.09	0.01
64		2230-03-102-0001- शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना	2.56	0.05	2.20	0.41	0.00
65	27	2014-00-114-0001- कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता	9.37	0.70	8.68	1.39	0.00
66		2014-00-114-0007- न्यायिक सुविधाएँ (वित्त आयोग की अनुशंसा)	7.00	0.70	0.79	6.86	0.05
67		2014-00-117-0001- परिवार न्यायालय	12.43	0.17	8.85	3.58	0.17
68	30	2251-00-090-011- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5.58	0.27	5.26	0.59	0.00
69	32	2011-02-101-0006- विरोधी दल का नेता	0.94	0.02	0.56	0.40	0.00
70		2011-02-102-0005- विरोधी दल का नेता	0.69	0.02	0.23	0.48	0.00
71		2011-02-103-0001- विधान सभा सचिवालय	40.22	0.62	35.25	5.59	0.00
72	35	2052-00-090-0010- योजना एवं विकास विभाग	10.88	0.20	9.41	1.47	0.20
73	36	4215-01-796-0217- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4.50	1.00	4.05	1.45	0.00
74	39	2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण	124.54	8.00	83.27	48.80	0.47
75		2251-00-090-0017- आपदा प्रबंधन विभाग	4.75	0.62	4.11	1.21	0.05
76	40	2029-00-102-0101- सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	33.82	3.00	32.92	2.81	1.09
77		2052-00-090-0017- राजस्व एवं भूमि–सुधार विभाग	11.83	0.25	9.16	2.24	0.68
78		2506-00-102-0001- जोतों की चकबन्दी	4.62	0.05	3.36	1.31	0.00
79	42	2501-06-789-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	127.66	63.74	121.74	69.66	0.00
80		2501-06-796-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	92.44	4.40	88.15	8.69	0.00
81	43	2203-00-103-0001- सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	0.99	0.17	0.78	0.38	0.00
82	44	2251-00-090-0023- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4.84	0.38	3.86	1.36	0.00
83	49	2711-01-103-0002- अन्य रख–रखाव व्यय	200.55	0.06	195.67	4.79	0.15
योग			**4,416.87**	**216.50**	**3,889.74**	**330.14**	**413.49**

(स्रोतः 2017–18 का विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.4;, पृष्ठ 30)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	02	2403-00-106-0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	16.16	3.48	18.04	1.57	0.03
2.	09	2425-00-001-0001- निदेशन	4.86	0.15	4.96	0.03	0.02
3.	12	7610-00-202-0001- सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	7.00	1.00	7.31	0.01	0.68
4.	13	2049-04-112-0001- बाह्य संपोषित स्कीमों के लिए कर्ज पर ब्याज	108.60	28.00	134.11	0.00	2.49
5.		2049-60-701-0003- विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय	6.00	6.00	10.89	0.00	1.11
6.	15	2071-01-106-0003- सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को घरेलू सत्कार भत्ता	0.10	0.25	0.17	0.17	0.01
7.	19	2406-01-003-0001- प्रशिक्षण, जन संपर्क एवं शोध हेतु	1.61	0.39	1.92	0.07	0.01
8.	20	2210-06-104-0001- औषध नियंत्रण स्थापना	14.61	1.34	15.05	0.71	0.19
9.	21	2202-01-001-0105- शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	55.00	9.28	64.19	0.00	0.09
10.		2202-02-001-0003- क्षेत्रीय उप–निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	6.27	0.75	6.67	0.00	0.35
11.		2202-80-003-0006- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	30.92	5.63	33.43	0.00	3.12
12.		2202-80-003-0007- प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.51	1.00	3.56	0.00	0.95
13.		2251-00-090-0002- शिक्षा विभाग	10.90	6.50	12.45	0.00	4.95
14.	22	2052-00-090-0006- गृह (पुलिस) विभाग	6.09	0.82	6.70	0.00	0.21
15.		2055-00-003-0008- प्रशिक्षण विद्यालय, डुमराँव	5.82	1.38	6.49	0.00	0.71
16.	26	2230-03-101-0101- नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	4.00	4.00	5.92	2.05	0.03
17.	40	2029-00-001-0102- भूमि जोतों की चकबन्दी	15.00	4.00	18.30	0.63	0.07
18.	41	5054-03-337-0102- वृहद् सड़कें	1215.00	74.00	1220.15	15.88	52.97
19.	48	2217-01-191-0116- नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ	41.46	13.52	54.90	0.00	0.08
20.	49	3451-00-090-0009- जल संसाधन विभाग	19.95	2.45	20.91	1.44	0.05
21.		4700-80-051-0104- सिंचाई सृजन परियोजनाएँ (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योयना)	290.75	50.00	306.26	0.00	34.49
22.		4711-01-789-0104- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ (कार्य)	220.00	50.00	263.75	2.16	4.09
योग			**2,083.61**	**263.94**	**2,216.13**	**24.72**	**106.70**

(स्रोतः 2017–18 का विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–2.6

(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 30)

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	2403-00-101-0004- पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान	1.81	0.24	1.52	0.01	0.04
2		2403-00-101-0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्य स्थापना	102.32	7.52	78.82	15.90	0.08
3		2403-00-102-0006- पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना	50.22	0.17	45.48	4.56	0.01
4		2403-00-102-0101- फ्रोजन सीमेन बैंक	14.20	2.26	11.68	0.25	0.01
5		2403-00-113-0001- राज्य पशुधन अनुसंधान व संस्थान की स्थापना	10.04	1.69	8.09	0.25	0.01
6	3	2059-80-053-0001- अनुरक्षण और मरम्मत	270.00	54.02	211.45	0.00	4.53
7		4059-60-051-0107- सांस्कृतिक संरचना	208.01	9.93	82.53	115.40	0.15
8	4	3053-80-003-0001- प्रशिक्षण तथा शिक्षा	5.45	0.50	2.97	1.97	0.01
9	6	2015-00-108-0001- मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय	5.05	1.24	3.42	0.38	0.01
10	8	2205-00-107-0101- संग्रहालय	14.70	1.00	4.72	8.50	0.48
11	9	2425-00-101-0001- लेखापरीक्षा	26.68	0.62	25.55	0.44	0.07
12	12	7610-00-202-0004- विधान सभा के सदस्यों को मोटर कार क्रय हेतु अग्रिम	14.00	1.50	3.39	8.71	0.40
13	13	2049-01-123-0001- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	2227.42	4.00	2223.29	0.00	0.13
14		2049-03-104-0001- साधारण भविष्य निधि पर ब्याज	621.57	56.55	240.85	0.00	324.17
15	15	2071-01-106-0001- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को देय अंशदान	9.39	0.25	2.03	0.00	7.11
16	18	3456.00-001-0003- जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	16.39	2.03	11.21	0.00	3.15
17	19	2406-01-101-0001- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा	89.72	1.72	77.21	10.75	0.04
18		2406-02-110-0323- एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	10.43	1.55	2.18	6.69	0.01
19		2406-04-101-0201- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन0जी0आई0एम0)	12.08	3.01	4.88	4.17	0.02
20		2406-04-101-0301- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन0जी0आई0एम0)	8.06	2.01	3.23	2.78	0.04
21	20	2210-01-110-0008- श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	69.13	3.50	60.33	0.00	5.30
22		2210-01-110-0013- सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	550.57	2.60	444.80	50.50	52.67

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23		2210-01-200-0005- अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	31.61	0.02	28.20	3.00	0.39
24		2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उपकेन्द्र	40.85	0.49	32.50	2.62	5.24
25		2210-03-103-0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	991.60	2.32	930.19	24.35	34.74
26		2210-05-105-0007- मगध मेडिकल कॉलेज	39.36	1.00	34.42	3.62	0.32
27		2210-06-101-0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.27	0.20	20.68	15.06	1.33
28		2211-00-001-0204- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	115.00	1.90	12.63	0.00	100.47
29		2211-00-001-0304- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	90.64	3.80	20.99	0.00	65.85
30	21	2202-02-109-0001- अन्य विद्यालय	997.07	61.94	795.82	0.00	139.31
31		2202-03-001-0001- निदेशन तथा प्रशासन	9.33	0.66	2.60	0.00	6.07
32		2202-03-104-0003- वित्त संपोषित महाविद्यालय	125.00	0.43	89.30	0.00	35.27
33		2202-03-113-0101- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	55.00	9.28	2.50	0.00	43.22
34	22	2055-00-001-0009- प्रतिनियुक्ति अर्ध सैनिक बलों पर व्यय	245.56	12.00	191.48	32.82	9.26
35		2055-00-109-0005- स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस हेतु	178.45	26.63	131.66	0.00	20.16
36		2055-00-109-0006- उग्रवाद प्रभावित थानों/ ओ0 पी0 के सुदृढ़ीकरण हेतु एस.आर.ई. स्कीम के तहत	10.00	2.50	1.97	5.51	0.02
37		2056-00-101-0002- जिला जेल	160.09	0.31	140.86	0.00	18.92
38	23	2851-00-103-0103- हस्तकरघा विकास की योजना	5.95	0.67	5.07	0.20	0.01
39		2852-80-001-0002- निदेशन	27.94	0.01	26.34	1.57	0.02
40	24	2220-01-001-0001- निदेशन अैर प्रशासन	8.49	0.74	4.11	3.63	0.01
41	27	2014-00-105-0001- सिविल तथा सत्र न्यायालय	592.75	0.87	507.86	83.18	0.84
42	32	2011-02-101-0005- सदस्यगण	68.22	0.64	56.07	9.90	1.61
43	35	2053-00-094-0007- योजनातंत्र का सुदृढ़ीकरण	104.06	0.20	70.48	22.24	11.14
44	40	2029-00-103-0206- राष्ट्रीय भूलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन एल आर एम पी)	73.27	7.00	4.33	61.92	0.02
45	41	5054-02-337-0101- भारत नेपाल सीमा सड़क	450.00	49.00	95.63	4.85	300.52
46	43	2203-00-112-0001- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रय	37.88	1.08	33.48	3.31	0.01
47	49	2711-01-001-0003- क्षेत्रीय स्थापना	209.31	2.51	191.23	15.40	0.17
48		4700-80-051-0105- सिंचाई सृजन परियोजना (कार्य)	646.76	25.00	366.92	100.18	154.66
49		4700-80-789-0102- सिंचाई सृजन परियोजना	303.46	50.00	179.14	30.27	44.05
50		4711-01-051-0110- बाढ़ नियंत्रण परियोजना (कार्य)	281.62	25.00	238.73	0.33	17.56
योग			**10,273.78**	**444.11**	**7,764.82**	**655.22**	**1,409.63**

(स्रोतः 2017–18 का विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भः कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 30)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1- कृषि विभाग	2401-00-102-0201- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	74.06	22.33	51.73	0.00	69.85
2.		2401-00-102-0301- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	83.00	36.05	46.95	0.00	56.57
3.		2401-00-103-0218- बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	27.79	9.54	18.25	0.00	65.67
4.		2401-00-103-0318- बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	13.52	1.85	11.67	0.00	86.32
5.		2401-00-104-0205- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	20.02	3.60	16.42	0.00	82.02
6.		2401-00-104-0305- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	13.35	2.40	10.95	0.00	95.64
7.		2401-00-105-0207- राष्ट्रीय संधारण ीय कृषि मिशन	20.39	0.89	19.50	0.00	95.66
8.		2401-00-105-0307- राष्ट्रीय संधारण ीय कृषि मिशन	13.59	0.59	13.00	0.00	84.32
9.		2401-00-109-0218- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	66.07	10.27	55.71	0.09	89.09
10.		2401-00-109-0318- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	63.13	6.84	56.24	0.05	66.53
11.		2401-00-109-0103- बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	145.25	48.52	96.64	0.09	53.59
12.		2401-00-789-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	32.00	14.84	17.15	0.01	73.88
13.		2401-00-789-0237- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.28	3.70	10.55	0.03	84.45
14.		2401-00-789-0239- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	12.73	1.98	10.75	0.00	51.29
15.		2401-00-789-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	28.00	13.64	14.36	0.00	60.75
16.		2401-00-789-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	16.00	6.28	9.72	0.00	89.15
17.		2401-00-789-0339- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	12.17	1.32	10.85	0.00	77.47
18.		2401-00-789-0120- प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	28.80	6.47	22.31	0.02	87.46

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.		2401-00-789-0125- बाढ़/सुखाड़ की आपात कालीन योजना	28.00	3.49	24.49	0.02	50.53
20.		2401-00-789-0126- जैविक खेती का उन्नयन	20.76	10.27	10.49	0.00	84.54
21.		2415-01-277-0312- कौशल विकास मिशन	9.96	1.54	8.42	0.00	96.06
22.	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2405-00-001-0101- मत्स्य निदेशालय का पुर्नगठन	18.29	0.72	17.57	0.00	59.50
23.	3- भवन निर्माण विभाग	2059-60-053-0001- शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोधार	10.00	4.05	5.95	0.00	72.89
24.		2059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	9.70	2.43	7.07	0.20	94.89
25.		4059-01-051-0113- सहकारी विभाग का भवन	17.04	0.58	16.17	0.29	61.90
26.		4059-01-051-0116- संयुक्त श्रमिक भवन का निर्माण	38.19	14.54	23.65	0.00	69.85
27.		4059-01-051-0117- प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग)	301.14	109.94	191.11	0.09	63.46
28.		4059-01-051-0122- अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	25.00	2.98	21.72	0.30	86.88
29.		4059-60-051-0015- ई0वी0एम0 गोदाम का निर्माण (निर्वाचन विभाग)	46.00	0.77	45.23	0.00	98.33
30.		4059-60-051-0107- सांस्कृतिक संरचना	208.01	82.53	125.33	0.15	60.25
31.		4059-60-051-0121- पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	44.00	11.56	32.35	0.09	73.52
32.		4059-60-051-0123- मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता योजना	50.00	19.27	30.27	0.46	60.54
33.		4059-80-051-0220- ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	110.00	33.53	76.47	0.00	69.52
34.		4059-80-051-0221- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	93.00	14.86	78.04	0.10	83.91
35.		4059-80-051-0320- ग्राम न्यायलयों सहित न्यायपालिका क्षेत्र अवसंरचना सुविधाओं को विकास	73.33	17.78	55.35	0.20	75.48
36.		4059-80-051-0117- इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान तथा प्रावैधिकी विभाग)	98.22	42.83	53.14	2.25	54.10
37.		4202-02-104-0108- पॉलिटेकनिक भवन (निश्चय)	200.00	97.78	102.22	0.00	51.11

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.		4202-02-105-0105- इंजिनियरिंग महाविद्यालय भवन (निश्चय)	455.00	132.09	319.18	3.73	70.15
39.		4216-01-700-0105- न्यायधीशों के आवास (विधि विभाग)	211.00	24.24	186.00	0.76	88.15
40.		4216-80-051-0103- अल्संख्यक कल्याण विभाग के आवास	13.00	1.47	11.53	0.00	88.69
41.		4225-80-051-0103- अल्संख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	77.00	12.29	64.71	0.00	84.04
42.		4235-02-104-0101- वृद्धाश्रम	31.26	4.47	23.42	3.37	74.92
43.	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2070-00-001-0107- बिहार राज्य विकास मिशन	200.00	70.00	130.00	0.00	65.00
44.		2070-00-114-0001- सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण	59.19	23.18	36.00	0.01	60.82
45.	9- सहकारिता विभाग	2401-00-789-0342- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम अनुदान	79.47	17.09	62.38	0.00	78.50
46.	11- पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग	4225-03-277-0101- आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोधार	39.58	17.91	21.64	0.03	54.67
47.	12- वित्त विभाग	2054-00-095-0103- बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन परियोजना एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट)	60.00	20.00	40.00	0.00	66.67
48.	16- पंचायती राज विभाग	2515-00-001-0102- जिला पंचायत की स्थापना	10.00	0.30	9.70	0.00	97.00
49.	17- वाणिज्य कर विभाग	2043-00-101-0001- जिला प्रभार	92.43	42.62	49.75	0.06	75.47
50.	18- खाद्य एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-198-0101- निगराणी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	7.50	0.40	7.10	0.00	94.67
51.		3456-00-789-0302- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	259.46	93.59	134.35	31.52	51.78
52.	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0223- एकीकृत वन्यजीव	15.65	2.93	12.72	0.00	81.28
53.		2406-02-110-0224- बाघ परियोजना	14.90	5.26	9.64	0.00	64.70
54.		2406-02-110-0324- बाघ परियोजना	9.94	4.65	5.29	0.00	53.22
55.	20- स्वास्थ्य विभाग	2210-03-789-0201- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	205.48	41.09	164.39	0.00	80.00
56.		2210-03-796-0202- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12.84	2.80	10.04	0.00	78.19

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57.		2211-00-102-0202- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	11.38	2.62	8.69	0.07	76.36
58.		2230-03-102-0102- स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास के प्रशिक्षण केन्द्र बिहार का शुभारंभ	19.88	0.10	19.78	0.00	99.50
59.		4210-02-103-0101- रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	21.00	1.00	20.00	0.00	95.24
60.		4210-03-050-0103- नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	420.00	47.81	372.19	0.00	88.62
61.		4210-03-105-0112- ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	310.00	140.00	170.00	0.00	54.84
62.		4210-03-105-0119- बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	70.00	30.00	40.00	0.00	57.14
63.	21- शिक्षा विभाग	2202-01-111-0201- सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	4,933.88	1,854.80	3,079.08	0.00	62.41
64.		2202-02-109-0207- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0)	784.95	54.00	730.95	0.00	93.12
65.		4202-01-202-0211- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0)	336.40	132.34	190.40	13.66	56.60
66.	22- गृह विभाग	2070-00-003-0008- होम गार्डों का प्रशिक्षण	10.00	4.42	5.58	0.00	55.80
67.		2070-00-107-0003- होम गार्ड से संबंधित कल्याण कार्यक्रम	10.00	3.79	6.17	0.04	61.70
68.		4070-00-052-0101- काराओं के संयंत्रों हेतु	12.00	2.91	9.09	0.00	75.75
69.	23- उद्योग विभाग	2852-80-789-0102- इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	90.70	23.08	67.62	0.00	74.55
70.	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-789-0101- क्षेत्रिय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	14.42	1.40	12.97	0.05	89.94
71.	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0106- ज्ञान सिटी परियोजना	10.00	3.75	6.25	0.00	62.50
72.		3451-00-090-0027- सूचना तकनीकी विभाग	29.51	2.67	26.84	0.00	90.95
73.	26- श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0214- राष्ट्रीय कैरियर सेवा	10.00	0.04	9.96	0.00	99.60
74.		2230-03-003-0333- कौशल विकास मिशन	10.54	3.26	7.28	0.00	69.07

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75.		4250-00-050-0101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू–अर्जन के लिए	55.00	3.76	51.24	0.00	93.16
76.	27- वित विभाग	2014-00-105-0008- त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की सिफारिश)	67.04	8.50	58.52	0.02	87.29
77.	29- खान एवं भूतत्व विभाग	2853-02-001-0001- खनन एवं भूतत्व स्थापना	43.13	20.44	22.43	0.26	52.01
78.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-03-107-0106- अल्पसंख्यक छात्रों को बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोंचिग की व्यवस्था	21.00	4.39	16.61	0.00	79.10
79.		2250-00-003-0101- अल्पसंख्यक वर्ग को कामगारों का प्रशिक्षण	50.00	7.00	43.00	0.00	86.00
80.	33- सामान्य प्रशासन विभाग	2051-00-103-0001- बिहार कर्मचारी चयन आयोग	51.82	4.60	47.22	0.00	91.12
81.	35- योजना एवं विकास विभाग	2053-00-094-0109- योजना यंत्र को सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में	7.50	1.29	6.21	0.00	82.80
82.		2235-60-200-0117- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं साहयता योजना	572.50	183.21	389.27	0.02	67.99
83.		2235-60-200-0120- बिहार मंदिर चाहर दिवारी निर्माण निधि योजना 2015 (गृह विभाग हेतु)	30.00	9.99	20.01	0.00	66.70
84.		2235-60-789-0106- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	120.00	31.04	88.96	0.00	74.13
85.		2235-60-796-0102- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	7.50	1.94	5.56	0.00	74.13
86.		3454-02-205-0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना	14.74	4.71	9.89	0.14	67.10
87.		4070-00-051-0109- योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में।	10.00	1.33	8.67	0.00	86.70
88.		4401-00-051-0102- कृषि विभाग के भवन	87.62	22.26	65.27	0.09	74.49
89.		4515-00-101-0105- पंचायत सरकार भवनों का निर्माण – वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग)	300.00	50.93	249.07	0.00	83.02
90.		4515-00-101-0501- पंचायती राज भवन (इ.ए.पी.)	150.00	20.13	129.87	0.00	86.58
91.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	4515-00-103-0216- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	3,300.00	1,364.64	1,935.36	0.00	58.65

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद भुगतान	10.00	4.28	5.69	0.03	56.90
93.	42- ग्रामीण विकास विभाग	2505-02-101-0201- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1,502.98	626.11	876.87	0.00	58.34
94.		4515-00-103-0102- प्रखंड लघु निर्माण कार्य	51.00	11.93	39.07	0.00	76.61
95.	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0105- कौशल विकास मिशन	10.00	2.86	7.14	0.00	71.40
96.		4202-02-104-0109- पोलिटेक्नीक (निश्चय)	50.00	4.58	45.42	0.00	90.84
97.		4202-02-105-0106- अभियंत्रण महाविद्यालय भवन(निश्चय)	45.00	21.29	23.71	0.00	52.69
98.	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0101- शिक्षा	16.50	6.38	10.12	0.00	61.33
99.		2225-02-102-0202- अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00	0.86	17.10	0.04	95.00
100.		2225-02-197-0101- छात्रवृत्ति / वेतन	22.38	2.51	18.26	1.61	81.59
101.		2225-02-198-0101- छात्रवृत्ति / वेतन	67.17	16.36	50.27	0.54	74.84
102.		2225-02-277-0214- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शिक्षा हेतु छाता योजना	10.15	0.49	9.66	0.00	95.17
103.		2225-02-277-0101- शिक्षा	37.86	17.42	20.05	0.39	52.96
104.	45-गन्ना उद्योग विभाग	2852-08-201-0001- चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय	98.16	1.48	96.68	0.00	98.49
105.	47- परिवहन विभाग	5055-00-051-0101- जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	8.00	2.60	5.40	0.00	67.50
106.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-01-789-0103- पेयजल पूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	28.00	6.25	21.75	0.00	77.68
107.	49- जल संसाधन विभाग	2700-80-190-0001- जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायक अनुदान	15.70	0.00	12.20	3.50	77.71
108.		2705-00-001-0204- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	69.88	27.13	42.75	0.00	61.18
109.		4700-80-051-0206- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	155.88	34.89	120.99	0.00	77.62
110.		4700-80-051-0207- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	795.03	49.50	740.04	5.49	93.08

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
111.		4711-01-051-0209- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	600.00	126.68	324.51	148.81	54.09
112.	50- लघु जल संसाधन विभाग	2702-03-103-0104- निजी नलकूप	66.40	11.48	54.92	0.00	82.71
113.		2702-03-789-0101- निजी नलकूप	12.80	1.60	10.86	0.34	84.84
114.		4702-00-101-0101- लघु सिंचाई	96.68	25.58	71.09	0.01	73.53
115.		4702-00-102-0102- नई/अधुरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतू नबार्ड से ऋण	88.42	37.70	50.71	0.01	57.35
116.	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0224- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	129.01	27.43	101.58	0.00	78.74
117.		2235-02-102-0324- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	96.42	20.73	75.61	0.08	78.42
118.		2235-02-103-0225- मातृत्व लाभ योजना	30.00	0.05	29.95	0.00	99.83
119.		2235-02-104-0107- मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	10.20	0.20	10.00	0.00	98.04
120.		2235-02-789-0312- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	31.25	5.85	25.38	0.02	80.96
121.		2235-03-789-0205- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कायक्रम (एन.एस.ए.पी.)	463.14	176.16	286.98	0.00	61.96
122.		2235-03-796-0201- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कायक्रम (एन.एस.ए.पी.)	56.13	10.00	46.13	0.00	82.18
123.		2236-02-789-0204- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	235.64	98.22	137.42	0.00	58.32
124.		4235-02-102-0208- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	149.44	10.28	139.15	0.01	93.11
125.		4235-02-102-0308- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	29.27	6.22	23.05	0.00	78.75
	योग		**21,037.49**	**6,612.30**	**14,186.70**	**219.15**	**67.44**

(स्रोतः वृहत विनियोग लेखे 2017–18)

परिशिष्ट–2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 30)

निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1- कृषि विभाग	2401-00-109-0319- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	6.64
2		2401-00-109-0419- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	12.34
3		2401-00-113-0217- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	11.65
4		2401-00-113-0317- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	7.76
5		2401-00-789-0245- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	2.24
6		2401-00-789-0343- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	1.28
7		2401-00-789-0345- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	1.50
8		2401-00-789-0443- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	2.38
9		2401-00-796-0267- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	0.14
10		2401-00-796-0365- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एम्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	0.08
11		2401-00-796-0367- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	0.09
12		2401-00-796-0465- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	0.15
13		2402-00-796-0209- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.32
14		2402-00-796-0309- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.21
15	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-105-0102- सूअरों का विकास	0.10
16		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	2.91
17		2403-00-106-0213- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	8.42
18		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	1.89
19		2403-00-106-0313 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5.62
20		2403-00-789-0207 - राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	1.00
21		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.66
22		2404-00-102-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.06
23		2405-00-101-0319- नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन प्रबंधन	0.48
24		3454-01-001-0405 – पशुधन गणना	20.65
25	3- भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0104- गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्वार	1.00
26		2059-01-053-0105- गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्वार	1.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
27		2059-01-053-0118 – वित्त विभाग का जीर्णोद्वार एवं आधुनिकीकरण	0.50
28		2059-60-053-0002- ग्रामीण अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्वार	5.00
29		2059-80-103-0004 – निरीक्षण भवनों का साज सज्जा	0.31
30		4059-01-051-0107 – वित्त विभाग के भवन	5.00
31		4059-60-051-0017 – वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए0डी0आर0 केन्द्र की स्थापना (विधि विभाग)	5.39
32		4059-60-051-0101- सचिवालय स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण	0.50
33		4059-60-051-0124 – बिहार लोक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास संगठन (बी0आई0पी0ए0आर0डी0)	40.00
34		4059-60-051-0319- राष्ट्रीय कृशि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0) (पशु एवं मत्स्य विभाग के भवन हेतु)	4.38
35		4059-60-796-0302- कौशल विकास योजना	0.50
36		4059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.10
37		4059-80-051-0002- लघु कार्य	0.10
38		4059-80-051-0122- आई0 टी0 भवन	5.00
39		4225-80-051-0104 – महानुभाव के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु भवन निर्माण	42.00
40		4408-02-101-0102- खाद्यान भंडार गोदामों का निर्माण (नबार्ड सम्पोषित)	74.66
41	05- राज्यपाल सचिवालय	2012-03-103-0004- राज्यपाल का सज्जा–भत्ता	0.05
42		2012-03-103-0005- विद्युत (उर्जा उपभोग)	0.05
43	8- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	2205-00-190-0001- बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.25
44	9- सहकारिता विभाग	2401-00-796-0364- प्रीमियम अनुदान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	4.97
45		2425-00-001-0107- सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्वार	1.26
46		2425-00-108-0116- सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	5.00
47		4425-00-051-0104- सहकार भवन	24.34
48		6425-00-107-0101- बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि सारव स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	91.15
49	10- ऊर्जा विभाग	2801-02-190-0001- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 (सम विकास योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	10.00
50		2810-60-600-0002- बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी–सहायक अनुदान	10.09
51		2810-60-600-0101- अपरम्परागत उर्जा स्त्रोत	249.90
52		4801-05-190-0208- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0 राज्य घटक बी0एस0पी0टी0सी0एल0 के लिए) सी0एस0एस0	100.00
53	11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0212- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास हेतु	1.60
54		2225-03-277-0214- प्री मैट्रीक छात्रवृत्ति	12.50

क्रम सं0	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
55		2225-03-277-0312- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास हेतु	0.53
56		2225-03-277-0314- प्री मैट्रीक छात्रवृत्ति	11.00
57		4225-03-277-0202- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0छात्रावास निर्माण हेतु)	4.50
58		4225-03-277-0302- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0छात्रावास निर्माण हेतु)	1.50
59	12- वित्त विभाग	2070-00-800-0008- विविध एवं आकस्मिक खर्च	1.50
60		4058-00-103-0101- मशीनरी और उपस्कर–सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनीकरण की योजना	1.00
61		4058-00-103-0102- सरकारी प्रेस गया के आधुनीकरण की योजना	0.50
62	16- पंचायती राज विभाग	2515-00-003-0304- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	4.88
63		2515-00-198-0312- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	60.00
64	17- वाणिज्य–कर विभाग	2040-00-003-0001- बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय	0.10
65		2040-00-101-0002- भामासाह सम्मान योजना	0.10
66	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-001-0405- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन (साहयता केन्द्र)	0.08
67		3456-00-102-0411- उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.30
68		3456-00-102-0413- जन वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.34
69	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	2405-01-105-0104- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2.92
70	20- स्वास्थ्य विभाग	2210-01-200-0112- राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)	0.40
71		2210-03-200-0101- राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण)	1.60
72		2211-00-004-0302- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.22
73		2235-60-110-0204- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	226.00
74		2235-60-110-0304- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	150.67
75		4210-01-110-0110- इंदिरागाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	1.00
76		4210-01-110-0113- जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, एवं जीर्णोद्वार	1.00
77	22- गृह विभाग	2055-00-001-0006- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी)	0.10
78		2055-00-001-0007- स्वापक प्रत्य एवं मनः प्रभावी मादक पदार्थों	0.24
79		2055-00-003-0005- राज्य के बाहर विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों में भाग लेने हेतु	0.10
80		2055-00-109-0009- एस0आर0ई0 योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति वाहनों/हेली कॉपटरों/संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.70
81		2055-00-115-0303- पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	50.96
82		2070-00-108-0102- अग्निशमन उपकरण का क्रय	35.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
83	23- उद्योग विभाग	2851-00-107-0204- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.11
84		2851-00-796-0106- रेशम का विकास	0.50
85		4851-00-190-0102- भेनचर कैपिटल में निवेश	75.00
86		4851-00-190-0103- बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (कॉम्फेड)	20.00
87	24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-103-0002- बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.07
88		2220-60-106-0106- बिहार संवाद समिति	5.00
89		2235-60-200-0115- पत्रकार पेंशन योजना	0.30
90	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	2230-03-001-0101- कौशल विकास मिशन	20.00
91		2852-07-202-0015- आउटसोर्स सेवाओं के मद में भुगतान	90.00
92		2852-07-202-0110- ई–डिस्ट्रीक योजना	3.00
93	26- श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0112- सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो।	2.00
94		2230-02-101-0113- निःशक्त जनों के लिए नियोजन साहयता	0.50
95		2230-02-101-0314- नेशनल कैरियर सर्विस	6.67
96	27- विधि विभाग	2014-00-105-0007- अतिरिक्त न्यायाल (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.00
97		2014-00-105-0009- सिविल एवं सत्र न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.00
98		2014-00-114-0005- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंल/एसोसिएशन को अनुदान	0.10
99		2014-00-114-0105- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंल/एसोसिएशन को अनुदान	0.50
100		2014-00-117-0002- परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	2.30
101		2250-00-101-0002- बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को अनुदान हेतु	1.00
102	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0210- अल्यसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	1.20
103		2250-00-101-0101- मुस्लिम परिव्यक्ता को साहयता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु	22.00
104		2250-00-800-0107- वक्फ सम्पत्ति के रख–रखाब सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु	20.20
105		2250-00-800-0108- वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवौलविंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में	76.00
106		7465-00-190-0101- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना	40.00
107	32- विधानमंडल	2011-02-101-0002- अध्यक्ष के द्वारा वैवेकिक अनुदान	0.05
108	33- सामान्य प्रशासन विभाग	2052-00-090-0005- सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग)	2.24
109		2052-00-090-0041- अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	2.12
110		2052-00-090-0052- उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग	2.40
111		2070-00-003-0006- बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	5.53

क्रम सं0	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
112	35- योजना एवं विकास विभाग	2052-00-090-0103- योजनातंत्र का सुदृढ़ीकरण	2.50
113		2059-01-053-0024- मेला, हार, बाजार, कचहरी भवन का संधारण	1.00
114		2235-01-202-0505- कोशी बाढ़ आपदा, पर्नुवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	346.96
115		2235-01-789-0501- कोशी बाढ़ आपदा पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	98.74
116		2235-01-796-0501- कोशी बाढ़ आपदा पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	7.24
117		3451-00-101-0101- बिहार राज्य योजना बोर्ड	2.00
118		3454-02-204-0409- फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना	0.11
119		3475-00-004-0101- मुख्यमंत्री नव परार्वतन प्रोत्साहन	1.00
120		4401-00-789-0104- कृषि विभाग के लिए भवन	16.89
121		4401-00-796-0102- कृषि विभाग के लिए भवन	1.06
122		4515-00-102-0303- एल डब्लूई जिलों के लिए एसीए	60.00
123	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0125- जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एंव प्रयोगशाला का उन्नयन	0.10
124	38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2030-02-101-0002- प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत	1.00
125		2039-00-001-0007- उत्पाद दुकानों की बंदी के लिए मुआवजा	0.20
126	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2235-01-200-0004- कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए साहयता अनुदान	5.00
127		2245-01-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह का भुगतान	0.10
128		2245-01-105-0001- पशुओं के लिए दवा	0.10
129		2245-02-101-0014- शीतलहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद अनुदान	0.10
130		2245-02-101-0015- राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.10
131		2245-02-112-0104- संचार उपकरणों का क्रय	2.50
132		2245-02-800-0007- गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.39
133		2245-06-101-0003- खाद्यान की आपूर्ति	0.05
134		2245-06-101-0004- भूकम्प प्रभावितों को कपड़ा तथा बर्त्तन का मुफ्त वितरण	0.05
135		2245-06-113-0001- भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति पुनर्स्थापन	0.05
136		2245-80-102-0006- प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन	0.05
137		2245-80-800-0003- बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान साहयता योजना	0.15
138		4250-00-051-0104- गोदाम	0.40
139	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4047-00-050-0104- सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	0.50
140	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-0211- विशेष साहयता (बी0आर0जी0 पथ)	303.53

क्रम सं0	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
141	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0104- इंदिरा आवास योजना का निगरानी एवं तकनीकी सहयोग	4.00
142		2216-03-105-0106- मुख्यमंत्री शताब्दि इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00
143		2216-03-789-0103- मुख्यमंत्री इंदिरा आवास उन्नयन	92.00
144		2515-00-003-0101- बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	3.20
145		4515-00-102-0502- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संस्थान (ई0ए0पी0)	2.00
146	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0303- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	0.67
147		4202-02-105-0207- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्न्यन कार्यक्रम	2.18
148		4202-02-105-0307- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्न्यन कार्यक्रम	1.50
149	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0101- परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.50
150		2225-01-102-0316- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0आई0)	0.05
151		2225-01-277-0008- पुस्तक अधिकोष की स्थापना	0.16
152		2225-01-277-0219- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	60.00
153		2225-01-277-0222- सी0एस0एस0	49.10
154		4425-00-108-0164- बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	4.00
155	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-01-796-0102- पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	1.00
156		2215-01-796-0103- पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	2.00
157		2217-01-191-0218- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	68.90
158		2217-01-191-0220- स्वच्छ भारत मिशन	70.00
159		2217-01-191-0318- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	34.10
160		2217-03-191-0209- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	160.00
161		2217-03-191-0211- सभी के लिए आवास योजना (शहरी)	30.00
162		2217-03-193-0311- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	10.04
163		2217-05-001-0103- क्षमता वर्धन कार्यक्रम	0.50
164		3475-00-108-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	112.05
165		3475-00-108-0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	74.70
166		3475-00-789-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	21.60
167		3475-00-789-0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	14.40
168		3475-00-796-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	1.35

क्रम सं0	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
169	50- लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-016-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.83
170		2702-02-789-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.16
171		2702-02-789-0102- सर्वेक्षण और जाँच	1.60
172		2702-02-796-0102- सर्वेक्षण और जाँच	0.10
173		2702-03-796-0101- निजी नलकूप	0.80
174		4702-00-789-0103- नलकूप के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	1.60
175		4702-00-789-0104- नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	17.04
176		4702-00-789-0205- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	6.84
177		4702-00-789-0305- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	4.56
178		4702-00-796-0104- नलकूप के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.10
179		4702-00-796-0105- नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	1.06
180		4702-00-796-0206- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	0.43
181		4702-00-796-0306- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	0.29
182	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0111- विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.10
183		2235-02-103-0219- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	51.53
184		2235-02-103-0220- मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	10.00
185		2235-02-103-0319- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	25.77
186		2235-02-789-0313- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	8.59
187		2235-60-200-0119- मुख्यमंत्री तेजाब पीड़ित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2.01
188		2245-02-282-0005- कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति (समाज कल्याण विभाग के लिए)	0.10
189		4235-02-102-0106- पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.10
कुल			**3,591.68**

(स्रोतः अनुदान लेखापरीक्षा पंजी, 2017–18)

परिशिष्ट–2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 32)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत (कालम 6/ कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03- भवन निर्माण	2059	107.05	28.53	78.52	73.35
2	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	2013	2.67	0.38	2.29	85.77
3	05- राज्यपाल सचिवालय	2012	5.94	0.21	5.73	96.46
4	10- ऊर्जा	6801	103.24	0.00	103.24	100.00
5	12- वित्त	2054	84.83	44.94	39.89	47.02
6	14- ऋण की अदायगी	6004	138.49	0.00	138.49	100.00
7	15- पेंशन	2071	5,577.79	1.66	5,576.13	99.97
8	18- खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण	3456	1,090.28	555.32	534.96	49.07
9	20- स्वास्थ्य	2211	316.68	23.25	293.43	92.66
10	21- शिक्षा	2202	7,700.44	4,562.48	3,137.96	40.75
11		2204	2.50	0.00	2.50	100.00
12		2205	1.82	0.00	1.82	100.00
13		4202	448.65	190.40	258.25	57.56
14	22- गृह	2245	5.00	0.00	5.00	100.00
15		4055	81.73	0.20	81.53	99.76
16	35- योजना तथा विकास	2053	39.80	28.45	11.35	28.52
17	39- आपदा प्रबंधन	2245	1,363.57	665.65	697.92	51.18
18	40- राजस्व एवं भूमि सुधार	4047	25.56	10.37	15.19	59.43
19	41- पथ निर्माण	3054	450.58	253.48	197.10	43.74
20	42- ग्रामीण विकास	2216	4,920.46	3,468.99	1,451.47	29.50
21	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2015	29.57	19.68	9.89	33.45
22	49- जल संशाधन	4700	1,280.36	997.91	282.45	22.06
23		4711	678.02	397.41	280.61	41.39
योग			**24,455.03**	**11,249.11**	**13,205.72**	**54.00**

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 32)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401- फसल की पैदावार	2,961.34	935.43	31.59
2		2402- मृदा तथा जल संरक्षण	90.77	21.66	23.86
3		6401- फसल कृषि कर्म पर ऋण	178.05	177.93	99.93
4	2	2403- पशुपालन	457.29	69.22	15.14
5		2404- डेयरी विकास	132.31	13.88	10.49
6		2405- मत्स्य पालन	123.71	36.56	29.55
7		3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	139.06	20.69	14.88
8	3	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	3,030.88	425.12	14.03
9		4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	489.64	274.08	55.98
10	4	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	896.09	143.71	16.04
11		5053- नागरिक उडययन पर पूँजीगत परिव्यय	36.79	10.53	28.62
12	8	2205- कला एवं संस्कृति	78.71	13.17	16.73
13	11	4225- अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर पूँजीगत परिव्यय	166.59	27.64	16.59
14	12	2054- कोषागार तथा लेखा प्रशासन	158.86	44.94	28.29
15		2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	25.88	10.07	38.91
16		7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	31.00	11.36	36.65
17	17	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	131.09	86.85	66.25
18		2043- राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	132.06	60.03	45.46
19	18	2408- खाद्य संग्रह तथा गोदाम	735.17	116.86	15.90
20	19	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	330.54	44.15	13.36
21	22	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	896.09	178.35	19.90
22	23	2852- उद्योग	1,041.79	128.85	12.37
23		4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	109.00	20.53	18.83
24	24	2220- सूचना तथा विस्तार	202.78	35.85	17.68
25	25	2852- उद्योग	1,041.79	151.68	14.56
26	26	2230- श्रम तथा रोजगार	463.84	96.96	20.90
27		4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	258.50	51.24	19.82
28	27	2014- न्याय प्रशासन	860.24	200.79	23.34

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
29	28	2014- न्याय प्रशासन	178.51	27.66	15.49
30	29	2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	43.13	22.43	52.01
31	32	2011- संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधानमंडल	179.78	20.81	11.58
32	33	2051- लोक सेवा आयोग	76.72	48.48	63.19
33		2053- जिला प्रशासन	562.16	92.80	16.51
34	35	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	138.95	33.26	23.94
35	37	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	10,261.87	2,846.58	27.74
36	38	2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	77.14	23.06	29.89
37		2039- राज्य उत्पाद	142.02	59.31	41.76
38	39	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	5,149.10	642.16	12.47
39	40	2029- भू–राजस्व	810.09	294.72	36.38
40	41	3054- सड़क तथा सेतु	2,016.31	253.48	12.57
41	42	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	1,911.44	444.29	23.24
42		2216- आवास	5,942.09	3,468.99	58.38
43		2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	740.67	360.34	48.65
44		2505- ग्राम रोजगार	2,010.15	879.24	43.74
45	43	2203- तकनीकी शिक्षा	176.81	20.69	11.70
46	44	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,898.88	417.69	14.41
47	46	3452- पर्यटन	90.87	21.18	23.31
48	47	2041- वाहन पर कर	74.72	11.83	15.83
49	48	2015- निर्वाचन	159.76	19.68	12.32
50		2217- शहरी विकास	4,291.30	947.50	22.08
51	50	2702- लघु सिंचाई	392.80	99.13	25.24
52		4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	304.30	174.49	57.34
योग			**53,829.43**	**14,637.93**	**27.19**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 32)

माह मार्च 2018 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	वर्ष 2017–18 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2018 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2018 में हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशतता	
					जनवरी – मार्च 2018	मार्च 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3- भवन निर्माण विभाग	2,602.46	1,826.11	1,490.67	70.17	57.28
2	4- मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	269.25	209.45	173.98	77.79	64.62
3	5- राज्यपाल का सचिवालय विभाग	14.14	11.12	11.12	78.64	78.64
4	7- निगरानी विभाग	32.58	24.56	24.56	75.38	75.38
5	9- सहकारिता विभाग	943.03	598.73	520.80	63.49	55.23
6	10- ऊर्जा विभाग	11,530.30	8,188.73	7,696.73	71.02	66.75
7	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,225.06	1,209.84	1,153.30	98.76	94.14
8	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,212.49	1,169.55	1,160.02	96.46	95.67
9	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	132.24	120.08	113.90	90.80	86.13
10	25- सूचना तकनीक विभाग	200.92	103.55	101.97	51.54	50.75
11	28- बिहार का उच्च न्यायालय	150.70	114.91	114.73	76.25	76.13
12	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	329.95	218.38	211.85	66.19	64.21
13	31- संसदीय कार्य विभाग	1.90	1.39	1.39	73.16	73.16
14	32- विधानमंडल	154.25	119.55	119.55	77.50	77.50
15	34- बिहार लोक सेवाा आयोग	21.03	16.68	16.68	79.32	79.32
16	42- ग्रामीण विकास विभाग	5,215.12	4,688.90	4,637.15	89.91	88.92
17	44- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण विभाग	1,016.24	931.39	891.15	91.65	87.69
18	46- पर्यटन विभाग	145.04	111.74	109.51	77.04	75.50
योग		**25,196.70**	**19,664.66**	**18,549.06**	**78.04**	**73.62**

(स्रोत: वित्त लेखा, 2017–18)

परिशिष्ट–2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.4; पृष्ठ 33)

नित्य प्रयोजन व्यय के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल	पटना विधान सभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सहयोग सम्मेलन आयोजन हेतु	1.40
2			सचिवालय के अधिकारी के वाहन क्रय हेतु	0.94
3	2014	न्याय प्रशासन	फास्ट ट्रैक कोर्ट के 68 अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के भुगतान हेतु	7.04
4			महाप्रशासक और शासक्यान्यासी के सातवें वेतन आयोग के कारण वेतन में वृद्धि	0.03
5			बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में माननीय न्यायाधीशों के वाहन हेतु	0.15
6			उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 40 वाहनों के प्रायोजन हेतु	9.09
7			परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अक्टूबर माह के लंबित वेतन भूगतान के लिए	0.99
8	2051	लोक सेवा आयोग	आयोग के सूचारू कार्य के लिए निधि की कमी हेतु निधि	0.34
9	2052	सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	संसदीय मामलों के प्रमुख सचिव के लिए वाहन खरीदने हेतु	0.13
10			संशोधित पाठ्यक्रम पर विभागीय परीक्षा द्वारा परीक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि के भुगतान हेतु	0.08
11			राजस्व पार्षद, पटना के वाहन खरीदने के लिए	0.26
12			आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों पर सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु	0.25
13			बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम में आउटसोंर्सिंग के माध्यम से एक ड्राइवर के लिए	0.01
14	2053	जिला प्रशासन	3 वाहनों के क्रय हेतु	0.29
15	2055	पुलिस	कांस्टेबल (पुलिस) की भर्ती प्रक्रिया में शीरीरिक परीक्षण और परीक्षा हेतु	9.00
16	2056	जेल	वी.आई.सी.ए. हाजीपुर की कार्यात्मक आवश्यकता हेतु	0.37
17	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	सतर्कता विभाग के लिए वाहनों की खरीद हेतु	0.33
18			नई दिल्ली में उनकी अपनी यात्रा के दौरान बिहार के राज्यपाल द्वारा उपयोग के लिए बी.एम.डब्लू XI (पेट्रोल) क्रय हेतु	0.42
19			माननीय अध्यक्ष और लोकायुक्त सदस्यों के लिए गाड़ी क्रय हेतू प्रति सदस्य ₹ 16 लाख	0.32
20			विशेष सकर्तता इकाई के 3 आरक्षी उपाधिक्षक 6 पुलिस निरीक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु	0.59
21			जाँच शाखा लोकायुक्त संस्थान हेतु 2 वाहनों की खरीद हेतु	0.18

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
22	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	इन्द्रिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु	1,15.00
23	2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा नियंत्रित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षा संबंधित व्यय हेतु	0.95
24			अनुबंध पर बहाल 17 सेवानिवृत अधिकारी के भुगतान हेतु	0.40
25	2251	सचिवालय–सामाजिक सेवा	सचिवालय मेस प्रतिष्ठान में संविदा के आधार पर 8 रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान हेतु	0.14
26			राज्य सूचना आयोग के लिए 2 वाहनों की खरीद हेतु	0.19
27	2851	गाँव और छोटे उद्योग	भवन, कार किराए और निजी सफाई एजेंसियों के भुगतान हेतु	0.94
28	2852	उद्योग	निलंबित गन्ना अधिकारी के बेटे के इलाज के लिए	0.11
29	3451	सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	माननीय कृषि मंत्री के कार क्रय हेतु	0.16
30			गन्नाा उद्योगों मंत्री के लिए टाटा सफारी स्टोरम कार क्रय हेतु	0.16
31			मंत्री के लिए वाहन क्रय हेतु	0.16
32	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	निर्माणाधीन पुलिस भवन के लिए आग बुझाने के उपकरण क्रय हेतु	30.00
33	4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	डॉ0 ए0पी0जे0 अबदुल कलाम विज्ञान शहर के नींव के लिए	94.95
34	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	शिवहर स्थित सहोरा अस्ताल के निर्माण कार्य हेतु	19.12
35	4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	बिहार राज्य खनन लिमिटेड के खनन एवं भूगर्भ विभाग के लिए प्रदत्त पूँजी	20.00
योग				**314.49**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा0 एवं हक0) बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 35)

राशियों का अनावश्यक अवरूद्धिकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0 सी0 विपत्र की तिथि	ए0 सी0 विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2015	जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल	30.10.15	19.43	29.03.17	4.98	17
2	2029	नजारत उप समाहार्ता, कटिहार (उप प्रभागीय न्यायाधीश)	31.03.07	5.00	17.02.17	0.67	117
3	2053	जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा	26.09.13	200.00	06.10.16	1.37	36
4	2053	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा	04.09.13	250.00	10.04.17	13.63	43
5	2053	जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा	26.09.13	200.00	24.07.17	1.12	46
6	2210	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना	31.03.08	21.23	09.09.15	2.44	89
7	2210	अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0, लहेरियासराय	29.01.10	237.98	20.12.16	17.52	82
8	2210	अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0, लहेरियासराय	31.03.07	516.91	24.01.17	41.58	117
9	2216	जिला विकास आयुक्त, वैशाली	25.01.12	22.49	31.10.16	14.09	56
10	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरौल (मुजफ्फरपुर)	27.03.10	10.00	22.02.16	2.36	71
					31.08.16	0.58	77
11	2225	जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर	11.01.13	141.84	13.04.16	90.17	39
12	2230	डी0 एम0 सामाजिक सुरक्षा, जमुई	28.03.08	61.60	27.09.16	22.56	102
13	2230	डी0 एम0 सामाजिक सुरक्षा, जमुई	24.11.06	203.20	31.05.17	6.60	**124**
14	2235	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, छपरा (सारण)	27.05.10	241.14	18.08.17	0.87	86
15	2245	अंचल पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार)	27.09.13	300.00	15.09.16	12.75	35
16	2245	अंचल पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार)	11.09.13	150.00	17.01.15	1.33	16
17	2250	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	09.03.10	300.00	11.11.16	1.95	80
18	2250	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया	27.05.11	654.11	23.11.16	119.69	65
19	2250	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद (बिहार)	28.03.11	56.20	07.06.17	0.90	74
20	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	08.03.11	80.49	06.10.16	4.75	67
21	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	24.09.13	17.53	14.09.16	10.38	35

क्रम सं0	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0 सी0 विपत्र की तिथि	ए0 सी0 विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंडारक (पटना)	11.10.10	7.68	15.09.16	0.72	71
23	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, छपरा (सारण)	29.03.13	10.00	10.06.16	3.02	38
24	2401	संयुक्त निदेशक (शसया), पूर्णिया	17.02.14	18.69	22.02.16	0.49	24
25	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिवसागर (रोहतास)	31.10.09	8.51	11.08.16	0.79	82
26	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमनौर (सारण)	23.12.10	6.23	12.06.12	3.17	17
27	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना)	07.02.11	37.80	15.03.14	18.45	37
28	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, दरभंगा	16.02.16	115.90	24.05.17	86.33	15
29	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, पटना	11.02.15	39.93	01.09.16	37.40	18
30	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, छपरा	12.02.16	156.00	21.12.16	146.78	**10**
					23.03.17	0.68	13
31	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, गोपालगंज	08.02.16	68.29	03.12.16	65.48	10
					21.03.17	0.46	13
32	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, कटिहार	11.02.16	182.47	30.05.17	16.07	15
33	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, मधेपुरा	19.02.16	61.49	20.03.17	53.73	13
34	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, पूर्णिया	18.02.16	40.68	29.05.17	4.04	15
35	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, पूर्णिया	08.02.16	73.22	29.05.17	1.27	15
36	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जहानाबाद	23.02.16	5.03	17.07.17	4.74	17
37	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बांका	23.02.16	58.99	24.05.17	9.90	15
38	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जहानाबाद	17.02.16	20.34	21.07.17	18.98	17
39	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, मधेपुरा	19.02.16	32.54	24.05.17	24.41	15

क्रम सं0	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0 सी0 विपत्र की तिथि	ए0 सी0 विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	2515	उप विकास आयुक्त, जिला परिषद् भभुआ (कैमूर)	31.03.10	39.24	19.11.16	12.04	80
41	2515	उप विकास आयुक्त, किशनगंज	30.03.09	8.34	20.07.17	0.26	100
42	2852	सहायक निदेशक (उद्योग, लेखे) पटना	10.03.16	19.60	15.06.17	11.37	15
43	3454	उप समाहार्ता नजारत, शेखपुरा	28.03.12	25.69	30.03.15	15.90	36
44	3454	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	31.03.08	0.80	03.08.10	0.41	28
					09.07.14	0.11	75
45	4047	अंचल पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी झंझारपुर	26.03.12	10.00	25.02.16	1.59	47
46	4047	अंचल पदाधिकारी, निमचक बथानी, गया	28.09.11	10.00	18.05.17	1.00	68
47	4210	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह–सिविल सर्जन, पूर्णिया	**31.03.06**	34.11	06.07.15	0.85	112
48	4210	अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना	31.03.15	50.98	23.03.17	14.12	24
49	4210	प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	31.03.06	50.00	31.03.13	18.76	84
50	4225	जिला विकास इकाई, नवादा	17.03.10	77.00	30.03.17	5.34	84
51	4225	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	23.07.06	20.00	06.09.16	0.95	122
52	4250	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया	13.06.14	188.35	03.09.16	48.30	27
53	4250	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया	01.02.14	146.64	03.09.16	3.58	31
54	5054	जिला योजना पदाधिकारी, अरवल	19.03.12	73.00	06.03.17	4.59	60
योग				**5,386.69**		**1,008.37**	

परिशिष्ट–2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 35)

शत्–प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0सी0 बिल की तिथि	ए0सी0 बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2210	उप जिला समाहार्ता नजारत कार्यालय, सिवान	**31.03.03**	18.34	05.01.16	18.34	153
2	2210	उप समार्हाता नजारत, छपरा (सारण)	31.03.07	22.50	23.02.17	22.50	118
3	2216	उप विकास आयुक्त, वैशाली (हाजीपुर)	25.01.12	4.34	31.10.16	4.34	57
4	2217	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् हाजीपुर	30.03.10	1.60	14.07.17	1.60	87
5	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्रीनगर (पूर्णिया)	30.03.15	1.00	15.10.16	1.00	18
6	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसबा (कटिहार)	13.03.15	0.45	20.10.16	0.45	19
7	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्णिया (पूर्वी)	26.03.15	1.00	18.10.16	1.00	18
8	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया	19.03.15	1.15	10.11.16	1.15	19
9	2401	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, हाजीपुर	31.03.16	3.69	08.03.17	3.69	11
10	2401	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, हाजीपुर	30.03.16	2.00	08.03.17	2.00	**11**
11	2401	सहायक निदेशक, गन्ना विकास, समस्तीपुर	18.09.13	12.00	08.02.17	12.00	40
12	2401	सहायक निदेशक, गन्ना विकास, समस्तीपुर	18.09.13	0.75	08.02.17	0.75	40
13	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, मधेपुरा	19.02.16	4.07	20.03.17	4.07	12
14	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बक्सर	19.02.16	27.98	04.05.17	27.98	14
15	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी, अरवल	12.02.16	12.20 9.79	02.05.17	12.20 9.79	15
16	2506	अंचल पदाधिकारी, अरेराज (पूर्वी चम्पारण)	31.03.14	2.77	20.09.17	2.77	40

क्रम सं0	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0सी0 बिल की तिथि	ए0सी0 बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	2515	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इस्वापुर, (सारण)	07.02.03	0.22	15.02.17	0.22	**168**
18	2515	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इस्वापुर, (सारण)	31.03.03	0.11	15.02.17	0.11	166
19	2851	सहायक निदेशक, उद्योग, सिल्क, भागलपुर	10.11.15	3.53 2.88 0.50	20.03.17	3.53 2.88 0.50	16
20	2852	सहायक निदेशक, (उद्योग, लेखे), पटना	**28.03.16**	6.50	18.05.17	6.50	13
21	3456	उप समाहार्ता जिला नजारत, बेगुसराय	31.03.12	1.00	16.12.16	1.00	56
22	4047	अंचल पदाधिकारी, हायाघाट, दरभंगा	31.03.13	2.00	16.01.16	2.00	33
23	4250	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	22.01.14	350.82	07.10.16	350.82	32
योग				**493.19**		**493.19**	

परिशिष्ट–2.15

(संदर्भः कंडिका 2.6; पृष्ठ 35)

वर्ष 2017–18 के दौरान (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
1	0006- राज्य माल एंव सेवा कर	6,746.96	2,363.01	35.02
2	0028- आय और व्यय पर अन्य कर	86.52	86.52	100.00
3	0029- भू–राजस्व	778.65	776.02	99.66
4	0030- स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,725.66	3,725.35	99.99
5	0040- बिक्री व्यापार आदि पर कर	8,298.10	8,298.10	100.00
6	0042- माल एवं यात्री पर कर	1,644.85	1,644.85	100.00
7	0043- उर्जा पर कर एवं शुल्क	239.16	239.16	100.00
8	0044- सेवा कर	7,379.29	0.19	100.00
9	0050- लाभांश और मुनाफा	1.34	1.34	100.00
10	0051- लोक सेवा आयोग	130.11	130.11	100.00
11	0055- पुलिस	86.04	86.04	100.00
12	0056- जेल	15.94	15.94	100.00
13	0058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.12	0.12	100.00
14	0059- लोक निर्माण कार्य	9.83	9.83	100.00
15	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	25.84	25.84	100.00
16	0071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियाँ	202.53	2.53	1.25
17	0075- विविध सामान्य सेवाएं	3.45	3.45	100.00
18	0202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	21.47	21.47	100.00
19	0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	54.53	54.53	100.00
20	0211- परिवार कल्याण	0.02	0.02	100.00
21	0215- जलापूर्ति तथा सफाई	16.63	16.63	100.00
22	0216- आवास	6.57	6.57	100.00
23	0217- शहरी विकास	7.43	7.43	100.00
24	0220- सूचना और प्रचार	0.40	0.40	100.00
25	0230- श्रम, रोजगाार एवं कौशल विकास	16.79	16.79	100.00
26	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.17	0.17	100.00
27	0250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.05	0.05	100.00
28	0401- फसल कृषि कर्म	11.93	11.93	100.00
29	0403- पशुपालन	0.76	0.76	100.00
30	0404- डेयरी विकास	0.01	0.01	100.00

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
31	0405- मत्स्य पालन	12.02	12.02	100.00
32	0406- वानिकी एवं वन्य प्राणी	29.41	29.41	100.00
33	0425- सहकारिता	8.62	8.62	100.00
34	0506- भूमि सुधार	0.22	0.22	100.00
35	0515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	48.61	48.61	100.00
36	0700- मुख्य सिंचाई	22.22	22.22	100.00
37	0701- मध्यम सिंचाई	17.27	17.27	100.00
38	0702- लघु सिंचाई	5.21	5.21	100.00
39	0851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	0.06	0.06	100.00
40	0852- उद्योग	0.12	0.12	100.00
41	0853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,082.67	1,082.67	100.00
42	1053- नगर विमानन	4.12	4.12	100.00
43	1054- सड़क एवं सेतु	66.74	66.74	100.00
44	1055- पथ परिवहन	0.17	0.17	100.00
45	1452- पर्यटन	1.62	1.62	100.00
46	1456- सिविल आपूर्त्ति	0.05	0.05	100.00
47	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	18.40	18.40	100.00
48	1601- केन्द्रीय सहायता अनुदान	25,720.13	46.88	0.18
योग		**56,548.81**	**18,909.57**	**33.44**
असमाशोधित व्यय				
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधानमंडल	154.11	154.11	100.00
2	2012- राष्ट्रपति/उप–राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	14.13	14.13	100.00
3	2013- मंत्रिपरिषद्	20.71	20.71	100.00
4	2014- न्याय प्रशासन	805.05	804.83	99.97
5	2015- निर्वाचन	99.37	99.37	100.00
6	2029- भू–राजस्व	510.02	510.02	100.00
7	2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	53.85	53.85	100.00
8	2039- राज्य उत्पाद शुल्क	82.44	82.44	100.00
9	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	72.30	72.30	100.00
10	2041- वाहन कर	61.62	61.62	100.00
11	2043- राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह	71.95	71.95	100.00
12	2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.09	1.09	100.00
13	2047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.66	2.66	100.00
14	2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	693.62	0.01	0.00
15	2049- ब्याज अदायगियाँ	9,053.78	443.48	4.90

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
16	2051- लोक सेवा आयोग	3.92	3.92	100.00
17	2052- सचिवालय –सामान्य सेवाएँ	217.43	116.12	53.41
18	2053- जिला प्रशासन	421.56	421.56	100.00
19	2054- कोषागार तथा लेखा प्रशासन	74.01	74.01	100.00
20	2055- पुलिस	5,736.99	5,736.99	100.00
21	2056- जेल	298.25	298.25	100.00
22	2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	15.73	15.73	100.00
23	2059- लोक निर्माण कार्य	493.64	493.64	100.00
24	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	484.97	484.97	100.00
25	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	14,293.48	14,293.48	100.00
26	2202- सामान्य शिक्षा	23,068.69	23,068.69	100.00
27	2203- तकनीकी शिक्षा	155.17	155.17	100.00
28	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	52.18	52.18	100.00
29	2205- कला एवं संस्कृति	38.56	38.56	100.00
30	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5,064.18	5,064.18	100.00
31	2211- परिवार कल्याण	552.40	552.40	100.00
32	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,338.36	2,338.36	100.00
33	2216- आवास	944.45	944.45	100.00
34	2217- शहरी विकास	2,393.47	2,393.47	100.00
35	2220- सूचना तथा प्रचार	130.82	130.82	100.00
36	2225- अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जन/जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	950.60	950.60	100.00
37	2230- श्रम एवं रोजगार	320.40	320.40	100.00
38	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,013.15	5,013.15	100.00
39	2236- पोषण	1,203.11	1,203.11	100.00
40	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	3,468.96	3,428.49	98.83
41	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	7.76	7.57	97.55
42	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	67.22	59.73	88.86
43	2401- फसल कृषि कर्म	1,570.63	1,570.63	100.00
44	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	68.68	68.68	100.00
45	2403- पशुपालन	382.64	382.64	100.00
46	2404- डेयरी विकास	107.95	107.95	100.00
47	2405- मत्स्य पालन	47.88	47.88	100.00
48	2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी	253.35	253.35	100.00
49	2408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार	598.93	598.93	100.00
50	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	340.12	340.12	100.00

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
51	2425- सहकारिता	241.26	130.81	54.22
52	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	14.16	14.16	100.00
53	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	743.48	743.48	100.00
54	2505- ग्रामीण रोजगार	1,078.53	1,078.53	100.00
55	2506- भूमि सुधार (1)	2.65	2.65	100.00
56	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,387.57	9,387.57	100.00
57	2700- मुख्य सिंचाई	500.83	500.83	100.00
58	2702- लघु सिंचाई	291.27	291.27	100.00
59	2705- कमान क्षेत्र विकास	121.62	121.62	100.00
60	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	387.48	387.48	100.00
61	2801- बिजली	4,372.08	1,420.08	32.48
62	2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	123.33	123.33	100.00
63	2852- उद्योग	632.16	632.16	100.00
64	3053- नागर विमानन	3.06	3.06	100.00
65	3054- सड़क तथा सेतु	1,397.73	1,397.73	100.00
66	3055- पथ परिवहन	0.60	0.60	100.00
67	3075- अन्य परिवहन सेवाएँ	0.41	0.41	100.00
68	3451- सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	136.62	120.28	88.04
69	3452- पर्यटन	64.11	62.33	97.22
70	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	76.12	76.12	100.00
71	3456- सिविल आपूर्ति	585.54	585.54	100.00
72	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	12.19	12.19	100.00
73	3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	4.03	4.03	100.00
74	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.53	1.53	100.00
75	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	269.42	269.42	100.00
76	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,665.26	1,665.26	100.00
77	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	828.39	828.39	100.00
78	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,518.70	1,518.70	100.00
79	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	564.97	564.97	100.00
80	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,763.58	1,763.58	100.00
81	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	168.96	168.96	100.00
82	4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	30.09	30.09	100.00

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
83	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	103.74	103.74	100.00
84	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	108.29	108.29	100.00
85	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	55.65	55.65	100.00
86	4406- वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	9.37	9.37	100.00
87	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	134.50	134.50	100.00
88	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	6,387.66	6,387.66	100.00
89	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,248.29	1,248.29	100.00
90	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	129.73	129.73	100.00
91	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,287.50	1,287.50	100.00
92	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6,931.11	6,931.11	100.00
93	4851- ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	10.44	10.44	100.00
94	4853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग कर पूँजीगत परिव्यय	20.00	20.00	100.00
95	4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	79.56	79.56	100.00
96	4885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	0.48	0.48	100.00
97	5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	26.26	26.26	100.00
98	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,372.65	5,372.65	100.00
99	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	3.53	3.53	100.00
100	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	76.18	76.18	100.00
101	5465- सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	108.00	108.00	100.00
102	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.50	4.50	100.00
योग		**1,31,961.51**	**1,19,427.35**	**90.50**

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0), से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.16

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन (अनुदान सं0–21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-193-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	46.00	0.80	46.80	41.85
2	2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-197-ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतो को सहायता -0002-प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,253.00	2.00	1,255.00	1,179.61
3	2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	157.30	40.00	197.30	155.91
4	2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-0003-राजकीय महिला महाविद्यालय	12.04	0.10	12.14	10.28
5	2202-सामान्य शिक्षा-04-प्रौढ़ शिक्षा-001- निदेशन और प्रशासन-0002-जन शिक्षा निदेशालय	2.60	0.34	2.94	2.56
6	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-0001-मुख्यालय स्थापना	6.97	0.15	7.12	6.11
7	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-001 निदेशन और प्रशासन-0002-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	1.37	0.08	1.45	0.92
8	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण-0008-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	19.25	3.50	22.75	18.67
9	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-0004-मिथिला स्नात्तकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान	1.99	0.09	2.08	1.36
10	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-0005-अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.62	0.04	0.66	0.51
11	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-0007-के0पी0 जायसवाल शोध संस्थान, पटना	2.34	0.07	2.41	1.79
12	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004- अनुसंधान-0018-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	9.26	0.21	9.47	7.23
13	2205-कला एवं संस्कृति-00-105-सार्वजनिक पुस्तकालय-0001-सार्वजनिक पुस्तकालय	2.31	0.05	2.36	1.36
योग		**1,515.05**	**47.43**	**1,562.48**	**1,428.16**

(स्रोतः विनियोग लेखा एवं अनुदान लेखापरीक्षा पंजी वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट–2.17

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

अनावश्यक और अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं0–21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–193–नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–0001–नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	46.00	7.50	53.50	41.85
2	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–197–ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतो को सहायता–0002– प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,253.00	121.44	1,374.44	1,179.61
3	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–198–ग्राम पंचायतो को सहायता-0002-पंचायत शिक्षको के समेकित भुगतान हेतु	13.00	10.40	23.40	12.75
4	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–001–निदेशन अैर प्रशासन–0002–जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	157.30	3.72	161.02	155.91
5	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–0001–अन्य विद्यालय	977.07	20.00	997.07	795.82
6	2202–सामान्य शिक्षा–04–प्रौढ़ शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन 0002– जन शिक्षा निदेशालय	2.60	2.17	4.77	2.56
7	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण 0008– प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	19.25	0.24	19.49	18.67
8	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–192– नगर पालिकाओं/नगर परिशदों को सहायता–0001–नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	80.00	18.94	98.94	69.11
9	2202–सामान्य शिक्षा–52–उपस्कर–196–जिला परिषद माधयमिक शिक्षकों को सहायता–0001–जिला परिशद माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	800.00	92.45	892.45	663.36
10	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–0001–पटना विश्वविद्यालय	200.68	6.50	207.18	185.83
11	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता 0009–भागलपुर विश्वविद्यालय	396.00	87.64	483.64	390.25

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता 0016–मोलाना मजहरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	2.55	0.21	2.76	2.39
13	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–0024–पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	0.00	30.00	30.00	0.00
14	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता 0027–मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	0.00	30.00	30.00	0.00
15	2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा विकास–200–अन्य भाषाओं की शिक्षा 0002–गैर सरकारी मदरसा	250.00	10.00	260.00	238.12
16	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण–0005–अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	5.18	0.10	5.28	4.51
योग		**4,202.63**	**441.31**	**4,643.94**	**3,760.74**

(स्रोतः विनियोग लेखा एवं अनुदान लेखापरीक्षा पंजी वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट–2.18

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़ें के बीच भिन्नता (अनुदान सं0–21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़ें	विभागीय व्यय के आँकड़ें	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन-0101-प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	64.08	62.48	1.60
2	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन–0105–शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	6,418.54	5,516.36	902.18
3	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन 0106–जिला शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार	608.19	607.69	0.50
4	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथिमक विद्यालयों को सहायता–0102–शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि	6,742.53	7,312.99	570.46
5	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–109–छात्रवृतियां तथा प्रोत्साहन 0101–मुख्यमंत्री पोशाक योजना	17,871.83	17,599.31	272.52
6	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–109–छात्रवृतियां तथा प्रोत्साहन–0102–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	13,035.22	12,435.52	599.70
7	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा 109–छात्रवृतियां तथा प्रोत्साहन 0103–मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	5,426.60	5,831.80	405.20
8	2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारंभिक शिक्षा–109–छात्रवृतियां तथा प्रोत्साहन 0105–प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	8,802.73	8,820.60	17.87
9	2202–सामान्य शिक्षा–01– प्रारंभिक शिक्षा–111–सर्व शिक्षा अभियान 0301– सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)	5,35,814.79	5,35,782.11	32.68
10	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–0203–प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम.डी.एम.)	97,871.58	97,872.00	0.42
11	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–0303–प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम.डी.एम.)	83,391.59	83,392.00	0.41
12	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102–मुख्यमंत्री पोशाक योजना	3,390.06	3,431.00	40.94
13	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	4,574.06	3,882.87	691.19
14	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–107–छात्रवृत्तियाँ–0105 –मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना	11,642.92	11,801.07	158.15

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़ें	विभागीय व्यय के आँकड़ें	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–107–छात्रवृत्तियाँ–0106– मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	13,188.65	13,009.72	178.93
16	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–107–छात्रवृत्तियाँ–0107– मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	9,801.71	9,687.72	113.99
17	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–107–छात्रवृत्तियाँ–0108–अन्य विधालय	12,692.11	12,674.40	17.71
18	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101–मुख्यमंत्री बालका साईकिल योजना	2,959.62	2,963.72	4.10
19	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102–मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	3,071.03	3,035.96	35.07
20	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0104–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	2,171.30	2,189.80	18.50
21	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–107– केन्द्रीय छात्रवृति कार्यक्रम योजना 0104–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	1,998.75	1,980.17	18.58
22	4202–शिक्षा, खेलकूद कलाा तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–0103–राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	34,604.00	35,273.00	669.00
23	4202–शिक्षा, खेलकूद कलाा तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–0109–राजकीयकृत उच्च विद्यालय के भवन	46,262.68	46,154.68	108.00
24	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन–0001–प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	477.84	341.15	136.69
25	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय 0001–राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	3,58,742.65	3,61,994.21	3,251.56
26	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 0001–गैर–सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	1,810.09	1,818.59	8.50
27	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 0002–मध्याह्न भोजन योजना (स्थापना)	201.89	212.13	10.24
28	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–191–नगर निगम को सहायता 0001–नगर निगम को सहायता 0001–नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3,040.01	2,947.55	92.46
29	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–192–नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता 0001–नगर शिक्षको के समेकित भुगतान	3,573.76	3,252.50	321.26

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़ें	विभागीय व्यय के आँकड़ें	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता 0001–नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	4,185.06	4,230.16	45.10
31	2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–197–ब्लॉक पंचायत/मध्वर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0002–प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,17,960.96	1,17,997.58	36.62
32	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन–0001–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	941.68	781.91	159.77
33	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन–0002–जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	15,590.52	15,331.71	258.81
34	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन 0003–क्षेत्रिय उप निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	667.47	668.10	0.63
35	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 0001–अन्य विद्यालय	79,581.78	77,910.17	1,671.61
36	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–110–अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0002– सैनिक विद्यालय	77.15	73.29	3.86
37	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–110–अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0003– माध्यमिक, बहुदेशीय अल्प संख्यक विद्यालय	7,641.30	7,627.33	13.97
38	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–191–नगर निगम को सहायता 0001–नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	6,254.75	6,249.83	4.92
39	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता–0001–नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	6,910.62	7,368.64	458.02
40	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–193–नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायकता 0001– नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	7,799.77	6,742.24	1,057.53
41	2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–196–जिला परिषदों/जिला स्तर के पंचायतों को सहायता–0001–जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान	66,336.19	68,015.50	1,679.31
42	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–001– निदेशन और प्रशासन 0001–निदेशन तथा प्रशासन	260.04	264.41	4.37
43	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 0001–इंटरमिडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	4,046.00	3,959.23	86.77

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़ें	विभागीय व्यय के आँकड़ें	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान–0003–राजकीय महिला महाविद्यालय	1,027.72	1,024.63	3.09
45	2202–सामान्य शिक्षा–04–प्रौढ शिक्षा–001–निदेशन और प्रशासन 0002–जन शिक्षा निदेशालय	255.50	225.95	29.55
46	2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा और विकास–103–संस्कृत शिक्षा 0002–राजकीय संस्कृत विद्यालय	111.95	109.83	2.12
47	2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा और विकास–103–संस्कृत शिक्षा 0003–गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय	10,113.94	9,939.73	174.21
48	2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा और विकास–200–अन्य भाषाओं की शिक्षा 0001–मदरसा इस्लामिया समसुल होदा	174.07	155.41	18.66
49	2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा और विकास–200–अन्य भाषाओं की शिक्षा 0002–गैर सरकारी मदरसा	23,811.93	23,833.07	21.14
50	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–001–निदेशन और प्रशासन 0001–मुख्यालय स्थापना	611.00	596.99	14.01
51	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–001–निदेशन और प्रशासन 0002–राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	92.44	99.34	6.90
52	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण–0005–अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	450.80	454.19	3.39
53	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण–0006–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3,343.23	3,344.59	1.36
54	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण–0007–प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	356.29	355.96	0.33
55	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण–0008–प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	1,867.13	1,887.97	20.84
56	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–004–अनुसंधान–0001–राष्ट्रभाषा पर्षद	210.57	207.35	3.22
57	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–004–अनुसंधान–0004–मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान	136.43	155.67	19.24
58	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–004–अनुसंधान 0005–अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	50.72	54.16	3.44
59	2202–सामान्य शिक्षा–80–सामान्य–004–अनुसंधान–0007–के0पी0 जायसवाल शोध संस्थान, पटना	178.75	189.71	10.96
60	2251–सचिवालय सामाजिक सेवाएँ–00–090–सचिवालय–0002–शिक्षा विभाग	1,245.05	1,220.58	24.47
योग				**14,516.63**

परिशिष्ट–2.19

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

शिक्षा विभाग के लंबित असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र (अनुदान संख्या–21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	असमायोजित राशि
1	2002-03	53	7.88
2	2003-04	100	18.50
3	2004-05	33	6.39
4	2005-06	73	38.02
5	2006-07	47	133.47
6	2007-08	5	0.08
7	2008-09	24	8.54
8	2009-10	60	20.32
9	2010-11	65	34.86
10	2011-12	175	29.96
11	2012-13	47	8.07
12	2013-14	8	6.89
13	2014-15	31	44.06
14	2015-16	34	61.25
15	2016-17	32	219.93
16	2017-18	107	444.85
योग		**894**	**1,083.07**

(स्रोतः वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़े)

परिशिष्ट–2.20

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

शिक्षा विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या–21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	असमायोजित विपत्रों की संख्या	असमायोजित राशि
1	2003-04 से 2015-16	297	3,401.60
2	2016-17	56	1,482.03
3	2017-18	75	4,002.64
योग			**8,886.27**

(स्रोतः महोलेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वारा प्राप्त आंकड़े)

परिशिष्ट–2.21

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

दत्तमत अनुदान से अतिरिक्त व्यय की विवरणी (अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	अभ्यर्पित	कुल प्रावधान (=3–4–5)	वास्तविक व्यय	अधिक (=7–6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2015–निर्वाचन–00–लघु शीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–0001–नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	40.00	0.00	29.68	10.32	10.43	0.11
2	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति 192–नगर निगम/नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान–0101–पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	35.00	0.00	8.75	26.25	28.25	2.00
3	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायता अनुदान 0101–पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	35.00	0.00	8.75	26.25	28.96	2.71
4	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101–पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	49.00	0.00	47.89	1.11	1.34	0.23
5	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102– पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	28.00	0.00	0.00	28.00	29.00	1.00
6	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–192–नगर पालिकाओं/नगर निगम को सहायता, आदि–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	30.00	0.00	7.50	22.50	24.14	1.65
7	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–800–अन्य व्यय–0102–नाली एवं मल निकासी निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93
8	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–स्थानीय निकायों /नगर पालिकाओं को सहायता––0105–शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा हेतु सहायक अनुदान	49.20	0.00	4.03	45.17	46.94	1.77
9	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0102–नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2.86	0.00	0.55	2.31	2.58	0.27

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	अभ्यर्पित	कुल प्रावधान (=3–4–5)	वास्तविक व्यय	अधिक (=7–6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान–0103–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	125.37	0.00	6.66	118.71	119.36	0.65
11	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान–0105–शहरी आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरण एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00	0.00	0.00	1.00	1.13	0.13
12	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान–0113–विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
13	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजना–0102– राज्य संसाधन केन्द्र एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों के योजना एवं स्थापना का अनुश्रवण/मूल्यांकन/योजनाओं का पर्यवेक्षण	2.00	0.00	0.00	2.00	2.82	0.82
14	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–स्थानीय निकायों, नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार बोर्ड को सहायता–0013–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान	371.59	70.37	184.44	257.52	260.35	2.83
15	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193 –नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान	246.47	16.53	162.35	100–65	103.62	2.97
कुल							**18.18**

(स्रोतः आंकड़े कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना)

परिशिष्ट–2.22

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

निधि का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण की विवरणी (अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–0102–पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1.00	1.00	बजट–14–02 / 2018 / 718, दिनांक– 06.02.2018
2	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–0102–पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	2.00	2.00	बजट–14.02 / 2018 / 718, दिनांक– 06.02.2018
3	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–स्थानीय निकायों को सहायता– 0218–शहरी पुर्ननवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	68.90	68.90	बजट–14.01 / 2016 / 463, दिनांक– 23.01.2018 – बजट–14.13 / 2017 / 7217, दिनांक– 07.11.2017
4	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–स्थानीय निकायों को सहायता– 0220–स्वच्छ भारत मिशन	70.00	70.00	बजट–14.02 / 2018 / 719, दिनांक– 06.02.2018
5	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–स्थानीय निकायों को सहायता 0318–शहरी पुर्ननवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	34.10	34.10	बजट–14.13 / 2017 / 7217, दिनांक– 07.11.2017
6	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191– स्थानीय निकायों को सहायता 0209–शहरी पुर्ननवीकरण मिशन –अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	160.00	160.00	बजट–14.01 / 2016 / 463, दिनांक–23.01.2018
7	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 191– स्थानीय निकायों को सहायता–0211–सबके लिए आवास (शहरी)	30.00	30.00	बजट–14.06 / 2018 / 1872, दिनांक– 31.03.2018
8	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पचायतों को सहायता–0311–शहरी पुर्ननवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	10.04	10.04	बजट–14.13 / 2017 / 7217, दिनांक– 07.11.2017
9	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजनाऐं–001–निर्देशन और प्रशासन–0103–क्षमता वर्धन कार्यक्रम	0.50	0.50	बजट–14.06 / 2018 / 1872, दिनांक– 31.03.2018
10	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं–00–लधु शीर्ष–108–शहरीन्मुखी रोजगार कार्यक्रम 0202–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	112.05	112.05	बजट–14.13 / 2017 / 7216, दिनांक– 07.11.2017 – बजट–14.02 / 2018 / 720, दिनांक– 06.02.2018
11	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं–00–लधु शीर्ष–108–शहरीन्मुखी रोजगार कार्यक्रम 0302–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	74.70	74.70	बजट–14.13 / 2017 / 7216, दिनांक– 07.11.2017 – बजट–14.02 / 2018 / 720, दिनांक– 06.02.2018
12	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं–00–लधु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक–0202–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	21.60	21.60	बजट–14.02 / 2018 / 720, दिनांक– 06.02.2018
13	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं–00–लधु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक–0302–राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन	14.40	14.40	बजट–14.02 / 2018 / 720, दिनांक– 06.02.2018
14	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं–00–लधु शीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 0202–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	1.35	1.35	बजट–14.02 / 2018 / 720, दिनांक– 06.02.2018
कुल		**600.64**	**600.64**	

(स्रोत्रः विस्तृत विनियोग लेखा 2017–18, अनुदान लेखापरीक्षा पंजी तथा विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.23

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण विवरणी (अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

कम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+ पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015–निर्वाचन–00–लघ शीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–0001–नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	40.00	19.68	बजट–14.09/2018/1868, दिनांक– 31.03.18
2	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– 191–नगर निगमों को सहायता–0101–पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	50.00	1.11	बजट–14.07/2018/1871, दिनांक– 31.03.2018
3	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजनाऐं–001–निर्देशन तथा प्रशासन– 0103–क्षमतावर्धन कार्यक्रम	0.50	0.50	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
4	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजनाऐं–001–निर्देशन तथा प्रशासन– 0104–निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण	2.00	1.77	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
5	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजनाऐं–001 –निर्देशन तथा प्रशासन–0105–अभियंत्रण कोषांग हेतु	7.00	0.88	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
6	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 192–नगर पालिकाओं एवं स्थानी निकायों को सहायता –0101–नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोद्वार हेतु सहायक अनुदान	2.50	1.00	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
7	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधनी का विकास–191–नगर निगमों को सहायता–0115–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	23.00	1.00	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
8	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0103–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	125.37	6.66	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
9	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगमों को सहायता–0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	20.64	0.22	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
10	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 192–नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता–0105––नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	49.20	4.03	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
11	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान–0104––नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	47.70	0.76	बजट/14.06/2018/1872 दिनांक– 31.03.2018
12	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–नगर निगमों को सहायता–0102–नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	1.65	0.03	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
13	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता–0102–नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.25	0.49	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018

कम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+ पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0102–नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	2.86	0.55	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
15	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगमों को सहायता–0219–सबके लिए आवास (शहरी)	63.00	48.75	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
16	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–192–नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता–0201. सबके लिए आवास (शहरी)	140.00	27.02	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
17	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों को सहायता–0211–सबके लिए आवास (शहरी)	30.00	30.00	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
18	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता–0212–सबके लिए आवास (शहरी)	30.00	1.00	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
19	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 191–स्थानीय निकायों को सहायता–0210–स्मार्ट सिटी मिशन प्लान	231.00	83.00	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
20	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास– 191–स्थानीय निकायों को सहायता– 0223–सौ (100) स्मार्ट सिटी मिशन प्लान	100–00	82.00	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
21	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	132.66	5.65	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
22	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –0101–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	5.98	0.30	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
23	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –0205–सबके लिए आवास (शहरी)	24.00	0.01	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
24	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–0201. सबके लिए आवास (शहरी)	4.50	3.00	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
25	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0301–सबके लिए आवास (शहरी)	1.56	0.08	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
26	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–0303–सबके लिए आवास (शहरी)	1.56	0.23	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
27	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–0203. सबके लिए आवास (शहरी)	4.50	0.70	बजट/14.06/2018/1872, दिनांक– 31.03.2018
28	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–स्थानीय निकायों को सहायता–0013–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायता	441.96	235.81	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018

कम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+ पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	2217–शहरी विकास–80–सामान्य– 192–नगर पालिकाओं को सहायता 0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायता	336.49	166.94	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
30	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायता	263.00	110.98	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
31	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0008–पेशाकर के आलोक में अनुदान	9.03	0.27	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
32	2217–शहरी विकास–80–सामान्य 191–नगर निगमों को सहायता–0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान	212.39	46.36	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
33	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–192–नगर परिषदों को सहायता–0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान	176.42	45.23	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
34	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0001– वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान	140.88	39.57	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
35	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 192–नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता–0013–नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	3.93	1.12	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
36	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0012 नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	7.52	0.63	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
37	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निर्देशन एवं प्रशासन 0002–नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना	1.82	0.12	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
38	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–नगर निगमों को सहायता–0015–नगर प्रबन्धक	0.40	0.06	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
39	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–192– नगर परिषदों को सहायता–0008 –नगर प्रबन्धक	0.60	0.12	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
40	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान –0007–नगर प्रबन्धक	1.58	0.18	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
41	2217–शहरी विकास–80–सामान्य 001–निर्देशन एवं प्रशासन– 0004–नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण	0.53	0.33	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
42	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–001– निर्देशन तथा प्रशासन 0002–पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	0.0004	0.05	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
43	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निर्देशन एवं प्रशासन 0005–भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण	0.0005	0.10	बजट/14.10/2018/1867, दिनांक– 31.03.2018
44	2251– सचिवालय 00–लधु शीर्ष 090–सचिवालय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 0005– नगर विकास एवं आवास विभाग	6.54	2.87	बजट/14.08/2018/1873, दिनांक– 31.03.2018
	कुल	2]747-52	971-01	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2017–18, अनुदान लेखापरीक्षा पंजी तथा विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.24

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

सघन व्यय (अनुदान संख्या–48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शीर्ष	2017–2018 के दौरान व्यय	मार्च 2018 में व्यय	मार्च 2018 में व्यय का प्रतिशत
1	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति –191– नगर निगम को सहायता 0101–पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	3.89	3.89	100.00
2	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 0103–पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	6.25	6.25	100.00
3	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0104–पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	26.00	26.00	100.00
4	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–106–वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण–0302–राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	60.00	60.00	100.00
5	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायकता–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	15.82	15.82	100.00
6	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102– नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	14.77	14.77	100.00
7	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–800–अन्य व्यय– 0102– नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.93	0.93	100.00
8	2217–शहरी विकास–01– राज्य की राजधानी का विकास–191– नगर निगम को सहायता–0106–नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.24	0.24	100.00
9	2217–शहरी विकास–01– राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगम को सहायता–0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें– सहायक अनुदान	74.92	74.92	100.00
10	2217–शहरी विकास–01– राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगम को सहायता– 0110–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00	1.00	100.00
11	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगम को सहायता–0115–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	22.00	22.00	100.00

क्रम सं0	शीर्ष	2017–2018 के दौरान व्यय	मार्च 2018 में व्यय	मार्च 2018 में व्यय का प्रतिशत
12	2217–शहरी विकास–01– राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगम को सहायता–0223–100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना	18.00	18.00	100.00
13	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगम को सहायता–0319–सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	21.13	21.13	100.00
14	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगम को सहायता–0320–स्वच्छ भारत मिशन	80.00	80.00	100.00
15	2217–शहरी विकास–01–राज्य की राजधानी का विकास–191–नगर निगम को सहायता–0323–100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना	100.00	100.00	100.00
16	2217–शहरी विकास–01– राज्य की राजधानी का विकास–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	23.00	23.00	100.00
17	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–नगर निगम को सहायता–0312–स्वच्छ भारत मिशन	80.00	80.00	100.00
18	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता–0106–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00	1.00	100.00
19	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता–0212–सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	29.00	29.00	100.00
20	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–192–स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता–0312–सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	20.88	20.88	100.00
21	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–0113 विशेष सफाई अनुदान	0.11	0.11	100.00
22	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजना–001–निदेशन और प्रशासन–0104–निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों को आधुनिकीकरण हेतु	0.23	0.23	100.00
23	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजना–001–निदेशन और प्रशासन–0107 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्रधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	2.00	2.00	100.00
24	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन और प्रशासन–0005–भू–संपदा विनियमन प्राधिकरण	1.57	1.57	100.00

क्रम सं0	शीर्ष	2017–2018 के दौरान व्यय	मार्च 2018 में व्यय	मार्च 2018 में व्यय का प्रतिशत
25	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजना–191–नगर निगम को सहायता–0003– नगर निगम के जिम्मे बकाये विधुत विपत्रों के भुगतान हेतु सहायक अनुदान	81.00	81.00	100.00
26	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–191–नगर निगम को सहायता–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	15.00	14.35	95.67
27	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति –193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0101–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	28.96	25.61	88.41
28	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल जल तथा सफाई–192 –स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	24.15	21.28	88.13
29	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	29.00	24.41	84.19
30	2217–शहरी विकास–01– राज्य की राजधानी का विकास–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0301–सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	1.48	1.04	70.25
31	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–192–स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता–0101–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	28.25	19.07	67.51
32	2217–शहरी विकास–01– राज्य की राजधानी का विकास–053– रखरखाव तथा मरम्मत–0001–बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	5.00	3.20	64.02
33	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–0105–शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	1.65	1.00	60.69
34	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0101–नगर पंचायतों के प्रषासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण–जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान	5.00	2.81	56.26
35	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–0007–बिहार राज्य जल निगम	39.00	19.50	50.00
36	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0305– सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	13.69	6.63	48.44
37	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान	47.45	21.88	46.11

परिशिष्ट–2.25

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के ऑकड़े के बीच भिन्नता

(अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम0 सं0	शीर्ष	महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा लेखांकित ऑकड़े	विभागीय व्यय के ऑकड़े	अन्तर (4–5)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	2015–निर्वाचन–00–लधु शीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–0001–नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों के निर्वाचन	10.43	10.33	0.10
2.	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता–0101–पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	28.25	26.25	2.00
3.	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान–0101–पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	28.96	26.25	2.71
4.	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101– पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1.34	1.11	0.23
5.	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102–पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	29.00	28.00	1.00
6.	2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–नल जल तथा सफाई–192–नगर पालिकाओं/नगर निगमों को सहायता, आदि 0102–नाली निर्माण एवं मल/निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	24.15	22.50	1.65
7.	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता–0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधा हेतु सहायक अनुदान	46.94	45.17	1.77
8.	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान– 0102–नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2.58	2.31	0.27
9.	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान– 0103–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों के सहायक अनुदान	119.36	118.71	0.65
10.	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान–0105–शहरी आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित	1.13	1.00	0.13
11.	2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास परियोजना–001–निर्देशन तथा प्रशासन– 0102–अनुश्रवण/ मूल्यांकन/योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना शहरी योजना एवं विकास	2.82	2.00	0.82
12.	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–स्थानीय निकायों, नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर विकास बोर्ड को सहायता–0013–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान	260.35	257.52	2.83
13.	2217–शहरी विकास–80–सामान्य–192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायक अनुदान	167.44	166.07	1.37
कुल		**722.75**	**707.22**	**15.53**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा 2017–18 तथा विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.26

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति (अनुदान संख्या–48)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		समायोजित सार आकस्मिक विपत्र		असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2003-04	2	0.09	2	0.00	2	0.09
2004-05	4	0.12	4	0.01	4	0.11
2005-06	3	0.06	3	0.04	3	0.03
2006-07	9	0.28	9	0.01	9	0.26
2007-08	68	15.15	68	0.66	68	14.49
2008-09	1	0.02	1	0.00	1	0.02
2009-10	36	5.22	36	0.10	36	5.12
2010-11	57	18.67	57	5.54	57	13.13
2011-12	4	0.28	4	0.00	4	0.28
2012-13	22	2.59	22	0.88	22	1.70
2013-14	1	0.06	1	0.00	1	0.06
2014-15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2015-16	3	0.35	3	0.00	3	0.35
2016-17	283	39.39	101	18.78	182	20.61
2017-18	1	0.10	0	0.00	1	0.10
कुल	**494**	**82.38**	**311**	**26.02**	**393**	**56.35**

(स्रोतः शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

2016–17 के दौरान 101 विपत्र पूर्ण रूप से समायोजित हुए और शेष आंशिक रूप से समायोजित थे।

परिशिष्ट–2.27

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण (अनुदान संख्या–48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष	असमायोजित विपत्रों की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2003-04 से 2015-16	497	3,009.59
2	2016-17	80	1,419.89
3	2017-18	45	615.82
कुल		**622**	**5,045.3**

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भः कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 42)

विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते

क्रम सं0	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी0डी0 खातों की सं0
(1)	(2)	(3)
1	अररिया	01
2	औरंगाबाद	02
3	बगहा	01
4	बाँका	03
5	बाढ़	01
6	बारसोई	01
7	बेगूसराय	05
8	बेनीपुर	01
9	बेतिया	03
10	भागलपुर	02
11	भोजपुर	02
12	बीरपुर	01
13	बक्सर	02
14	दानापुर	02
15	दरभंगा	01
16	दाऊदनगर	01
17	फारबिसगंज	01
18	जमुई	03
19	जहानाबाद	02
20	झंझारपुर	02
21	कैमूर	01
22	कटिहार	04
23	खगड़िया	01
24	किशनगंज	01
25	लखीसराय	03
26	मधेपुरा	01
27	मधुबनी	03
28	मोतिहारी	01
29	मुंगेर	02
30	मुजफ्फरपुर	01
31	नालंदा	01

क्रम सं0	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी0डी0 खातों की सं0
(1)	(2)	(3)
32	नरकटियागंज	01
33	नवादा	04
34	निर्मली	01
35	पटना	02
36	पटना सिटी	01
37	रोहतास	04
38	सहरसा	03
39	सारण	02
40	शेखपुरा	03
41	शिवहर	02
42	शेरघाटी	01
43	सीतामढ़ी	04
44	सिवान	04
45	सुपौल	01
46	तेघड़ा	01
47	वैशाली	04
योग		**94**

(स्रोतः वित्त लेखे 2017–18)

परिशिष्ट–3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 43)

लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ का परिचालन'

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0029	भूमि राजस्व	778.65	550.71	70.73
2.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1577.24	776.94	49.26
3.	0055	पुलिस	86.04	19.90	23.13
4.	0059	लोक निर्माण	9.83	9.83	100.00
5.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	25.84	7.12	27.55
6.	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	21.47	4.78	22.26
7.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	54.53	34.61	63.47
8.	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	16.63	14.09	84.73
9.	0220	सूचना एवं प्रसार	0.40	0.29	72.50
10.	0230	श्रम एवं रोजगार	16.79	14.00	83.38
11.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.17	0.17	100.00
12.	0250	अन्य सामाजिक सेवा	0.05	0.05	100.00
13.	0401	फसल कृषि कर्म	11.93	7.57	63.45
14.	0404	डेयरी विकास	0.01	0.01	100.00
15.	0405	मत्स्य	12.02	1.30	10.82
16.	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	29.41	3.41	11.59
17.	0506	भूमि सुधार	0.22	0.23	104.55#
18.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48.61	35.03	72.06
19.	0702	लघु सिचाई	5.21	2.15	41.27
20.	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.06	0.06	100.00
21.	0852	उद्योग	0.12	0.12	100.00
22.	1053	नागर विमानन	4.12	3.82	92.72
23.	1054	सड़क एवं सेतु	66.74	19.07	28.57
24.	1452	पर्यटन	1.62	1.62	100.00
25.	1456	सिविल आपूर्ति	0.05	0.05	100.00

 # (मुख्यशीर्ष एम0एच0 0506 के अन्तर्गत ₹ 0.01 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है। अतः प्रतिशतता 100 से अधिक है।)

(स्रोतः वित्त लेखे 2017–18)

परिशिष्ट–3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 43)

लघु शीर्ष–800–'अन्य व्यय' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय	कुल व्ययों से लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	7.76	4.40	56.70
2.	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	253.35	70.18	27.70

(स्रोतः वित्त लेखे 2017–18)

परिशिष्ट–3.4

(संदर्भः कंडिका 3.5.1 एवं 3.5.2; पृष्ठ–45 एवं 46)

30.09.2018 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा0क्षे0उ0) बकाए लेखे

बिहार सरकार

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं0
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) कार्यशील कम्पनियाँ			
1 से 5 वर्ष			
1.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
2.	बिहार स्टेट पावर ट्राँसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
3.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
4.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
5.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
6.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	1
7.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1
8.	बिहार वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1
9.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2017-18	4
10.	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
11.	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
12.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
13.	बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
14.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
15.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2017-18	3
16.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
17.	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
18.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
19.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2017-18	3
20.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2014-15 से 2017-18	4
21.	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
22.	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
	कुल		54
5 वर्ष से उपर			
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000-01 से 2017-18	18
2.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2007-08 से 2017-18	11

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं0
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99 से 2017-18	20
4.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1996-97 से 2017-18	22
5.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2002-03 से 2017-18	16
कुल			**87**
कुल (अ)			**141**
(ब) (कार्यशील) सांविधिक निगम			
1 से 5 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2017-18	1
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006-07 से 2017-18	12
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2012-13 से 2017-18	6
कुल (ब)			**19**
कुल (अ + ब)			**160**
(स) अकार्यशील कम्पनियाँ (समापन की प्रक्रिया से अलग)			
1 से 5 वर्ष			
1.	बिहार राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2017-18	1
2.	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015-16 से 2017-18	3
कुल			**4**
5 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
2.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009-10 2017-18	9
3.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78 से 2017-18	41
4.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2017-18	31
5.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2017-18	30
6.	बिहार मक्का प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
7.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
8.	विश्वामित्र कागज उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2017-18	33
9.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
10.	झंझारपुर कागज उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
11.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
12.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2017-18	28
13.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2017-18	27
14.	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
15.	मगध मिनरल लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
16.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	1987-88 से 2017-18	31
17.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2017-18	29

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं0
18.	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2017-18	31
19.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2017-18	15
20.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2017-18	35
21.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2017-18	33
22.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2017-18	33
23.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2017-18	39
24.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995-96 से 2017-18	23
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981-82 से 2017-18	37
26.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
27.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
28.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2017-18	25
29.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, डेहरी	1993-94 से 2017-18	25
30.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, औरंगाबाद	1993-94 से 2017-18	25
31.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, मोहनियाँ	1993-94 से 2017-18	25
32.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1998-99 से 2017-18	20
33.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2017-18	25
34.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2017-18	17
35.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2017-18	17
कुल			**1012**
कुल (स)			**1016**
कुल (अ + ब + स)			**1176**

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भः कंडिका 3.5.3; पृष्ठ–46)

उन कंपनियों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे बकाये हैं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	सा0 क्षे0 उ0 का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूतियाँ जब लेखे बकाया है।					
			अंश	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूतियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1 वर्ष								
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2017-18	6,708.9	209.85	0.00	0.00	0.00	6918.75
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	128.70	0.00	0.00	0.00	2850.00	2978.70
3	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	2660.94	0.00	105.03	1165.44	1268.00	5199.41
4	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	2842.67	24.02	0.00	1786.55	683.82	5337.06
उप–योग			**12,341.21**	**233.87**	**105.03**	**2951.99**	**4801.82**	**20,433.92**
2 से 5 वर्ष								
1	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	491.47	0.00	0.00	491.47
2	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80
3	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	5.23
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2014-15	6.11	7.00	165.00	0.00	20.62	198.73
उप–योग			**6.11**	**7**	**666.5**	**0.00**	**20.62**	**700.23**

क्रम सं0	सा0 क्षे0 उ0 का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूतियाँ जब लेखे बकाया है।					
			अंश	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूतियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 वर्ष से अधिक								
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2007-08	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
2	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000-01	0.00	2.28	105.39	8.66	0.00	116.33
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99	20.74	7.49	0.00	0.00	15.39	43.62
4	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1996-97	0.33	1,118.43	0.00	1,460.29	818.19	3397.24
5	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2002-03	0.00	157.7	0.00	0.00	0.00	157.70
उप–योग			**21.07**	**1,285.9**	**105.39**	**1,491.95**	**833.58**	**3,737.89**
योग (अ)			**12,368.39**	**1,526.77**	**876.92**	**4,443.94**	**5,656.02**	**24,872.04**
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम								
1 वर्ष–शून्य								
2 से 5 वर्ष–शून्य								
5 वर्ष से अधिक								
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2012-13	0.00	0.00	47.17	0.00	164.04	211.21
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006-07	0.00	785.01	0.00	0.00	0.00	785.01
योग (ब)			**0.00**	**785.01**	**47.17**	**0.00**	**164.04**	**996.22**
योग (अ+ब)			**12,368.39**	**2,311.78**	**924.09**	**4,443.94**	**5,820.06**	**25,868.26**
(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1 वर्ष–शून्य								
2 से 5 वर्ष–शून्य								
5 वर्ष से अधिक								
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	1993-94	1.25	5.63	0.26	0.00	0.00	7.14

क्रम सं0	सा0 क्षे0 उ0 का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूतियाँ जब लेखे बकाया है।					
			अंश	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूतियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
3	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86	11.21	365.32	0.00	69.27	0.00	445.8
4	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995-96	0.00	5.65	21.07	0.00	0.00	26.72
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
6	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89	5.80	2.74	0.00	0.00	0.00	8.54
7	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84	5.22	18.78	0.00	55.41	0.00	79.41
8	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85	3.72	0.25	0.00	0.48	0.00	4.45
10	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87	12.92	6.30	0.00	0.00	0.00	19.22
11	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
12	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	लेखों का अन्तिमीकरण प्रारंभ से ही नहीं हुआ है।	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09
योग (स)			**45.12**	**569.66**	**32.33**	**125.16**	**0.00**	**772.27**
योग (अ+ब+स)			**12,413.51**	**2,881.44**	**956.42**	**4,569.10**	**5820.06**	**26,640.53**

परिशिष्ट–3.6

(संदर्भः कंडिका 3.6; पृष्ठ 46)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि विभाग	112	1,507.38
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	55	262.60
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	76	13.95
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	33	830.27
5	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	8	207.04
6	सहकारिता विभाग	31	241.71
7	आपदा प्रबंधन विभाग	230	1,021.14
8	शिक्षा विभाग	428	8,886.27
9	ऊर्जा विभाग	31	456.76
10	पर्यावरण एवं वन विभाग	2	2.00
11	वित्त विभाग	31	286.16
12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	10.81
13	सामान्य प्रशासन विभाग	15	90.16
14	स्वास्थ्य विभाग	21	3,918.42
15	गृह (जेल) विभाग	2	0.06
16	गृह (विशेष) विभाग	12	2.83
17	उद्योग विभाग	24	22.33
18	सूचना प्रावैधिकी विभाग	18	46.80
19	श्रम संसाधन विभाग	27	26.84
20	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	18	5.24
21	विधि विभाग	1	6.02
22	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	14	4.34
23	पंचायती राज विभाग	260	4,680.36
24	योजना एवं विकास विभाग	9	349.91
25	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	4	12.63
26	ग्रामीण विकास विभाग	75	5,422.20
27	ग्रामीण (कार्य) विभाग	7	8.94
28	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	104	1,924.47
29	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	7	3.91
30	समाज कल्याण विभाग	140	1,107.83
31	गन्ना विभाग	16	84.53
32	पर्यटन विभाग	3	3.00
33	नगर विकास विभाग	622	5,045.30
34	जल संसाधन विभाग	18	101.29
योग		**2,455**	**36,593.50**

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट–3.7

(संदर्भः कंडिका 3.8, पृष्ठ–49)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2018 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	2.03	0	2.28	31.9	0	0	-29.87	0
2	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
3	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	12.14	26.8	0	15.12	20.47	0	-2.98	6.33	0
4	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	21.48	0	16.31	23.36	0	15.39	-1.88	0	0.92
5	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	328.95	5.6	0	0.4	5.6	20.62	328.55	0	-20.62
6	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1	0.48	0	1	0.5	0	0	-0.02	0
7	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	9.5	0	0	-9.5	0	0
8	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0.25	0	0	0.1	0	0	0.15	0	0
9	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0
10	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	0	0	0
11	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
12	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	0	0	0
13	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
14	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0

क्रम सं0	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
15	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0
16	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0
17	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	25	6.24	0	25	0	0	0	6.24	0
18	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	0	0	0
19	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	102.02	463.71	0	99.04	223.09	0	2.98	240.62	0
20	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	30,460.17	1,621.29	0	30,098.54	338.50	0	361.63	1,282.79	0
21	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	10	2,552.33	0	0	2,850.00	0	10	-297.67
22	बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0	15	0	0	144.59	1209.94	0	-129.59	1209.94
23	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	198.96	481.1	0	385.8	1268	0	-186.84	786.90
24	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	164.81	683.83	0	129.15	683.82	0	35.66	0.01
25	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0		5	0	0	-0.84	0	0
26	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.71	818.19	5.27	2,180.48	818.19	-5.25	-739.77	0
27	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	20	0	0	6.74	0	0	13.26	0	0
28	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0.34	0	0	0.34	0	0	0	0	0
29	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0	0	0.36	0	0	-0.24	0	0
कुल (अ)		**31,056.43**	**3,955.63**	**4,551.76**	**30,370.70**	**3,460.08**	**6,865.96**	**685.73**	**495.55**	**-2314.20**

क्रम सं0	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम										
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	23.09	213.97	127.47	39.95	228.47	0	-16.86	-14.5	127.47
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	880.62	0	74.76	873.37	0	6.98	7.25	0
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.8	0	164.04	3.21	0	164.04	-2.41	0	0
कुल (ब)		**105.63**	**1094.59**	**291.51**	**117.92**	**1101.84**	**164.04**	**-12.29**	**-7.25**	**127.47**
कुल (अ+ब)		**31,162.06**	**5,050.22**	**4,843.27**	**30,488.62**	**4,561.92**	**7,030.00**	**673.44**	**488.30**	**-2186.73**
(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.66	0	3.7	2.6	0	-1.95	0.06	0
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	0.58	0	0	0	0	0	0.58	0	0
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	42.09	0	10	49.68	0	2.19	-7.59	0
4	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	0	1.95	0	6.72	0	0	-6.72	1.95	0
5	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.5	0	10.82	8.55	0	-0.88	-5.05	0
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	7.06	0	5.12	30.98	0	-0.18	-23.92	0
7	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0	1.61	0.42	0	0.03	22.7	0
8	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0.07	0	2.01	0	0	-1.03	0.07	0
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0	10	1.16	0	1.42	0.15	0
10	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0	7.18	10.4	0	-6.55	-5.99	0
11	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	3.18	86.3	0	14.04	66.54	0	-10.86	19.76	0
12	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.9	3.3	0	7	3.38	0	-2.1	-0.08	0

क्रम सं0	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
13	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	9.87	0	0	9.97	0	0	-0.1	0	0
14	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.2	0.01	0	0.2	0	0	0	0.01	0
15	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20	0	0	20	322.95	0	0	-322.95	0
16	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0.03	0	0	-0.03	0
17	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0	15.78	4.25	0	-6.21	8.1	0
18	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	0	0	1.25	0	1.28	0	0	-1.28	1.25
19	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0	5.37	1.62	0	10.44	0.83	0
20	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.27	0.92	0	2	1.22	0	0.27	-0.3	0
21	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.02	0	1.75	0	0	0.44	3.02	0
22	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0
23	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	0	0	0	0	9.18	0	0	-9.18	0
24	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.26	0	17.4	12.43	0	-6.97	0.83	0
25	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0	0	0	0	6.09	0	0	-6.09	0
कुल (स)		**122.49**	**207.79**	**1.25**	**150.67**	**532.76**	**0**	**-28.18**	**-324.97**	**1.25**
कुल (अ + ब + स)		**31,284.55**	**5,258.01**	**4,844.52**	**30,639.29**	**5,094.68**	**7,030.00**	**645.26**	**163.33**	**-2185.48**

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं0	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ए एण्ड ई	लेखा एवं हकदारी
2	ए सी	सार आकस्मिक
3	ए ई	संचयी व्यय
4	बि ब मै.	बिहार बजट मैनुअल
5	बी ई	बजट अनुमान
6	बी एफ आर	बिहार वित्तीय नियम
7	बी एफ आर बी एम	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
8	बी ओ सी डब्लू	भवन एवं अन्य संरचना कर्मकार
9	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
10	सी ए जी	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
11	सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
12	सी ई	पूँजीगत व्यय
13	डी सी	विस्तृत आकस्मिक
14	डी डी ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
15	डी ई	विकास व्यय
16	डीस्कॉम	वितरण कम्पनी
17	ई एस	आर्थिक सेवाएँ
18	एफ सी	वित्त आयोग
19	जी. डी. पी.	सकल घरेलू उत्पाद
20	जी आई ए	सहायता अनुदान
21	जी ओ बी	बिहार सरकार
22	जी ओ आई	भारत सरकार
23	जी एस	सामान्य सेवाएँ
24	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
25	जी. एस. टी.	वस्तु एवं सेवा कर
26	एन पी आर ई	गैर–योजना राजस्व व्यय
27	एन पी एस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
28	एन. एस. डी. एल.	राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड
29	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
30	एन टी आर	करेत्तर राजस्व
31	पी ए सी	लोक लेखा समिति
32	पी डी	व्यक्तिगत जमा
33	पी एफ	भविष्य निधि
34	पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
35	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
36	आर ई	राजस्व व्यय
37	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
38	एस डी आर एफ	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
39	एस एण्ड डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
40	एस एल आर	सांविधिक तरलता अनुपात
41	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
42	एफ एफ सी (XIV)	चौदहवाँ वित्त आयोग
43	यू सी	उपयोगिता प्रमाण–पत्र
44	उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना
45	वी ए टी	मूल्य वर्धित कर
46	वी एल सी	वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें

www.ag.bih.nic.in